खण्ड-277, अंक-8
गुरूवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1891
(31 जुलाई, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 277 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०-३० बजे दिन म अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--४०९

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्दजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)

केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्रीदेवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल,चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन शर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन श्री
दुलारे लाल श्री
देवराम श्री
देवेन्द्र सिंह कुंवर
धनुधारी पांडेय श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद श्री
नगेना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री

नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जैटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बबर्नासिह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री

राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास, श्री
रामशिरोमणि श्री
रामसागर श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव श्री
वासुदेव सिंह श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह श्री
वीर बहादुर सिंह श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां श्री
शमीम आलम श्री

शम्भूनाथ चौधरी श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा–पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट––खाद्य मंत्री, श्री मंगला प्रसाद भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९६९

तारांकित प्रश्न

बेहटागोकुल थाने में श्री तकदीरबहादुर सिंह के कत्ल की जांच

*१--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिला के थाना बेहटागोकुल के ग्राम बूटामऊ में कोई कत्ल दिनांक १७ नवम्बर, १९६८ को हो गया तथा उसकी सूचना थाने में दिनांक २१ नवम्बर, १९६८ को मिली? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

हरदोई जिले के थाना बेहटागोकुल के ग्राम ज्ञानपुरवा के निवासी श्री वीरेन्द्र सिंह ने थाना बेहटागोकुल पर दिनांक २१-११-६८ को रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत इतवार सोमवार की रात को करीब ९/१० बजे अमुक लोग उनके लड़के श्री तकदीरबहादुर सिंह को घर से बुलाकर ले गये। उस समय से वह लौट कर नहीं आया। इस रिपोर्ट पर एक मुकदमा बइश्तबा कत्ल धारा ३०२ भा० दं० वि० के अधीन कायम हुआ और जांच आरम्भ की गई। इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। विवेचना अभी जारी है।

*२---श्री हिम्मत सिंह---

क्या गृह मन्त्री इस घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय---

सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने पर विचार किया गया परन्तु इसमें कोई लाभ नजर नहीं आया। अतः विवेचना पुलिस द्वारा जारी है जिसकी देखभाल पुलिस के उच्चाधिकारी कर रहे हैं।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उत्तर में यह है कि अमुक लोग उसको घर से बुला ले गये, वे कौन-कौन लोग हैं?

श्री कृष्णानन्द राय---

उनके नाम हैं जगदीश सिंह, जैकरन सिंह, हरकरन सिंह तथा परबत काछी।

श्री हिम्मत सिंह---

उन लोगों के खिलाफ़ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, यह १७ तारीख की घटना है। २१ तारीख को रिपोर्ट हुई और इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं था।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

इस सूचना को आधार मान कर कि इस हत्या के पीछे राजनीतिक कारण हैं क्या मुख्य मंत्री जी इसकी सी० आई० डी० से जांच करायेंगे?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—

कोई ऐसी सूचना सरकार के पास अभी तक नहीं है और न कोई संकेत मिला है कि इसमें राजनीतिक मामला है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है कि सी० आई० डी० से जांच कराई जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि शव कहां मिला और उसका मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ अथवा नहीं अगर हुआ तो कैसे आघात पहुंचाये गये थे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमान् जी, शव नहीं मिला। एक हाथ की एक फुट की हड्डी बरामद हुई है और गांव के लोगों का कहना था कि यह हड्डी उसी लड़के की है। लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता। अतः शव बरामद नहीं हुआ।

*३–४—श्री इन्द्रलाल—

[२रे बुधवार के तारांकित प्र० सं० ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गुन्नौर थाने में सेमला करनपुर की डकैती

*५—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १६ १७ मार्च, १९६९ की रात को सेमला करन पुर, थाना गुन्नौर, जिला बदायूं में एक डकैती पड़ी जिसमें एक आदमी मारा भी गया। पुलिस ने इस डकैती में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां, १६ १७–३–६९ की रात में ग्राम सेमला, करनपुर, थाना गुन्नौर–जिला बदायूं में, एक डकैती पड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया।

इस सम्बन्ध में वादी भगवान दास द्वारा १७ मार्च, १९६९ को थाना गुन्नौर पर दी गई जबानी सूचना पर, एक मुकदमा धारा ३९६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया व जांच आरम्भ की गई।

इस मुकदमें में अभी तक १२ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से १० के विरुद्ध चार्ज शीट अदालत भेजी जा चुकी है व २ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट शीघ्र ही न्यायालय भेजी जायगी। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही व जांच जारी है।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि डकैती में कितने की सम्पत्ति लूटी गई और जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उनकी जमानत हुई या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, २,०४४.५० पैसे के जेवर लूटे गये हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी जमानत पुलिस द्वारा नहीं हुई है और बहुत से लोग फरार ह।

श्री कृष्णस्वरूप—

क्या गृह मंत्री बताएंगे कि न्यायालय से भी जमानत हुई या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

कोई मुलजिम अदालत या पुलिस द्वारा नहीं छुटा है। यह रिपोर्ट २७ जुलाई तक है। हमारी मुश्किल है। मान लीजिये ४ दिन में कुछ हो गया हो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि रिपोर्ट के अन्दर कितने अभियुक्त नामजद थे और कितने लोगों को पहचानने की बात कही गयी थी ?

श्री कृष्णानन्द राय---

डाकुओं में से नौ आदमियों का नाम दिया गया था और लोगों के बारे में यह कहा था कि देख कर पहचानेंगे।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मन्त्री यह बताएंगे कि लूटी हुई सम्पत्ति में से कोई सम्पत्ति बरामद हुई या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जी नहीं।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---

क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जो एक व्यक्ति मरा है वह गांव का था या डाकुओं में से था ? अगर गांव का था तो मरे हुए व्यक्ति के परिवार को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जो व्यक्ति मारा गया है यह गांव का था। हल्ला सुन कर डाकुओं के खिलाफ इसने मुकाबला किया। उसके परिवार को सहायता देने की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र दी जायगी।

श्री कृष्ण स्वरूप---

क्या माननीय मन्त्री बताएंगे कि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्या पग उठाये गये ?

श्री कृष्णानन्द राय---

तफ्तीश चल रही है। जैसे-जैसे गवाहों का पूरा हवाला मिलता जाता है कार्यवाही होती चलती है।

गुन्नौर थाने में सियाराम की मृत्यु

*६---श्री कृष्ण स्वरूप---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक २१ मार्च, १९६९ को थाना गुन्नौर, जिला बदायूं में सियाराम पुत्र ऊदल को पुलिस वालों ने इतना मारा कि उसकी थाने में ही मृत्यु हो गई ? सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

यह सही नहीं है कि सियाराम की मृत्यु पुलिस वालों के मारने-पीटने के कारण हुई। इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई और जांच के पश्चात् मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचे कि सियाराम की मृत्यु गांव वालों द्वारा उसे पकड़ने के दौरान आई चोटों के कारण हुई।

मृतक के भाई ने बेनी व अन्य लोगों के विरुद्ध २३-३-६९ को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उन्होंने पुरानी रंजिश के कारण सियाराम को पकड़ कर मारा और थाना गुन्नौर ले गए जहां पर मारपीट से आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा १४७/३०४ के अन्तर्गत अपराध संख्या ३३-ए दर्ज किया गया है और उस की जांच हो रही है। अभी तक इस मुकदमे से सम्बन्धित कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री कृष्णस्वरूप---

क्या माननीय गृह मंत्री बताएंगे कि सियाराम की मृत्यु थाने में पहुंचने के कितनी देर बाद हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय---

थाने में करीब १०, साढ़े १० बजे पहुंचा। करीब तीन या चार बजे मृत्यु हुई है।

श्री जगरनाथ (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी बताएंगे कि सियाराम की मृत्यु होने के बाद इसकी लाश का पोस्ट-मार्टम कराया गया ? यदि कराया गया तो उसको कौन-कौन गम्भीर चोटें लगीं जिनके कारण मृत्यु हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय---

पोस्टमार्टम कराया गया है। २३ चोटें इसके शरीर पर पायी गयीं।

श्री जगरनाथ---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-सी ऐसी गम्भीर चोट थी जिसके कारण मृत्यु सम्भव थी। भाले, फरसे, बन्दूक किस चीज की चोट थी जिससे उसकी इतनी जल्दी थाने में मृत्यु हो गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

उसके बहुत से शरीर पर घाव थे, जिसके कारण उसका बहुत-सा खून निकल गया था और उसी कारण से उसकी मृत्यु हुई है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, इस पर थोड़ा समय और आप दे दें, माधव प्रसाद त्रिपाठी जो भी प्रश्न पूछना चाहते ह।

श्री अध्यक्ष---

अब वह खत्म हो गया, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। आप ही कहते हैं कि दो ही तीन अनुपूरक प्रश्न एक प्रश्न पर पूछे जाने चाहिये जो हो चुके हैं।

बलरामपुर में साम्प्रदायिक दंगा

*७---श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर, जनपद गोंडा में ४ मार्च, १९६९ को साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ था ? यदि हां, तो क्या झगड़े का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां, घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०३ पर)

*८—श्री गंगाप्रसाद—

सरकार बतायेगी कि उक्त झगड़े में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने व्यक्तियों के न म रिपोर्ट की गयी, साथ ही कितने धन की हानि हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

उक्त झगड़े में पुलिस द्वारा हस्तक्षेपनीय मुकदमों में ११ व्यक्ति दिनांक ५-३-६९ को गिरफ्तार किये गये थे।

धारा १५१/१०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु भी ११ व्यक्तियों को ५-३-६९ को गिरफ्तार किया गया था।

झगड़े के सम्बन्ध में हस्तक्षेपीय प्रथम सूचना रिपोर्टों म १५१ व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गयी थी।

उक्त झगड़े में लगभग १५० रु० की सम्पत्ति की क्षति हुई।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ११ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ह, उनमें कितने अल्पसंख्यक जाति के हैं और कितने बहुसंख्यक जाति के हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जाति के सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस रिपोर्ट के आधार पर उन पर इतना गम्भीर केस चलाया गया है ? उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट थी और किस के द्वारा थी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह एक साम्प्रदायिक दंगे की बात है। इसमें दोनों वर्ग के लोगों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी। अब मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। यह बहुत साधारण मारपीट थी।

श्री गंगाप्रसाद—

इस झगड़े की बुनियाद क्या थी ? अल्पसंख्यक लोगों ने कितने लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई और बहुसंख्यक लोगों ने कितने अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई, मंत्री जी क्या इसकी सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस झगड़े का कारण बहुत ही मामूली था, यह झगड़ा एक बहुत ही साधारण घटना को लेकर हुआ। उस दिन होली थी और होली का जुलूस बलरामपुर में निकला। साढ़े दस बजे के करीब जब एक प्रमुख जुलूस निकाला गया जो कि करीब पूरा निकल चुका था, एक मोहल्ले के पास अल्पसंख्यकों द्वारा उस पर एक ढेला फेंका गया। वहां पर पुलिस मौजूद थी, इसलिये उस समय कोई संगीन घटना नहीं घटी। लेकिन बाद में जब वह जुलूस समाप्त हुआ और लोग वापस लौटने लगे तो चाय की दूकान के पास साधारण सी लूटपाट हुई। लेकिन कोई विशद घटना नहीं घटी, जिसका बहुत महत्व हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह सही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों ने ढेला फेंका, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? और जो गिरफ्तारियां हुईं उनमें वह भी शामिल थे जिन्होंने ढेला फेंका ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अल्पसंख्यक समुदाय के भी और हिन्दू भी ४ लोग पकड़े गये थे और बाद में उनमें सुलह हो गयी, बहरहाल अब उस मामले में सब बातें रफा दफा हो गयीं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जो एफ० आई० आर० थी वह किसकी तरफ से थी और कितने मुलजिम नामजद किये गये थे क्या शहादत न मिलने की वजह से फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ये लोग दफा १०७/११७/१५१ में पकड़े गये। वे न्यायालय में गये। इनके मुकदमे हो गये और बाद में २४-४-६९ को इन दोनों पक्षों ने आपस में सुलह कर ली।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या इस झगड़े में शहर में कुछ दूकानें भी लुटी हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जो जुलूस वहां पर उठ रहा था उसके दो-चार आदमी चाय की दूकान पर खाने के लिये बैठे थे वहां कुछ प्यालियां फूटी थीं और बिसाती की दूकान पर शीशा कंघा आदि कुछ लुटा। कोई बड़ी लूटपाट नहीं हुई।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि मुकदमे में सजा हुई और दूसरे के उत्तर में बतलाया कि १०७/११७/१५१ के अन्दर चालान हुआ और उसके बाद मुकदमा खत्म हुआ। १०७/११७ में सजा नहीं होती उसमें बाउन्ड डाउन होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी या जिन्होंने ढेला फेंका केवल उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही हुई।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दोनों ही पकड़े गये। दोनों के एक ही साथ मुकदमे हुये और दोनों ने ही इस प्रश्न पर जा कर अदालत में फैसला कर लिया।

मध्यावधि चुनाव में गोलीकांड

*९—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि मध्यावधि चुनाव में प्रदेश में किन-किन जिलों में गोली काण्ड हुये और कुल कितने व्यक्तियों की जिलेवार हत्यायें हुईं ?

श्री कृष्णनन्द राय—

मध्यावधि चुनाव के दौरान इस प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर, फतेहगढ़, मुरादाबाद और मेरठ में गोली कांड हुए। मुजफ्फरनगर और फतेहगढ़ के गोली कांडों में एक-एक व्यक्ति की हत्या हुई।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष, अधिष्ठाता सभी का यह फैसला रहा है और नियम भी है कि कोई मामला जब न्यायालय में विचाराधीन हो उस पर विधान सभा में प्रश्न नहीं किये जा सकते। मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर बताता हूं कि यह मामला सेशन कोर्ट फर्रुखाबाद के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—

किस प्रश्न के बारे में कह रहे हैं?

श्री महरम सिंह—

प्रश्न नम्बर ९ के बारे में।

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में तो माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं बता देंगे। आप बैठिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

९वें सवाल में जो बात है वह फर्रुखाबाद में और १०वां सवाल मुजफ्फरनगर कोर्ट के विचाराधीन हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरिट पर हम प्रश्न नहीं करेंगे। जब आप उत्तर पढ़ेंगे तब उसके बारे में कुछ कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

वह तो खुद ही जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यदि हम केस की मेरिट पर विवाद करें तब तो आप आज्ञा नहीं देंगे लेकिन अगर केवल जानकारी करना चाहें तो जरूर आप आज्ञा देंगे?

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

प्रश्न केवल यह है कि मध्यावधि चुनाव में कितने कत्ल हुये। गोरखपुर, देवरिया, मुजफ्फरनगर में कत्ल हुये। कितने मरे हैं यह संख्या दे दी जाय, जिलों क नाम दे दिये जायं और यह बतला दें कि इस मामले में यह कार्यवाही हो रही है? न्यायालय पर आक्षेप नहीं हो सकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि गोरखपुर और देवरिया जिलों में भी चुनाव के दौरान लोगों की मृत्यु हुई, यदि हां, तो उनकी क्या जानकारी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जो प्रश्न किया गया है उसमें यह पूछा गया है कि प्रदेश में कहां-कहां गोलीकांड हुआ और कहां-कहां हत्यायें हुईं। तो उन स्थानों के नाम बता दिये जहां पर गोली कांड हुए और हत्यायें हुयीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

देवरिया और गोरखपुर में कोई हत्या हुई या नहीं?

श्री कृष्णानन्द राय—

मध्यावधि चुनाव में गोरखपुर या देवरिया या प्रदेश के किसी और जिले में कोई हत्या नहीं हुई और न गोली कांड हुआ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में जो गोलीकांड बतलाया तो किस जगह गोली चली थी और किस पार्टी का कार्यकर्त्ता मरा था और किस पार्टी के लोगों ने उसका कत्ल किया था ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह नहीं बतलाया जा सकता। इस के बताने पर अदालत की मान-हानि होगी।

श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

मुख्यमन्त्री जी की ओर से बताया गया कि गोरखपुर में कोई हत्या नहीं हुई। क्या यह सही नहीं है कि एक व्यक्ति, श्री बख्शिश अली जो स्वयं कैंडीडेट थे उनकी हत्या हुई और वह कहते हैं कि उनको पता नहीं है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह नामिनेशन के पहले की घटना है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री महीलाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी भी प्रश्न के बारे में अनुपूरक प्रश्न पुलिस की लिखाई रिपोर्ट के आधार पर किये जा सकते हैं या नहीं ? अगर किये जा सकते हैं तो वह किसी न्यायालय के क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप कानूनी बहस कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, उदित नारायण जी ने यह पूछा था कि नामिनेशन के बाद एक उम्मीदवार, बख्शिश अली की हत्या हुई और अखबारों में कम से कम यह आया था कि वह पोलिटिकल रंजिश की वजह से हुई और नामिनेशन के बाद हुई, उसका जवाब नहीं मिला है, वह आना चाहिए।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं इसका जवाब इतने वक्त देने में असमर्थ हूं। जहां तक मुझे पता है अखबारों के आधार पर मैं कह सकता हूं—कागजात की बुनियाद पर नहीं—कि जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है कदाचित् उसकी हत्या नामिनेशन के पहले हुई थी।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

मैं गोरखपुर का हूं। श्री बख्शिश अली की हत्या गोरखपुर में परचा दाखिल करने के बाद हुई और मजदूर परिषद् से उनका दाखिला हुआ था। माननीय बख्शिश अली ने अपना परचा स्वयं दाखिल किया था, विद्ड्राअल के एक दिन पहले उनकी हत्या हुई, नामिनेशन हो चुका था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अगर माननीय सदस्य की जानकारी है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैंने तो अखबार की बात कही, अपने कागजात की बुनियाद पर यह बात नहीं कही। तो जो वह कह रहे हैं वह सही होगा।

श्री रामकरन—

इस संबंध में निवेदन करना है कि नामिनेशन के बाद जब यह हत्या हुई तो क्या सरकार आश्वासन देगी कि जिस बात को आप कबूल कर रहे हैं उसकी छान-बीन सी० आई० डी० से करा कर इसका पता लगवायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री महीलाल—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर आपकी व्यवस्था होना आवश्यक है। उससे लाभ यह होगा कि ऐसे केसेज में हम प्रश्न नहीं करेंगे जो अदालत में चल रहे होंगे। प्रश्न यह है कि पुलिस में की गयी रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर प्रश्न किये जाते हैं तो हमारा अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो भी सवाल दिये जाते हैं पुलिस से संबंधित उसके उत्तर ठीक-ठीक सदन में नहीं दिये जाते हैं। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से जो भी सवाल किये जांय उनका उत्तर दें, गोल-मोल उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है और किसी वस्तुस्थिति पर परदा डालने की भी जरूरत नहीं है। आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस प्रश्न के संबंध में जो उत्तर दिये जा रहे हैं उसमें एक गलतफहमी है। मध्यावधि चुनाव शब्द का प्रयोग इस संबंध में करना चाहिए कि जिस दिन से गजट नोटिफिकेशन हुआ और जिस दिन तक पोलिंग हुआ, वह समय मध्यावधि चुनाव का समय गिना जाता है। नोटिफिकेशन होने से ही चुनाव का कार्य आरम्भ होता है। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

मध्यावधि चुनाव नोटिफिकेशन से शुरू होता है। जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ, उसी दिन से चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिस दिन से चुनाव नोटिफिकेशन हो जाता है उसी दिन से माना जाता है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने वही तो कहा है आप फिर क्यों उसे रिपीट कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं समझता हूं यह भ्रम साफ हो जायेगा.....

श्री रामकरन—

पहले प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दीजिये ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह पूछा था कि सी० आई० डी० से इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय रामकरन जी ने जो बात कही है उसकी जांच करा ली जायेगी, और कोई रिपोर्ट गोरखपुर वाली है नहीं।

मध्यावधि चुनाव के बारे में यह निवेदन करना है कि जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ और जिस दिन तक चुनाव हुआ उस बीच तो और बहुत से निजी कारणों से भी गोली चलीं, हत्यायें हुईं उनकी संख्या इसमें नहीं है। केवल इलेक्शन के सिलसिले में जो गोलीकांड हुआ उसके बारे में मैंने जवाब दिया कि वह ४ हैं। (व्यवधान)

श्री चरणसिंह—

क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि अमरोहा में पोलिंग सेन्टर पर, पोलिंग डे पर, जो हत्या हुई, बी० के० डी० आदमी की, उसका जिक्र इसमें क्यों नहीं है, वह तो पोलिंग डे पर हुई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जैसा कि माननीय कृष्णानन्द जी ने बतलाया, यह तो फीगर्स हम ५ से ९ तारीख की जिनमें चुनाव हुआ है, उनको दे रहे हैं।

श्री चरणसिंह—

पोलिंग डे पर जो हुई है, वह तो ५ से ९ में आता है या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उसके लिये अगर आप जवाब चाहते हैं तो सूचना की आवश्यकता पड़ेगी, इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि यदि यह स्पष्ट हो जाय तो अच्छा है कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी का प्रश्न क्या नोटिफिकेशन के होने से है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ है और जिस दिन चुनाव सम्पन्न हुआ है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर इकट्ठा किया जाय कि जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ और चुनाव सम्पन्न हुआ। यह इरादा था माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी का प्रश्न पूछने का। प्रश्न का उनका धोखा हो गया हो, यह हो सकता है। इसलिये इसको दूसरे रोज रक्खा जाय और उसकी जानकारी हासिल कर ली जाय। यह प्रश्न अगले सप्ताह में आयेगा।

एक सदस्य—

(विरोधी दल से)।

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता था कि अगर यह भी मान लिया जाय, और उन्होंने यह पूछा है कि जिस दिन नामिनेशन पेपर्स दाखिल हुए, उस दिन के बाद वह बतायें कि कैन्डीडेट की डेथ हुई या नहीं? इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने रिपोर्ट नहीं रक्खी ऐसा क्यों किया? इस बारे में क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जवाब दिया कि पहले वे इन्क्वायरी करेंगे उनकी और उसके बाद ही जवाब देंगे।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था। प्रश्न संख्या ९ में यह पूछा गया है "क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मध्यावधि चुनाव में प्रदेश के किन-किन जिलों में गोली कांड हुए और कुल कितने व्यक्तियों की जिलेवार हत्यायें हुईं?" क्या इसका तात्पर्य जो पोलिंग डे है, उस पोलिंग से संबंधित व्यक्तियों से है या जितने गोलीकांड प्रदेश में हुए उससे संबंधित है, इसको बतला दिया जाय? यदि पोलिंग से तात्पर्य है तो बताया जाय?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मन्शा बिल्कुल साफ है। जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ उस दिन से चुनाव आरम्भ हो जाता है और जिस दिन काउन्टिंग समाप्त हो जाती है उस दिन वह प्रक्रिया चुनाव की समाप्त हो जाती है। तो मेरा निवेदन यह था कि जिस दिन गजट नोटिफिकेशन हुआ नामिनेशन्स के लिये उस दिन से लेकर मत गणना तक कितनी हत्यायें हुई उसका ब्योरा चाहता था ?

श्री अध्यक्ष---

चुनाव के सिलसिले में हत्यायें हुई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मध्यावधि चुनाव में श्रीमन्.....

श्रीमन्, मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं क्योंकि आपने इस प्रश्न को अगली तिथि के लिये रख दिया है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश भर में जितनी हत्यायें हुई हैं, जैसे गोरखपुर से भी प्रश्न आये हैं, या देवरिया, मुरादाबाद और गाजीपुर से भी तो उन सबकी सूचना सदन को दी जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं कि अगले दिन जब यह सवाल फिर लिया जायगा तो उस संबंध में मुझे तमाम आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे और सारे जिलों से पूछना पड़ेगा। यह संभव हो सकता है कि अगले दिन भी पूरे उत्तर न आ सकें तो उसका उत्तर उससे अगले दिन दिया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष---

आप मुझे उसकी सूचना दे दीजिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

यह सारा रिकार्ड तो यहीं आई० जी० साहब के पास मौजूद होगा ?

श्री अध्यक्ष---

जैसी भी होगी वह मुझे सूचना दे देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, जिस प्रकार का उत्तर दिया जा रहा है उससे ऐसा मालूम होता है कि महज टालमटोल हो रही है। बजाय इसके कि प्रश्नकर्ता से उसकी मंशा आज पूछी जाय, पहले से ही उस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ कर उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

भाषा से कुछ तो भ्रम हो ही सकता है उसके मतलब के बारे में।

फर्रुखाबाद जिले में बराकेशव गांव का गोली कांड

*१०---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या यह सही है कि दिनांक ७ फरवरी, १९६९ को प्रातः ११ बजे जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र के बराकेशव पोलिंग स्टेशन पर किसी राजनीतिक दल के समर्थकों पर बन्दूक से हमला किया गया जिसके फलस्वरूप लगभग २० व्यक्ति घायल हुये और एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इन मामलों क्या कार्यवाही की है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

७ फरवरी, १९६९ को लगभग ११.३० बजे प्रातः जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र के बराकेशव गांव के पोलिंग स्टेशन के निकट दो प्रत्याशियों के समर्थकों में झगड़ा हुआ। एक दूसरे पर पत्थर फेंके गये और फिर एक दल के समर्थकों में से किसी ने गोली चलाई जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई तथा १३ अन्य व्यक्ति घायल हो गये। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, और दो व्यक्ति तत्काल मौके पर पकड़े गये। इस घटना के संबंध में धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२ दन्ड विधान संहिता के अन्तर्गत अपराध कायम किया गया था जो अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (न्याय) के न्यायालय से सेशन सुपुर्द हो गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित केस में कितने व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गयी थी। क्या उनमें से सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है? या उनमें से कोई अभी तक मफरूर है?

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मेरे पास एफ० आई० आर० तो नहीं है लेकिन बाद में मैंने कुछ इनफारमेशन मंगायी और उसमें दो चीजें मंगा लीं वह यह हैं कि ११ जून को यह मामला सेशन सुपुर्द कर दिया गया है और ६ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है।

श्री चरणसिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है और जिन लोगों के चोट लगी है, वे सब बी० के० डी० के लोग थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह बी० के० डी० का था और चोटें तो दोनों ओर के लोगों को लगीं।

श्री चरणसिंह—

क्या किसी दूसरे फरीक को भी गोली लगी। क्या यह सही है कि जिन लोगों के गोली से चोट लगी और जो गोली से मरा वह बी० के० डी० के ही लोग थे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात तो आपकी मैंने मान ली।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इस गोली कांड की जांच पुलिस के द्वारा करायी गयी अथवा सी० आई० डी० के द्वारा?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो एक मुकदमें में है। सेशन सुपुर्द यह मामला है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं इसके मेरिट की बात नहीं कहता हूं। मैं तो जानना चाहता हूं कि इस मामले में सिविल पुलिस या सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी गयी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सी० आई० डी० द्वारा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जब वहां पर दफा १४४ नाफिज थी तब भी गोलियां चलीं तो उसके लिये उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, जिनके रहते हुए लोग बन्दूक लेकर घूमते रहे और लोगों की जानें गयीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिन कागजात का मैंने अध्ययन किया है, उसमें ऐसा विदित होता है कि इधर-उधर कोई बन्दूक दिखाई नही पड़ रही थी परन्तु एक मकान पर कुछ लोग अवश्य थे जहां पर कोई भी बन्दूक रख सकता था, अगर उसके पास लाइसेन्स है। वहां से बन्दूक आदि का इस्तेमाल हुआ है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या माल मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिनके मकान से यह गोली चली उसके पास बन्दूक का लाइसेन्स था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह तो तफतीश होकर ही पता चल सकेगा। यह सब मामला कोर्ट के विचाराधीन है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

मेरा मतलब कोर्ट के केस से बिल्कुल नहीं है। मैं केवल जानना चाहता हूं कि जिसके मकान से गोली चली क्या उसके बारे में जांच करायी गयी कि उसके पास लाइसेन्स था या अनलाइसेन्स्ड आर्म था ? या किसने उस मकान पर चढ़ कर गोली चलाई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह मामला कोर्ट में है। वहां पर इन सब बातों पर विचार होगा। किसने गोली चलाई, कैसे चली और किसकी बन्दूक थी। ये सारे प्रश्न कोर्ट में आयेंगे और वहां पर निर्णय होगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जिस मकान से गोली चली क्या उनकी जानकारी है कि वह मकान मालिक भी इन ६ व्यक्तियों में हैं। क्या उनका भी चालान हुआ है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं इसके लिए नोटिस चाहता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जिस व्यक्ति के गोली लगी वह भारतीय क्रान्ति दल का सदस्य था। जिसने गोली मारी उसका संबंध किस राजनीतिक दल से था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

किस आदमी ने गोली मारी किसने नहीं मारी, यह सब तो कोर्ट तय करेगी।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि दो दल के प्रत्याशियों में झगड़ा हुआ तो वे २ दल कौन थे जिनमें झगड़ा हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सारे विषय कोर्ट के विचाराधीन हैं और मामला सब-जडिस है।

श्री चरणसिंह—

जहां गोली चली है जिस क्षेत्र में बी० के० डी० के लोग जख्मी हुये हैं तो विपक्ष में कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती विद्यावती राठौर थीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह बात प्रत्यक्ष है और इसके बतलाने की आवश्यकता नहीं है। चौधरी साहब उधर बैठे हैं और विद्यावती जी इधर बैठी हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो ६ आदमी गिरफ्तार किये गये और जिनके खिलाफ रिपोर्ट की गई वे किस दल से संबंधित हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस समय सूचना मेरे पास नहीं है और न बतलानी चाहिए।

श्री दीपनारायण मणि—

एफ० आई० आर० से पढ़कर सुना दिया जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि जिस मकान से गोली चली वह मकान मालिक लाइसेन्सी है या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एफ० आई० आर० की कापी नहीं है और यह मुकदमा सेशन कोर्ट में भी है जिससे डिटेल्ड इन्फारमेशन नहीं आई।

खीरी के जंगलों में अवैध कटान

*११—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि खीरी वनखण्ड से लाखों रुपये की लकड़ी जंगल में अवैध रूप से कटकर बाहर जा रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा तुरन्त यह कटाव रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

नियोजन मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

खीरी के जंगलों में अवैध कटान के २ मामले फरवरी १९६९ में सरकार की जानकारी में आये हैं। एक बोरिया ग्राम में तथा दूसरा खरैतिया ग्राम में दोनों ही ग्रामों में खैर के पेड़ों को अवैध रूप से कटान हुआ। एक मामले में प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट की धारा ६/१५ के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है तथा नाजायज कटान की लकड़ी को फारेस्ट रेन्ज अधिकारी ने कब्जे में ले लिया है। दूसरे मामले में ठेकेदार के ऊपर ३,६२२ रु० जुर्माना किया गया जो वसूल कर लिया गया है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या खैर की लकड़ी कत्था बनाने के काम आती है और जो लकड़ी चोरी से बाहर जा रही थी वह अन्दाजन कितने रुपये की थी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

खैर से कत्था बनता है। जहां तक पहले केस का सम्बन्ध है वह सारी लकड़ी जब्त कर ली गई और दूसरे मामले में उस लकड़ी की कीमत के रूप में जुर्माना किया गया जो कि ठेकेदार से वसूल हो चुका है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

जंगलात के जिस ठेकेदार पर जुर्माना किया गया है उनका नाम क्या है और उनका ठेका भी खत्म किया गया या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

ठेकेदार जंगलात से जो लकड़ी निकालते हैं वह फारेस्ट रेन्जर और फारेस्ट ब्यॉय चेक पोस्ट पर चेक करते हैं, तो क्या ये लकड़ी दूसरे रास्ते से बाहर गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री निन्यानन्द स्वामी—

ये जंगल अगर रिजर्व फारेस्ट था तो नोटिफिकेशन कब हुआ ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बोरिया ग्राम का कटान ग्राम समाज के जंगल में हुआ और उस पर प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के मातहत कार्यवाही हुई । खैरतियां जंगल नोटिफाइड फारेस्ट में था इसलिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा ४ के अनुसार कार्यवाही हुई ।

गोंडा जिले के हथियागढ़ काण्ड सम्बन्धित गवाह की गिरफ्तारी

*१२—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोंडा के हथियागढ़ काण्ड के एक गवाह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उन्हें १३ व २६ मार्च, सन १९६९ को बाराबंकी के एक विधायक से शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां—प्रश्नकर्ता के दिनांक १३-३-६९ व २६-३-६९ के दो शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए थे ।

*१३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

यदि हां, तो उपर्युक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

शिकायतों की जांच कराई गई । जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गई ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मेरे १३ मार्च और २६ मार्च, १९६९ के पत्रों को मंत्रीजी पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां । १३ मार्च का पत्र इस प्रकार है :—

"सेवा में माननीय मुख्य मंत्री गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

महोदय, जिला गोंडा के हथियागढ़ कांड में शासन के आदेश से न्यायिक जांच चल रही है। श्री गोमती प्रसाद जी यादव, एडवोकेट, गोंडा ने तार द्वारा सूचना दी है कि पुलिस के विरुद्ध गवाही देकर अदालत से बाहर निकलने पर गवाहों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एडवोकेट महोदय का आरोप है कि ऐसा पुलिस के विरोधी गवाहान को आतंकित करने के लिये किया जा रहा है। आपकी सुविधा के लिये तार की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।

कृपया अविलम्ब हस्तक्षेप कर जांच को निष्पक्ष व न्यायपूर्ण ढंग से चलाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।"

२६ मार्च का पत्र इस प्रकार है :—

"माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

महोदय, दिनांक १३-३-६९ को श्री गोमती प्रसाद जी यादव, एडवोकेट, जिला गोंडा के तार की प्रतिलिपि अपने पत्र के साथ आपकी सेवा में प्रेषित करके आपको सूचित किया गया था कि गोंडा के विख्यात हथियागढ़ कांड की जांच में गवाही देकर जब गवाह बाहर निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्यालय में इस मामले के संबंध में कुछ और विवरण प्राप्त हुये हैं जो निम्नांकित हैं :—

"हथियागढ़ कांड के लिये जज, श्री भार्गव, गोंडा के सिंचाई विभाग के डाक बंगले में मार्च १० व ११, सन् १९६९ को बैठे गवाहा। १० मार्च से ही डाक बंगले के अहाते में मौजूद रहे। इन गवाहों में श्री अब्दुल हसन प्रधान उर्फ चम्बल भी थे।

१० मार्च, ६९ की शाम को गवाह श्री चम्बल को पुलिस ने बाजार में धमकाया कि वह पुलिस के विरुद्ध गवाही न दे अन्यथा उन्हें बन्द कर दिया जायगा। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इंचार्ज थाना सादुल्लानगर गवाहान पर दबाव डालने के लिये १० मार्च से ही डाक बंगले पर उपस्थित रहे। इसी थाने के अन्तर्गत हथियागढ़ कांड का घटनास्थल स्थित है।

११ मार्च, ६९ को जांच के लिए जज श्री भार्गव जब पुनः बैठे तो उनके बैठने के समय के पूर्व से ही इंचार्ज थाना सादुल्लानगर मौजूद रहे और जब चम्बल गवाह गवाही देने के लिए जा रहा था तो उन्होंने उसे फिर धमकाया कि अगर पुलिस के विरुद्ध वह गवाही देगा तो उसे बन्द कर दिया जायगा।

चम्बल के पुलिस के विरुद्ध गवाही देने पर इंचार्ज थाना सादुल्लानगर ने जज श्री भार्गव के सम्मुख प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके चम्बल की गिरफ्तारी की अनुमति मांगी। उस प्रार्थनापत्र पर माननीय जज ने जो राय जाहिर की उसका आशय यह है कि गवाहान पर नाजायज दबाव डालने के लिये और उन्हें आतंकित करने के लिये गिरफ्तारी अमल में लाई गई।"

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या यह सही है कि इस संबंध में माननीय जज ने शासन के पास कोई सूचना भेजी थी। यदि हां, तो कृपया उसको भी पढ़ने की कृपा करें ?

श्री कृष्णानन्द राय—

कमीशन की कोई रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है। अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो पता लगाया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारी सूचना है जैसा कि पत्र में लिखा गया है कि जो जज साहब इस मामले की जांच कर रहे थे उन्होंने लिखा है कि ये गवाहान १० से वहां मौजूद थे और दारोगा भी मौजूद थे। गिरफ्तारी पहले की जा सकती थी लेकिन जब वे अन्दर गये तब उनको गिरफ्तार किया गया अदालत में अर्जी देकर। मैं चाहता हूं कि जज का जो आदेश है वह यहां पढ़ दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

५ मार्च के एक केस के सिलसिले में श्री चम्बल जब मुल्जिम थे और जब कमीशन के सामने वह गये तो उसके पहले थानेदार ने उनको गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया बल्कि जब वह गवाही दे चुके तब कमीशन से थानेदार ने कहा कि यह एक मुकदमें में मुल्जिम हैं इसलिये में उनको गिरफ्तार करना चाहता हूं। तो कमीशन ने कहा कि गवाही देने के बाद बाहर जाने पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी कमीशन की कोई रिपोर्ट हमारे पास फाइल में नहीं है जो डी० एम० ने रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को आज मुल्तवी कर दें ताकि सदन भी जान जाय कि जज ने इस पर क्या लिखा है।

एक प्रश्न मैं इस सिलसिले में कर देना चाहता हूं कि जिस बलवे पर मुकदमा चला उसमें कितने मुल्जिम हैं और चम्बल की गिरफ्तारी के पहले उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ था या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी नहीं, इसमें और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, वह बहुत हाल की घटना थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो मान्यवर, आप इस प्रश्न को मुल्तवी कर दें अगली तारीख के लिये क्योंकि सदन नहीं जानता है कि जज ने क्या लिखा। आगे वे अपने जवाब में बतला देंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप दोबारा क्वेश्चन भेज दें, वे जवाब दे देंगे।

दाल पर रंग की मिलावट के नमूने

*१४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में राज्यपाल शासन के दौरान दाल पर रंग की मिलावट के कितने नमूने वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में भरे गये और उनमें से कितने नमूने गलत रंग लगे होने के कारण मिलावटी घोषित किये गये ?

श्री कृष्णानन्द राय—

वित्तीय वर्ष १९६७–६८ की अवधि में कुल ४६३ नमूने दाल के लिये गये। इनमें से ४४ नमूने गलत रंग लगे होने के कारण मिलावटी घोषित किये गये।

काला हिरन की सुरक्षा

*१५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या वन मंत्री को पता है कि जिला शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर क ग्राम नरिया, रमपुरा तथा गोगेपुर व थाना परौर के ग्राम खूबपुर, निजामपुर नगरिया व रसीदपुर व जिला बदायूं के थाना दातागंज के ग्राम नटिनियापुर व वसेला तथा बेलाडाडी और बरेली जिला के थाना फतेगंज पूर्वी के ग्राम मानपुर, नरिया सैदपुर के पास काला हिरन (Black Buck) पाया जाता है ? यदि हां, तो सरकार उसकी सुरक्षा के लिये क्या कर रही है ?

नोट—अतारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रश्न में उल्लिखित स्थानों में कहीं बहुत कम संख्या में काला हिरन पाया जाता है इसकी सुरक्षा के लिये यू० पी० वाइल्ड बर्ड्स ऐन्ड एनीमल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, १९३४ के प्राविधानों के अन्तर्गत इसको संपूर्ण प्रदेश में परिरक्षित घोषित किया जा चुका है ।

कुमायूं राजकीय रोडवेज क्षेत्र में प्रधान प्रबन्धक की नियुक्ति

*१६---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) तथा श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)---

क्या परिवहन मंत्री बतावेंगे कि कुमाऊं राजकीय यातायात रीजन के मुख्य कार्यालय में अभी तक जनरल मैनेजर की नियुक्ति न होने का क्या कारण ह ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

कुमाऊं राजकीय रोडवेज क्षेत्र में प्रधान प्रबन्धक की नियुक्ति की जा चुकी है ।

आगरा जिले में डकैती तथा अपहरण की घटनायें

*१७---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि १९६२ से १५ मई, १९६९ तक आगरा जिले में कितनी डकैतियां तथा अपहरण की घटनायें हुयीं ? इनमें कितने व्यक्ति मारे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इस अवधि में आगरा जिले में २६८ डकैती तथा ११६ अपहरण की घटनाएं हुईं जिनमें क्रमशः १५ व ५ व्यक्ति मारे गये ।

*१८---श्री देवकीनन्दन विभव---

क्या सरकार राजस्थान व मध्य प्रदेश की सरकारों से मिलकर इन घटनाओं को रोकने के लिये कोई योजना बनावेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

तीनों प्रदेशों के उच्च पुलिस अधिकारी आपस में निकट संपर्क बनाये रहते हैं तथा समय समय पर विचार विनिमय कर नियोजित ढंग से डाकुओं के उन्मूलन के प्रयास कर रहे हैं ।

*१९---श्री नरेन्द्रसिंह---

[प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस ले लिया गया ।]

चतुर्थ पचवर्षीय योजना में प्रस्तावित उद्योग

*२०---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने लघु उद्योग नये स्थापित किये जायेंगे तथा कितने बड़े उद्योग चलाये जायेंगे तथा उनमें से प्रत्येक में कितने काम करने वाले लोगों को काम पर लगाया जा सकेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

चतुर्थ पंचवषीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई लघु औद्योगिक इकाई प्रस्तावित नहीं है । निजी क्षेत्र में विभागीय योजनाओं द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में प्रोत्साहन एवं सहायता दी जायेगी । इन इकाइयों की तथा इनमें काम पर लगाये जाने वाले लोगों की संख्या बताना संभव नहीं है । लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा उनके परिवर्धन द्वारा औद्योगिक उत्पादन में ८ से १० प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि चौथी योजना में प्राप्त करने का लक्ष्य है ।

वृहत् स्तरीय उद्योग के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में ५ इकाइयों—३ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में तथा २ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में—तथा निजी क्षेत्र में ११२ इकाइयां चलाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय क्षेत्र में अन्य ७ इकाइयों को लगाने का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है। इनमें कितने लोग काम पर लगाये जायेंगे, यह बताना संभव नहीं है।

इटावा जिले का बकेवर काण्ड

*२१—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६८ के उत्तरार्द्ध में घटित बकेवर काण्ड, जिला इटावा के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की और कितने लोगों पर किन-किन दफ़ाओं में मुकदमा चलाया तथा उक्त मुकदमें अब किस स्थिति में हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बकेवर, जिला इटावा में १२ सितम्बर, १९६८ को हुई घटना के संबंध में जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी पहिले ए० डी० एम०, कानपुर द्वारा मैजिस्ट्रेट की जांच कराई गई। बाद में सरकार ने कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, १९५२ (ऐक्ट संख्या ६०, १९५२) की धारा ३ के अन्तर्गत न्यायिक जांच कराई। ५२ अभियुक्तों के विरुद्ध धारा १४७ / १४८ / १४९ / ३०७ / ३३२ / ४३६ / ३२६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत चार्जशीट अतिरिक्त जिलाधीश, इटावा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

जिला जेल गोंडा के जेलर के हाथों श्री सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय की मृत्यु

*२२—श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद, गोंडा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के गोदाम में ड्राइवर श्री सुरेन्द्रनाथ पांडेय को दिनांक २६ मई, १९६९ को ७-३० बजे शाम को अचानक जिला जेल, गोंडा के जेलर ने अपने कर्मचारियों के साथ गोदाम के हाता में पकड़ कर मारना शुरू कर दिया जिससे सुरेन्द्र नाथ बेहोश हो गये, मरते दम तक उनकी जवान नहीं खुल ? यदि हां, तो क्या सरकार घटना का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक २६ मई, १९६९ को १२-३५ बजे रात में सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोंडा के ओवरसियर श्री शशि शेखर तिवारी ने थाना कोतवाली पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि जेलर, गोंडा ने अपने कुछ कर्मचारियों के साथ सुरेन्द्र नाथ पाण्डेय, ट्रैक्टर ड्राइवर, पी० डब्ल्यू० डी०, गोंडा को मारा पीटा जिसके परिणामस्वरूप वे बेहोश हो गये और सदर अस्पताल गोंडा में दाखिल करवाये गये।

सुरेन्द्र नाथ पांडेय की सदन अस्पताल में २८ मई, १९६९ को ४-१५ बजे मृत्यु हो गई।

उसी दिन रात को जेलर, गोंडा के भतीजे की भी एक लिखित सूचना थाना कोतवाली, गोंडा में इस आशय की प्राप्त हुई थी कि वह २६ मई, १९६९ की शाम को जब पोस्ट आफिस की ओर से वापस आ रहा था एक व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया गया तथा घसीट कर एक कमरे में ले जाया गया और उस व्यक्ति ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उसके साथ अप्राकृतिक अपराध करने की चेष्टा की।

उपरोक्त दोनों सूचनाओं पर अंकित अपराधों में पुलिस द्वारा अब तक की विवेचना के परिणामस्वरूप यह आभास मिला है कि जेलर के भतीजे के साथ उक्त घटना सुरेन्द्र नाथ पांडेय ने की थी जिस पर जेलर, गोंडा ने, अपने कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर उन्हें मारा-पीटा।

किच्छा चीनी मिल में हिस्सों का विवरण

*२३—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक २७ जुलाई, १९६७ ई० के प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में क्या उद्योग मंत्री बतावेंगे कि इस फैक्ट्री में किन-किन व्यक्तियों के शेयर्स हैं ? क्या उनकी विस्तृत सूची सदन में रखेंगे ? क्या उद्योग मंत्री कृपया यह भी बतावेंगे कि अब इस फैक्ट्री के कब तक चालू होने की उम्मीद है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

संलग्न अनुसूची में विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान हिस्सेदारों के हिस्सों का विवरण दिया गया है। फैक्ट्री को पूरा कर के चलाने का प्रश्न शासन के समक्ष विचाराधीन है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८०४ पर)

फार्मेसिस्टों को सेलेक्शन ग्रेड न मिलना

*२४—श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि क्या यह सही है कि यू० पी० पे रेशनालाइजेशन कमेटी सन् १९६४-६५ में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा फार्मेसिस्टों का वेतन जूनियर ग्रेड १२०—२२० तथा सेलेक्शन ग्रेड १५०—२६० शासन ने स्वीकर कर दिया था ? यदि हां, तो अभी तक फार्मेसिस्टों को सलेक्शन ग्रेड किस कारण नहीं दिया जा रहा है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

चांदपुर थाने के थानेदारों की मुअत्तली

*२५—श्री नौनिहालसिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में चांदपुर थाने के तीनों थानेदारों को हाल ही में किस आधार पर सस्पेंड किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

थाना चांदपुर, जिला बिजनौर की पुलिस के विरुद्ध ज्यादती करने की एक गंभीर शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी। उसी के संबंध में संबंधित पुलिस कर्मचारियों को निलंबित करके अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा शिकायत की जांच किये जाने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे। तदनुसार उक्त थाने के तीन सब इन्सपेक्टर तथा एक क्लर्क कांनिस्टेबुल को निलंबित किया गया है।

मैनपुरी जिले में रोडवेज स्टेशनों से आय

*२६—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में स्थित राजकीय रोडवेज स्टेशन वेवर, भोगांव, मैनपुरी, किशनी और कुशमरा तथा कुरावली से प्रत्येक वर्ष १९६६, १९६७, १९६८ तथा १९६९ में पृथक-पृथक होने वाली आय के क्या आंकड़े हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैनपुरी, जनपद में स्थित राजकीय रोडवेज स्टेशन बैवर, भोगांव, मैनपुरी, किशनी, कुशमरा तथा कुरावली से वर्ष १९६६, १९६७, १९६८, १९६९ में पृथक-पृथक हुई आय का विवरण नीचे दिया जाता है:—

बस स्टेशन का नाम		१९६६	१९६७	१९६८	१९६९ जनवरी से जून १९६९ तक†
		(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
बेवर	..	४,१९,५९७	४,३०,२९७	५,०२,८०७	२,७८,७०७
भौंगांव	..	८७,६१२	१,०१,४६६	१,१२,६३३	६०,८१२
मैनपुरी	..	६,७९,८४२	७,११,९३९	८,३०,२६५	४,५९,७७१
किशनी	..	१,१८,५२६	१,१७,२४९	१,३५,१५५	७७,४५७
कुशमरा	..	९७,४१७	८८,३३८	९८,७८८	५४,९२८
कुरावली	..	२,१४,४९५	१,९९,१५१	२,३८,२१४	१,३६,०९२

बुलन्दशहर जिले में पुराने थानेदार

*२७—श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री कल्याणसिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने एस० ओ० तथा एस० आई० हैं जिनको पांच साल से अधिक कार्य करते हो गया है तथा कितने दरोगाओं को १० साल से अधिक कार्य करते हो गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

बुलन्दशहर जिले में केवल तीन थानाध्यक्षों को पांच वर्ष से अधिक कार्य करते हो गया है। किसी अन्य सब-इन्सपेक्टर को पांच वर्ष से अधिक कार्य करते नहीं हुआ है। इस जिले में कोई ऐसा दरोगा नहीं है जिसे वहां दस वर्ष से अधिक कार्य करते हो गया हो।

बिना डाक्टरों के अस्पताल

*२८—श्री भानुप्रतापसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में एलोपेथी पद्धति के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने चिकित्सालय हैं और उनमें कितनों पर डाक्टर मौजूद नहीं हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस प्रदेश में ९२८ पुरुष और ७६ महिला एलोपैथिक चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिनमें से २१८ पुरुष तथा ६२ महिला चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं।

†वर्ष १९६९ के आंकड़े केवल ६ माह अर्थात जनवरी, १९६९ से जून, १९६९ तक के हैं।

न्योतनी बस सर्विस की मांग

*२९---श्री चिरंजीलाल (जिला एटा)---

क्या सरकार यह बतायेगी कि लखनऊ-हसनगंज वाया न्योतनी, मोहान, जिला उन्नाव मार्ग पर चल रही सभी प्राइवेट बसों के परमिट न्योतनी जाने के हैं, परन्तु न्योतनी में केवल २ ही बसें चल रही हैं, जिससे न्योतनी तथा उसके पड़ोसी गांव के निवासियों को लखनऊ तक यात्रा करने में परेशानी उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो बाकी प्राइवेट बसों का न्योतनी न जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार वहां के निवासियों की परेशानी को देखते हुए प्राइवेट बसों में वृद्धि करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

लखनऊ हसनगंज वाया मोहान जिला उन्नाव मार्ग पर चल रही सभी प्राइवेट बसों के परमिट न्योतनी जाने के हैं परन्तु यह समझ कर कि न्योतनी एक छोटा सा कस्बा है, आर० टी० ए०, लखनऊ ने टाइम टेबुल बनाते समय केवल दो ही गाड़ियों को न्योतनी तक जाने के लिये टाइम टेबुल में रखा। इस प्रबन्ध के विरुद्ध जनता से अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

*३०---श्री चिरंजीलाल---

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम न्योतनी, जिला उन्नाव से उन्नाव जाने के लिये कोई बस का साधन उपलब्ध नहीं है तथा यात्रियों को काफी दूर चल कर बस पकड़ना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार न्योतनी से प्राइवेट अथवा राजकीय रोडवेज बस की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

उन्नाव, मलिहाबाद द्वारा अजगैन, न्योतनी, हसनगंज मार्ग के लिये तीन परमिट दिये गये थे परन्तु उन परमिटों पर चलने वाली बसें प्रायः मोहान तक ही जाती हैं और न्योतनी होकर नहीं जाती हैं। उन बसों के स्वामियों को एम० वी० ऐक्ट की धारा ६० के अन्तर्गत नोटिस दिया गया है उनका परमिट उन्नाव से न्योतनी तक न जाने के कारण क्यों न रद्द कर दिये जायं। इस समय उक्त मार्ग के लिये दो अन्य प्रार्थना-पत्र स०प० प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं अजगैन से न्योतनी जाने वाली सड़क पर रोडवेज की बसें चलाने का अभी कोई विचार नहीं है।

देवरिया जिले में हिस्ट्रीशीटरों को असलहा लाइसेंस देने की शिकायत

*३१---श्री हरिवंश (जिला देवरिया)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के किन-किन थानों में हिस्ट्रीशीटर शुदा व्यक्तियों को बंदूकों व रिवाल्वरों का लाइसेंस १ जनवरी, १९६८ से १५ जून, १९६९ के बीच दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

देवरिया जिले में १ जनवरी, १९६८ से १५ जून, १९६९ के बीच किसी हिस्ट्रीशीटर को बन्दूक व रिवाल्वर का लाइसेंस नहीं दिया गया है।

*३२---श्री हरिवंश---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी डाका, चोरी तथा कत्लों में उक्त अवधि में मुल्जिम हुए ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों को लाइसेंस देने का कारण क्या था और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रश्न नहीं उठता।

नसबन्दी तथा लूप

*३३--श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री रामधारी (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बतायेगी कि परिवार नियोजन के प्रारम्भ से प्रदेश में अब तक कितने पुरुषों की नसबन्दी हो चुकी है तथा कितनी महिलाओं को लूप लगाये गये हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जून, १९६९ के अन्त तक ५,१३,०१३ पुरुषों की नसबन्दी हो चुकी है तथा ३,५९,७७५ महिलाओं को लूप लगाये गये हैं ।

डेरापुर तहसील में वृक्षारोपण

*३४--चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत कितना क्षेत्रफल तहसील डेरापुर का ऐसा है जिस पर वन विभाग का वृक्षारोपण का कार्य आज तक नहीं हो पाया है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील डेरापुर में ७५७९-०० एकड़ क्षेत्रफल ऐसा है जिस पर अभी वन विभाग का वृक्षारोपण नहीं हो पाया है ।

डेरापुर थाने में नन्दपुर की डकैती में कथित गलत चालान

*३५--चौधरी रामपालसिंह यादव--

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत पुलिस थाना डेरापुर के ग्राम नन्दपुर में सन् १९६८ में पड़ी एक डकैती में नफीसुल नाम के एक ऐसे व्यक्ति का भी चालान किया गया जो घटना की रात में उसी थाने से संबंधित किसी अन्य अभियोग में कानपुर जिला जेल में बन्दी था ? यदि हां, तो संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध इस गलत काम के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

कानपुर जिले के अन्तर्गत थाना डेरापुर के ग्राम नन्दपुर में अगस्त, १९६८ में डकैती पड़ी थी। उस डकैती से संबंधित मुकदमें में श्री नफीसुल नामक व्यक्ति का चालान नहीं किया गया। थानाध्यक्ष के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*३६--श्री सर्वसुखसिंह (जिला इलाहाबाद)--

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बारा थाने में टैक्सी ड्राइवर का शव मिलना

*३७--श्री सर्वसुखसिंह--

क्या राज्य सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि गत फरवरी, १९६९ में इलाहाबाद जनपद के बारा थाने के हल्के में क्या कोई शव एक टैक्सी में मिला था ? यदि हां, तो उस पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

दिनांक १८-२-६९ को थाना बारा, जिला इलाहाबाद के क्षेत्र में एक टैक्सी ड्राइवर का शव सड़क के किनारे एक गड्ढे में मिला था। सूचना मिलने पर थाने पर धारा ३०२ भा० दं० वि० क अन्तर्गत एक अपराध अंकित किया गया और जांच की गई। जांच से चार अभियुक्ति प्रकाश के आए जिनमें से २ गिरफ्तार किए जा सके। इन दो में से बाद में एक धारा १६९ जा० फौ०

के अन्तर्गत रिहा किया गया तथा दूसरे के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई जहां मामला विचाराधीन है ।

शेष २ अभियुक्त फरार हैं जिनकी तलाश जारी है ।

औद्योगीकरण को प्रोत्साहन

*३८--श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बम्बई में सरकार कोई अपने सूचना विभाग की एक शाखा खोलने पर विचार कर रही है, जिसके द्वारा बम्बई के सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और सरकारी सहूलियतों के बारे में जानकारी हो सके ? यदि हां, तो सूचना विभाग की शाखा बम्बई नगर में कब तक खुलेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

बम्बई में या किसी और जगह सूचना विभाग की शाखा खोलने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिय उत्तर प्रदेश शासन ने कुछ सहूलियतें दी हैं जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दी गई है । इस प्रकार के विज्ञापन समय-समय पर प्रकाशित किये जाते रहेंगे जिससे उद्योगपतियों को हमारी दी हुई सहूलियतों के बारे में पूरी जानकारी होती रहेगी ।

पुलिस अधिकारियों की चरित्र पुस्तिका में प्रविष्टि

*३९--श्री जगदीश गांधी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस अधिकारियों के करेक्टर रोल में टिप्पणियां विभागीय अधिकारियों द्वारा दी जाती हैं या जिलाधीश द्वारा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

पुलिस अधिकारियों की चरित्र पंजी में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रविष्टि की जाती है । जिलाधीश द्वारा नहीं । जहां तक पुलिस अधीक्षक का संबंध है उनके चरित्र पंजी में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त मंडल के आयुक्त भी टिप्पणी देते हैं ।

लखनऊ में मुस्लिम सेना बनाने के लिये इश्तहार

*४०--श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १८ से २२ जून, १९६९ के बीच लखनऊ नगर में कोई मुस्लिम सेना बनाने हेतु पोस्टर चिपकाये गये थे ? यदि हां, तो पोस्टर छापने वाला प्रेस कौन था और किस संस्था द्वारा यह पोस्टर निकाले गये और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

१८ जून, १९६९ की रात को "फसादात के दौरान" शीर्षक के उर्दू पोस्टर चिपकाए हुए देखे गए जिनमें मुद्रक का नाम "समता प्रिन्टिंग" लिखा था तथा प्रकाशक मुस्लिम सेना का प्रचार विभाग पोस्टर का विषय आपत्तिजनक नहीं था इसलिए किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

रुहेलखंड में चीनी मिलों पर बकाया

*४१—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुहेलखण्ड डिवीजन में चीनी की मिलों पर ३१ मार्च, १९६९ तक सरकार का कितना धन (ड्यूज) बकाया है ? और सरकार ने उस बकाया को वसूल करने के लिये मिल मालिकों से कोई समझौता किया है ? यदि हां, तो वह क्या और उस पर किस हद तक अमल हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रुहेलखण्ड डिवीजन में चीनी की मिलों पर ३१-३-६९ तक सरकार का उपकर एवं क्रयकर का ८४-११ लाख रुपया बकाया था, जिसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है। सरकार ने बरेली चीनी मिल को बकाया क्रयकर अदा करने के लिए (५०,००० रु० प्रतिमाह का भुगतान करने की सुविधा दी है। पहली किस्त मार्च १९६९ में देय हुई।) बरेली चीनी मिल ने मार्च तथा अप्रैल, १९६९ में क्रयकर की और समझौते के अनुसार ५०,००० रुपया प्रति मास भुगतान किया। मई तथा जून की किस्तों के भुगतान हेतु मिल ने शासन से प्रार्थना की है कि इन दोनों किस्तों को दिसम्बर, १९६९ तक भुगतान करने की अनुमति दी जाय क्योंकि फ़्री सेल कोटा की चीनी के दामों में एकदम गिरावट होने से उनका उपलब्ध धन भी एकाएक कम हो गया जिससे उनकी भुगतान क्षमता गिर गई। यह प्रार्थना शासन के विचाराधीन है।

अमरोहा चीनी मिल ने बकाया की वसूली के लिए एकरारनामा (undertaking) दिया है कि वह अगले तीन वर्षों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बकाया की पूरी अदायगी करेगी। इस क्रम से वसूली अगले क्रशिंग सीजन से आरम्भ होगी। यह एकरारनामा सरकार को मान्य है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०५ पर)

प्रसाद टाकीज, बरेली को लाइसेंस देने के विरुद्ध शिकायत

*४२—श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या अध्यक्ष, नगरपालिका, बरेली ने प्रसाद टाकीज, बरेली को लाइसेन्स दिये जाने के विरुद्ध कोई शिकायत सरकार को हाल ही में भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां। इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

नचलौल थाने का कुछ भाग खड्डा थाने में मिलाने का सुझाव

*४३—श्री दीपनारायणमणि—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निचलौल थाना, जिला गोरखपुर के अनेक गांव बड़ी गण्डक के उत्तरी छोर में आबाद हैं, जहां पुलिस की कोई भी व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या इन गांवों का देवरिया जिले के खड्डा थाना में सुरक्षा के लिये मिलाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह सही नहीं है कि जिला गोरखपुर के उन गांवों में, जो बड़ी गण्डक के उत्तरी छोर में आबाद है, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय सदस्य ने इस सिलसिले में पुलिस महानिरीक्षक को लिखा है और उनके सुझाव पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विचार प्राप्त किये जा रहे हैं ।

पर्वतीय क्षेत्रों में मार्गों का राष्ट्रीयकरण

*४४—श्री गोपाल दत्त—

क्या सरकार यह बतायेगी कि पर्वतीय क्षेत्र में किन-किन मोटर मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है और उनका यात्रा भाड़ा किस दर पर निर्धारित किया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित मार्गों के राष्ट्रीयकरण किये जाने की योजनाएं शासन के विचाराधीन हैं :

१—अल्मोड़ा-बागेश्वर

२—अल्मोड़ा-पिथौरागढ़

३—टनकपुर–पिथौरागढ़–धारचुला

इन मार्गों पर यात्रा भाड़ा की दर वही होगी जो उस समय पहाड़ी मार्गों के लिये नियमानुसार प्रचलित होगी ।

कुण्डा तहसील के परगनाधिकारी का मुख्यावास

*४५—श्री जैराम (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा के मुख्यावास पर निकट भविष्य में क्या परगनाधिकारी का भी मुख्यावास कायम किये जाने की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं ।

नन्द प्रयाग-घाट मोटर मार्ग

*४६—श्री शेरसिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्द प्रयाग-घाट मोटर मार्ग को जिसके विस्तार नव निर्माण की योजना थराली तक है, घाट तक ही क्यों बनाकर समाप्त कर दिया गया है ?

चौधरी गिरधारी लाल—

नन्द प्रयाग से घाट तक ही मोटर मार्ग बनाने की योजना थी । थराली तक मोटर मार्ग बनाने की कोई योजना स्वीकार नहीं की गई थी, अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

चमोली जिले में भिडर नदी पर पुल बनाने में विलम्ब

*४७—श्री शेरसिंह दानू—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में भिडर नदी पर मेल खेत नामक स्थान के निकट १९६५ से पुल निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है जबकि कार्य पूरा करने की अवधि ९ माह थी ? यदि हां, तो सरकार इस पुल के निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने की अब क्या व्यवस्था कर रही है ?

चौधरी गिरधारी लाल—

इस पुल के बनने में देर इस कारण हो रही है कि यह एक काफी दुर्लभ स्थान पर बनाया जा रहा है जहां सामान इत्यादि ले जाने की कठिनाई है परन्तु अब चेष्टा की जा रही है कि इसका काम शीघ्र पूरा किया जाय ।

सीतापुर जिले में अमीनों के विरुद्ध गबन के मामले

*४८—श्री अवधेशकुमार (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक २४ जुलाई, १९६५ से २५ नवम्बर, १९६५ के बीच जिला सीतापुर के पिसांवा व महोली थाना में अमीनों के विरुद्ध गबन की कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस अवधि में दो अमीनों के विरुद्ध गबन की तीन रिपोर्टों, जिनमें से दो थाना बिसवां तथा एक थाना महोली से संबंधित थी, थाना मिसरिख जिला सीतापुर पर दर्ज कराई गई थी। इन रिपोर्टों के आधार पर संबंधित थानों पर मुकदमें दर्ज करके जांच प्रारम्भ की गई। तीनों मामलों में जांच अभी हो रही है ।

अतारांकित प्रश्न

बरेली जिले में अपराध

१—श्री रामसिंह खन्ना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में अक्तूबर, १९६८ से जून, १९६९ तक कितनी डकैतियां पड़ीं, कितने कत्ल हुये और कितनी राहजनी हुईं ? इनमें से कितनों पर मुकदमें चलाये गये और कितनों में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८०६ पर)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर निर्धारण (संशोधन) नियमावली, १९६६†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १००७-सी/११-ग-५(१)—२-६६, दिनांक २२ दिसम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर निर्धारण (संशोधन) नियमावली, १९६६, को, जो उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अधिनियम, १९६२ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १८ दिसम्बर, १९६७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आसुधार शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान) नियमावली, १९६७†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ओ-३७५—एच/२३ (एच-बी)-६५, दिनांक २२ जुलाई, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (आसुधार शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान) नियमावली, १९६७ को, जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १८ दिसम्बर, १९६७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री—कर (द्वितीय संशोधन) नियम, १९६६†† तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६†

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं (क) विज्ञप्ति संख्या एस-टी-९४९/१०—९००(३४)-६२, दिनांक १६ अप्रैल, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियम १९६६ को, तथा

(ख) विज्ञप्ति संख्या एस-टी-५३११/१०—९०० (८)-६५, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय) संशोधन नियमावली, १९६६ को, जो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार दिनांक १८ दिसम्बर, १९६७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७†

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४०२३-बी/३३—२—७९—६७, दिनांक १७ जुलाई, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६७ को जो यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १८ दिसम्बर, १९६७ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई ।

††छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७†, उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६† तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (संशोधन) नियमावली, १९६७†

नियोजन मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से विज्ञप्ति संख्या ६०२६-बी/३३-२—१(३८)—६६, दिनांक ६ अक्तूबर, १९६७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यवाहियों का संचालन), (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९६७ को तथा विज्ञप्ति संख्या ५३७८-बी/३३—५—आर-६२, दिनांक २० दिसम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केंद्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, १९६६ को, तथा विज्ञप्ति संख्या ३३९८-वी-/३३—२—६७, दिनांक २९ जून, १९६७, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (संशोधन) नियमावली, १९६७ को, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक १८ दिसम्बर, १९६७ को सदन के पटल पर रखी गयी थीं और जिनके सदन के पटल पर रक्खे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जब मैं सदन में आने लगा और उठा ही था कि इतने में माननीय अनन्तराम जायसवाल ने विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में चिट्ठी भेजी थी । उसको मैं पढ़ नहीं सका हूं क्योंकि समय हो चुका था और मुझे यहां पहुंचना था। इसलिये मैं इसे कल लूंगा । सेक्रेटरी साहब को यह १०.२९ बजे मिला और उस समय खड़ा हो गया था सदन में आने के लिये इसलिये नहीं पढ़ सका ।

सीनियर सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस, वाराणसी, श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—

दूसरा यह है कि मैंने कहा था कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है उसको लूंगा लेकिन इसमें मुझे अड़चन मालूम हुई कि अखबार जिनको मैंने पढ़ा उनमें कुछ थोड़ा-थोड़ा भेद है। इसलिये मैं चाहता था कि जिस शख्स ने स्टेटमेंट दिया है उसको पूंछ लिया जाय और उससे वक्तव्य निश्चित किया जाय । उससे पूछा जाय कि तुमने क्या कहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे उक्त अधिकारी से निश्चित करा लें कि शब्द उन्होंने क्या कहे या नहीं । और कहे तो वे क्या थे उनकी यहां निश्चित चीज आ जाय तब मैं निर्णय दूं तो ठीक होगा ।

एक प्रश्न उठाया था माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी ने कि लोहिया जी के खिलाफ़ एक अखबार में भाषण छपा । उन्होंने ध्यान दिलाया कि आपने यह कहा कि जैसा सुना है । वह अगर कापी दे देते तो मैं बहस करा देता । लेकिन अखबार में रिपोर्ट आई है इसके ऊपर म इजाजत नहीं देता । प्रश्न उठा और क्योंकि मैंने इजाजत दे दी थी तो मेरे पास अधिकार है नियम ३१३ के मताबिक जिसमें कोई परिस्थिति ऐसी हो जिसके बारे में नियम में

---

†छापी नहीं गयी ।

*३० जुलाई १९६९ की कार्यवाही से

कोई उल्लेख न हो । अब इसके ऊपर चर्चा हो गई है । एक बात रह गई तो मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि दूसरी तरफ़ का मामला भी आ जाय तो कहने को नहीं रहेगा कि हमने यह नहीं कहा था । इसलिये कृपा करके उनका स्टेटमेंट जो बनारस में हुआ है । वहां उनकी तरफ से क्या कहा गया वह आ जाना चाहिये । तब मैं अपना फ़ैसला दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको प्रस्तुत किया था, जिसको आपने पढ़ दिया और निर्णय नहीं हुआ । आप चाहते हैं कि संबंधित अधिकारियों के बयान आ जायं । मैंने विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न की एक कापी उनको भी भेज दी थी क्या उनका कर्त्तव्य नहीं है ? यदि उनके एक वक्तव्य को लेकर इस सदन में इतना समय लगा । इतनी बातें यहां हुई तो क्या उनका कर्त्तव्य नहीं था कि वह स्पष्टीकरण करते । किन-किन व्यक्तियों के स्पष्टीकरण आप मानेंगे । सरकार के अधीन अधिकारी हैं। सरकार उनके वक्तव्य को स्वयं प्रस्तुत कर सकती है । इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इस बात के लिए उनको समय दिया जाय । यह उनका कर्त्तव्य था, सरकार का कर्त्तव्य था कि जो सही वक्तव्य था वह आ जाता ।

श्री अध्यक्ष—

सरकार स्वयं जानकारी प्राप्त कर वक्तव्य दे देती तो अच्छा होता । नहीं दिया, तो उसे जगा रहा हूं ।

श्री उदितनारायण (जिला फ़तेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् ने अभी यह फरमाया कि मुख्य मंत्री जी उनसे जानकारी हासिल करके आपको बता दें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया सही नहीं होगी । उसका कारण यह है कि यह शिकायत इस सदन के सामने आने के पश्चात् इसके बारे में आप जानकारी करेंगे । आप सीधे उन्हें बुला कर, पत्र के द्वारा, चैम्बर में बुला कर, जिस तरह से मुनासिब समझें आप अपने को आश्वस्त करने के लिए कार्यवाही करें, न कि माननीय मुख्य मंत्री उनको बुला कर लायें । चूंकि वह सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिये वह थर्ड परसन की संज्ञा में आयेंगे । थर्ड परसन पर विशेषाधिकार की कार्यवाही करने में जो प्रक्रिया काम में आती है वही आनी चाहिये ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

राधेश्याम शर्मा ने जो किया, वह इन डिस्चार्ज आफ़ आफ़िशल ड्यूटीज नहीं किया । इसलिये सरकार से संबंध नहीं है। व्यक्तिगत बयान है उनका । श्रीमन् जी उनसे जानकारी प्राप्त करें । मुख्य मंत्री कैसे पिक्चर में आते हैं ? महज इसलिए कि वह सरकारी अधिकारी हैं, अगर सरकारी अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से काम किया है तो मुख्य मंत्री बीच में नहीं आते ।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

एक व्यवस्था का प्रश्न मैं भी उठा रहा हूं । आपकी व्यवस्था के बाद क्या हमारे लिये यह उपयुक्त है कि हम इस संबंध में और चर्चा करें । और चर्चा सुनना चाहें तो हम को भी समय दें हम भी चर्चा करें । आपके निर्णय के पश्चात् फिर चर्चा करना अनावश्यक था ।

मख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

जहां तक आपने आदेश दिया वह तो शिरोधार्य है । लेकिन जब उधर से यह बात कही जा रही है कि आप स्वतः लिख कर या साक्षात्कार करके पूछ लें तो मुझे तो उसमें कोई आपत्ति

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

है नहीं । और अगर मेरे जरिये से पुछवाना चाहते हैं तो मुझे लिख कर दे दें मैं लिखित जवाब मंगवा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

तो ठीक है मतभेद नहीं रहा । मैं स्वयं जानकारी उक्त अधिकारी से प्राप्त कर लूंगा ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर श्रीमन् की रूलिंग ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धतियों के खिलाफ़ हो जाय, तो इस सदन में किसी माननीय सदस्य को उसके संबंध में आपकी उस रूलिंग को रिवायज करने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष---

मेरे कमरे में रिवाइज करने के लिए कह सकते हैं। मैं रिवाइज कर सकता हूं। मैंने रिवाइज किया भी है । अगर मैं कोई गलत रूलिंग दे दूं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, मैं गलती कर सकता हूं। हो सकता है कि मैंने गलती की तो उस वक्त सदन के सामने आप यह नहीं कह सकते कि आप गलती कर रहे हैं। आप को चाहिये कि आप कहें कि मैं आप से बात करना चाहता हूं। मैंने पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस देखी है। उसके बाद कमरे में जाकर अध्यक्ष से व्यवस्था संशोधन करने के लिए कह सकते हैं।

श्री उदितनारायण---

मेरा यह अर्थ कदापि नहीं था कि श्रीमन् की रूलिंग के खिलाफ कुछ कहूं या कोई कार्य हो ।

श्री अध्यक्ष---

आपका सुझाव मैंने स्वीकार कर लिया है । मैंने उनको इसलिये कहा था कि वह गवर्नमेंट सर्वेन्ट था, इसलिये मुख्य मंत्री जी जानकारी हासिल कर के दें, लेकिन अब चूंकि उनको कोई एतराज नहीं है, इसलिये मैं उनसे खुद जानकारी प्राप्त कर लूंगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

अभी, एक वक्तव्य जो किसी अखबार में छपा है वह विशेषाधिकार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया । उसके संबंध में आपने आदेश दिया कि मुख्य मंत्री इसके बारे में जांच करके आपको बतायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब तो यह फैसला हो गया कि मैं पूंछूगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---

वह तो सरकारी कर्मचारी था इसलिये उसके बारे में आप उनके माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अवसर भी आ सकता है कि कोई व्यक्ति अखबारों में अपना वक्तव्य दे सकता है, जिसके बारे में सदन को कोई जानकारी न हो । ऐसी परिस्थिति में आपके सामने क्या प्रक्रिया होगी । इसलिये मैं यह चाहूंगा कि यह प्रश्न जहां से उठा है वहीं समाप्त कर दिया जाये और इस तरह आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल बेकार सी लगती है। यहां पर आप उन्हें बुलाकर पूंछ-तांछ करेंगें, इससे भी अच्छा हो कि यदि आवश्यक हो तो आप उनको सदन के अन्दर भी उपस्थित करें।

(व्यवधान)

श्री भगवतीसिंह बिशारद—

मैं अब दूसरी व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैं एक वैधानिक चर्चा की व्यवस्था आपके सामने उठाना चाहता हूं। राधेश्याम शर्मा सरकारी कर्मचारी हैं और उनके बारे में मैं इस विषय पर गवर्नमेंट कांडेक्ट रूल्स पढ़ना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया, आपकी बात मान ली। उदितनारायण जी बैठे हैं और बाजपेई जी भी बैठी हैं। अब आप बेकार समय न बरबाद करें।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

गवर्नमेंट सरवेंट्स श्रीमन्, कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं दे सकता है, यह इसमें लिखा है। (व्यवधान) कोई भी राजपत्रित कर्मचारी को किसी भी प्रेस में जाकर स्टेटमेंट देने का अधिकार है या नहीं, यह देखते हुए तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इसमें लिखा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो आप पढ़ना चाहते हैं, हमें दे दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े ही महत्व की बात है जो मेरे दोस्त उठा रहे हैं वह आपको लाकर दिखला देंगे। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि यह इतना महत्वपूर्ण कांड है, जिसपर सदन के सभी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि कुछ दिनों के लिये एक "सतिया आवर" फिक्स किया जा सके ?

श्री उदितनारायण द्वारा डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी के विरुद्ध तथा डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी द्वारा श्री उदितनारायण व श्री शिवराजसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इस समय सामने नहीं है। अब जो प्रश्न विशेषाधिकार का माननीय उदित नारायण जी ने उठाया था, उसके बारे में श्रीमती बाजपेयी पहले अपना वक्तव्य देंगी।

श्री उदितनारायण—

एक व्यवस्था के प्रश्न पर मैं यह चाहता हूं कि पहले आप मुझे एक मिनट सुन लें, उसके बाद माननीय बहन जी को जो कुछ कहना हो वह कह लें ।

श्री अध्यक्ष—

बात आपने पहले उठाई थी, उसका स्पष्टीकरण वे पहिले दे दें । पहले मैं उनको सुन लूं और आप सुन लें ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे फिर से इस प्रश्न पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समय दिया । माननीय उदित नारायण शर्मा ने दिनांक २५ के मेरे भाषण के बारे में यह प्रश्न उठाया था कि मैंने जानबूझ कर माननीय चौधरी चरण सिंह के विशेषाधिकार की अवहेलना की है और उसके संदर्भ में उन्होंने "नेशनल हेराल्ड" का जो सम्बन्धित अंश है उसके साथ में संलग्न किया है । उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है— "श्रीमती बाजपेयी ने आरोप लगाया है कि श्री चरण सिंह ने अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में श्रीमती करतारी देवी के पति के कथित हत्यारों की सहायता करने हेतु अपने मुख्य मंत्री पद का दुरुपयोग किया ।" उनका एक स्पेसिफिक चार्ज था । इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहती हूं कि मैंने अपने भाषण में कहीं पर यह नहीं कहा है कि माननीय चरण सिंह ने अपने मुख्य-मंत्रित्वकाल में यह बात की । मैंने यह कहा था कि श्रीमती करतारी देवी ने हमारे मुख्य मंत्री चन्द्र भानु गुप्त जी के पास-मैंने उस दिन नाम नहीं लिया था—एक पत्र लिखा था कि उसके पति की हत्या इन दोनों ने की । मैंने उस पत्र को पढ़ कर सुनाया था कि उन तथा-कथित हत्यारों की सहायता में चौधरी साहब लगे हैं और सरकारी वकील श्री ऋषिराम जी को जो पत्र उन्होंने लिखा था उसको मैंने पढ़कर सुनाया था तो मैं चाहती हूं कि सदन के सामने जो घटना हुई और जो भाषण मैंने दिया वह सदन की कार्यवाही का अंग है उसको पढ़कर सुना दें तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा कि टेकनीकली मैंने कहीं पर मुख्य मंत्री का शब्द चौधरी साहब के लिये इस्तेमाल नहीं किया । असल में विशेषाधिकार का प्रश्न उठता ही नहीं है और न मैंने सदन का ही अपमान किया बल्कि मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस समय मैंने यह कहा, उस समय माननीय उदित नारायण जी शर्मा और शिवराजसिंह जी सदन में उपस्थित थे । माननीय सदस्य के सामने मैंने बात कही । उस वक्तव्य के बाद उसी वक्त सदन में प्रश्न उठाया जा सकता था, लेकिन उसी वक्त न उठाकर बाद में अखबार की रिपोर्ट के ऊपर मेरे खिलाफ यह प्रश्न उठाया गया और फिर जो अखबार की रिपोर्टिंग है, उसके हिसाब से मैं समझती हूं कि जानबूझकर मेरे खिलाफ इस तरह का प्रचार किया गया । और इस तरह से इस प्रश्न को उठाकर चौधरी चरण सिंह की पोजीशन को सेफ करने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिये मेरी मा । हानि हुई है । अखबारों में पढ़ने के कारण जो अवहेलना का प्रश्न उठाया, उससे यह अर्थ निकला कि मैंने कोई झूठी बात या असत्य बात सदन के सामने कही हैं । यह बात मैं कहना चाहती हूं कि सदन के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते और एक सदस्य होने के नाते जानबूझकर मेरे विशेषाधिकार की अवहेलना की गई है । मेरे वक्तव्य को तोड़ मरोड़कर अखबारों के आधार पर अगर यह कहा गया तो यह गलत है । जब माननीय सदस्य स्वयं उपस्थित थे तो तब उन्होंने स्वयं यहां पर इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाया ? अखबारों की कटिंग पर जाना उचित नहीं है । इस सिलसिले में इस सदन में समय-समय पर रूलिंग हुई है । मैं थोड़ा सा उद्धरण पढ़कर सुना देती हूं जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि उनका कहना कहां तक सत्य है । क्योंकि इस सदन की कार्यवाही को गलततौर पर किसी अखबार में छापना यह विशेषाधिकार की अवहेलना है आज उसके ऊपर गलत बयानी करना या उस पर टीका करना यह उससे भी अधिक विशेषाधिकारों की अवहेलना है । मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस समय माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित थे उस समय तो उठाया नहीं लेकिन अखबार का

हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि मैंने यहां पर गलतबयानी की है यह उससे भी अधिक विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है जो माननीय उदितनारायण जी और माननीय शिवराज सिंह के द्वारा निश्चय ही हुई है। आप उस पर विचार करें और विचार करके यह प्रश्न या तो इस सदन के सामने तय करें या विशेषाधिकार समिति को भेजें क्योंकि यह निश्चय ही हमारे विशेषाधिकारों की अवहेलना हुई है।

*श्री उदित नारायण—

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जिस रोज बहन राजेन्द्रकुमारी जी ने वक्तव्य यहां पर दिया था, उस रोज मैं सदन में उपस्थित था लेकिन मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि जिस संदर्भ में उन्होंने यह कहा था। यह तो किसी के लिये संभव नहीं है कि जो शब्द कहे गये वे याद रह सकें, लेकिन जो कुछ उनका आरोप था वह यह था कि माननीय चौधरी चरण सिंह ने या माननीय गुप्त ने अपने मुख्य मंत्री पद का दुरुपयोग किया, यह आरोप लगाया था। अब मैं आपके सामने एक घटना बतलाना चाहता हूं जिससे आपको मालूम हो जायगा कि माननीय चौधरी साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया है या नहीं। वह स्पष्ट रूप से इसी संदर्भ में बात चीत हो रही थी। हो सकता है जो प्रोसीडिंग में हो, उसमें यह बात न हो। जैसा वह कहती हैं कि वह आरोप नहीं लगा रही थीं तो अगर ऐसा है तो मेरे खिलाफ जो आरोप लगाया उसका उत्तर दे दूंगा लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, उस वक्त जो बात सदन में हो रही थी तो मैं मौजूद था। अगर उस समय मुझे आपत्ति होती तो मैं उस समय सदन में ही अपनी आपत्ति उपस्थित करता, लेकिन किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि जिस पत्र को वह पढ़ रही हैं उसमें तारीख कौन सी है और सारी बहस जिस तारीख के अन्दर हुई वह सब उसी से सम्बन्ध था कि चौधरी चरण सिंह ने कोई पत्र गवर्नमेंट लीडर को भेज दिया। मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न इसलिये उठाया कि वह उनके पास था। उसकी तारीख भी उनके पास थी। उनको बतलाना चाहिये था कि यह पत्र इस तारीख का है और इस संदर्भ में गया है जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री नहीं थे। यहां इस सदन में जिस वक्तव्य पर चर्चा हो रही है, उस विषय के संदर्भ में आप कोई बात कहेंगे तो यह समझा जायगा कि निश्चय ही उस पत्र के संदर्भ में यह बात कह रही हैं।

यहां पर जब मैंने यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था उसे श्रीमन् ने पढ़ा था जबकि राजेन्द्रकुमारी जी यहां पर नहीं थीं। उस समय श्रीमन् ने जो कुछ कहा था, यदि मुझे सही याद है, सब्जेक्ट टु करेक्शन, वह यह था कि यह जो उस रोज चर्चा हो रही थी तो मंत्रिपरिषद् के दुरुपयोग के संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे। तो श्रीमन् की धारणा थी कि जो आरोप और प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं वह मंत्रि पद के दुरुपयोग के लगाये जा रहे हैं। यदि मेरी भी यही धारणा बनी थी तो उसमें क्या गलती है? यह बड़ी विचित्र बात है, मैंने क्या तोड़ा मरोड़ा, वह तो श्रीमन् के सामने है और मैं जो कुछ कह रहा हूं और अखबारों में जो कुछ कहा जा रहा है, उसको जैसे तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की जा रही है वह प्रत्यक्ष है। आज जो उन्होंने कहा उससे मैं यह समझा कि यद्यपि यह बात नहीं कही गयी थी, लेकिन किसी अखबार के पास हम गये और कहा कि ऐसा लिखा जाय और अगर लिखा जायगा तो फिर हमको मौका मिलेगा कि हम दोबारा उठें और सफाई दें। श्रीमन्, यह अखबार किसका है, मैं इस पर नहीं जाता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लांछन लगाया जा रहा है क्या यह सही है।

फिर जो यहां पर भाषण हो रहे थे उनको यहां पर गैलरी में जो अखबार के दोस्त बैठे हुये हैं वह लिख रहे थे। मेरी धारणा यह नहीं थी कि अखबार ने गलत लिखा है, अगर उस प्रश्न को मैंने उठाया तो कौन सी गलती की। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय की भी धारणा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उचित नारायण]

बनी थी कि जो आरोप लगाये गये उसमें चरण सिंह जी ने अपने मंत्रिपद का दुरुपयोग किया, ऐसा मालूम होता है, ऐसा उस पत्र में लिखा था। मेरे सामने तो वह पत्र नहीं था और न सारी प्रोसीडिंग्स भेजी जाती है, केवल जिस माननीय सदस्य का भाषण होता है, उसी को उसके पास भेजा जाता है। यह असंभव नहीं है कि जो बात कही गयी वह लिखने से रह जाय।

तो जहां तक मेरा संबंध है, यदि श्रीमन्, मुझसे उसका जवाब चाहेंगे तो मुझको कुछ समय देंगे ताकि मैं तैयार हो कर कुछ कह सकूं। अब तो एक प्राइमा फैसाई बात कहना चाहता हूं। कि मैंने शिकायती पत्र में लिखा था कि माननीया राजेन्द्र कुमारी जी ने सदन का अवमान इसलिये किया है कि उनके पास जो पत्र था उसमें एक तारीख लिखी थी, जिससे यह निश्चित था कि यह मुख्य मंत्री काल से संबंधित नहीं है और यह पत्र माननीय सदस्यों के सामने नहीं था इसलिये वह यह नहीं समझ सकते थे कि यह किस काल की घटना के बारे में कहा जा रहा है। इसलिये क्योंकि उनकी जानकारी में था कि तारीख क्या है, दूसरों की जानकारी में नहीं था, इसलिये क्या यह उनको हक था कि वह दूसरों को गुमराह करें? यहां पर जो उनका भाषण हो रहा था वह सारे सदन के सामने हो रहा था, यह सम्भव नहीं है कि मैं उनकी बात को कह करके सदन को गुमराह कर सकूं। इसलिये उसमें अवमान का कोई प्रश्न मेरी राय में नहीं उठता है। यदि आप मेरे को निदेश देंगे तो मैं कल, परसों जब भी आप कहेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। साथ ही नेशनल हेराल्ड पर भी वह होना चाहिये। यदि यह बात सही होती है तो सबसे पहले मेरे खिलाफ हो सके या न हो सके, लेकिन नेशनलहेराल्ड के खिलाफ जरूर कार्यवाही होनी चाहिये और मेरे लिये जो भी श्रीमन् की आज्ञा हो, वह शिरोधार्य होगी।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मान्यवर, मैं यह प्रार्थना करना चाहता था कि इस संबंध में माननीय शिवराजसिंह जी यदि कुछ कहना चाहें तो वह कह लें, फिर हमको कहने का मौका दें।

श्री शिवराजसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में यदि किसी अखबार में कोई खबर किसी सदन की कार्यवाही के संबंध में या अन्य किसी बाहरी घटना के संबंध में ऐसी छपे, जिससे प्राइमाफैसाई किसी माननीय सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तो निश्चित रूप से वह खबर काफी है, सफीशियेंट है। एक सदस्य के लिये धारा ६३ के अन्दर, आपकी नियमावली के अनुसार विशेषाधिकार का सवाल उठाने के लिये। श्रीमन्, अखबार की खबर काफी है, इस प्रश्न को ग्राह्य करने के लिये। मैं उसकी सपोर्ट में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १४२ (पन्द्रहवां एडिशन) से पढ़ना चाहता हूं।

".....Where complaints have been made that, according to a report in a newspaper, defamatory statements concerning the House or some Member have been made at a meeting, public or other, or that threats have been uttered against a Member, the House has sometimes resolved that the words or other act reported to have been spoken or done constitute a breach of the privileges of the House".....

".....In another instance, the proceedings of a board of guardians as reported in a newspaper were adjudged a breach of privilege."

श्रीमन्, पार्लियामेंट में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, जिनमें एक अखबार में माननीय सदस्य के खिलाफ कुछ खबर छपी थी जिससे कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई थी। वहां पर बोर्ड आफ गार्जियन्स की प्रोसीडिंग्स छपी थीं अखबार में और वह इस प्रकार की थीं कि उससे किसी माननीय सदस्य का अवमान होता था। उस अखबार में छपी खबर के आधार पर ही वहां यह स्वीकार कर लिया गया कि यह ब्रीच आफ प्रीविलेज है।

तो मेरा निवेदन है कि श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी ने जो कहा और जो अखबार में पढ़ा गया उससे प्राइमाफेसाई माननीय चरण सिंह जी के विशेषाधिकार की अवहेलना सिद्ध हो जाती है। इसलिये आप नियमावली के नियम ६५ के अन्तर्गत स्वीकार करें। उसमें है "....परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेखों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायत कर्त्ता को भी सुन सकेंगे।"

अब आपने उनको भी सुन लिया है। इसलिये मैंने जो पढ़ कर सुनाया, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार हमको इसका पूर्ण अधिकार था और उसी के अनुसार हमने इस प्रश्न को उठाया है। अखबार में छपी हुई खबर श्रीमन्, बहुत काफी है बीच आफ प्रीविलेज के सवाल को उठाने के लिये।

अब मैं दूसरे प्रश्न के संबंध में, माननीया राजेन्द्र किशोरी जी ने जो मेरे खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

उनका नाम राजेन्द्र कुमारी है आप बार-बार राजेन्द्र किशोरी कह रहे हैं।

श्री शिवराजसिंह—

मेरा तात्पर्य श्रीमती राजेन्द्र कुमारी से है। मान्यवर, प्रश्न के उत्तर देते हुये श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी ने यह प्रश्न उठाया कि क्यों न विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जब यह डिबेट हो रही थी तब मैं मौजूद नहीं था। श्रीमन्, आपकी विधान सभा की कार्यवाही रोज पूर्णतया छप नहीं पाती है। इसलिये किसी भी माननीय सदस्य को यह अवसर प्राप्त नहीं है कि वह सदन में यदि उपस्थित न हो तो जाकर देख ले कि किस माननीय सदस्य का उस रोज के भाषण का वक्तव्य क्या था। मान्यवर, मैं निश्चित सूचना के आधार पर कह रहा हूं कि आज कल आपके सदन की कार्यवाही रोज मर्रा पूर्णतया छप कर तैयार नहीं होती है और जब मैंने इस सम्बन्ध में देखने की चेष्टा की तो मुझे दूसरे रोज वह पढ़ने को मिली है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमको ऐसा अधिकार दें कि जब सदन की कार्यवाही छप कर तैयार नहीं होती है तो श्रीमन् हमको अखबारों की खबरों पर विश्वास करना पड़ेगा। उनका सहारा लेना पड़ेगा। मान्यवर, ऐसा करने में हमने अपने केवल कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है और हमारा कोई ऐसा मतलब श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी की अवहेलना का नहीं है। उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेना के शिकार के लिये निशाना गलत चुना। वह जानती हैं कि यह अखबार में गलत छपा है। वे पुरानी सदस्या हैं इस सदन की। वह यह भी जानती हैं कि अखबारों में गलत छपना एक बहुत बड़ी विशेषाधिकार की अवहेलना है और सदन का अपमान है। श्रीमन्, उनको नेशनल हेरालड के एडीटर को या उनके कारेस्पान्डेन्ट को, जिनको आपने यहां बैठने की इजाजत दी है, अपना निशाना चुनना चाहिये और हमको चुनना उनका बिल्कुल गलत है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, मैं अनुग्रहीत हूं कि श्रीमान् ने हम लोगों को समय दिया। मुझे बहुत दुःख है कि हमारे माननीय साथी पं० उदितनारायण शर्मा ने इन मोटी चीजों की तरफ ध्यान न देकर एक ऐसे विवाद में पड़ जाना पसन्द किया, जिसका कोई अधिकार इस सदन को नहीं है। जहां तक हमारे दूसरे साथी साहब का सवाल है वह बैठी भी हैं। मैंने बार-बार उनसे यह कहा था कि वह कृपा करके बता दें कि वह कौन सा चैप्टर है। वे क्या चीज पढ़ रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है श्रीमन् कि मुझे छोटी चीज पर कभी-कभी बड़ा शुबहा होता है। तथा मुझे बहुत सारी चीजों

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

का स्मरण हो आता है। मुझे बता दें कि चैप्टर नं० ८ कम्प्लेन्ट्स फाउन्डेड आन डाकुमैन्ट्स में से आपने एक छोटे वकील या बड़े वकील की तरह से बीच में दो शब्द गायब कर दिये हैं। वे दो शब्द हैं काम्प्लेन्ट्स अगेन्स्ट स्ट्रेन्जर्स फाउन्डेड आन डाकुमेन्ट्स। और श्रीमन्, मैं इसलिये कहना चाहता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह पेज, मान्यवर, मालूम हो जाय कि वे किस पेज को कोट कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इसका पेज है १३५ और एडीशन है सोलहवां। यह नहीं है। श्रीमन्, मैं दूसरी चीज कहना चाहता था। यदि आपके वाल्यूम में यह नहीं भी है तो यह होना चाहिये क्योंकि इसके नीचे विवरण—काम्लेन्टस अगेन्स्ट स्ट्रेन्जर्स फोउन्डेड आन डाकुमेन्ट्स का है। नाट, कम्प्लेन्टस फाउन्डेड आन डाक्यूमेंन्टस श्रीमन्, मैंने सदन की प्रक्रिया नियमावली को देखा और श्रीमन् के तथा अन्य सदन के अध्यक्षों के निर्णयों को भी देखा है। जब कभी सदन की किसी कार्यवाही के संबंध में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा हुआ तो उसमें निश्चित रूप से यह बात कही गयी कि सदन के सामने हुई घटना के बारे में उसी समय विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की सूचना देनी चाहिये। यदि वह उसी समय नहीं उठाया गया है तो अध्यक्ष इसी के बिना पर उसको खारिज कर सकते हैं कि उसी समय क्यों उसको नहीं उठाया गया था, जब कि सदन के समक्ष कार्यवाही चल रही थी। मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य वकील होने के नाते एफ० आई० आर० को कितना महत्व देते हैं। बाद में तो बहुत सी चीजे जोड़ी जा सकती हैं, सोची जा सकती है, लेकिन आपने यह बार-बार दुहराया कि आपको बार-बार इस बात का ख्याल हुआ कि जो कुछ कहा जा रहा है वह चौधरी चरण सिंह, मुख्य मंत्री की हैसियत से कहा जा रहा है। क्या मैं आपके द्वारा उनसे पूछ सकता हूं कि आपको अगर ख्याल हुआ था तो आपने उसी समय क्यों विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया। आपने क्यों नहीं कहा कि इसके ऊपर मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रक्रिया नियमावली के नियम ६३ को आप पढ़ें और उसके बाद नियम ६५ में ग्राह्यता की शर्तें दी गयी हैं। नियम ६५ इस प्रकार से है—प्रश्न किसी हाल में घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध हो। हाल में का अर्थ है, जैसे ही हुआ हो।

उसका यह मतलब नहीं है कि ३ दिन के बाद आप उसको दें। ६५(क) के अनुसार इस प्रकार उठाया गया प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं हो सकता। श्रीमन्, मैं आपसे और उन दोनों से क्षमा चाहूंगा कि इस समय मैं आपके पुराने निर्णयों को नहीं ला सका मेरा निश्चित खयाल है कि इस नियम के अन्तर्गत जो आपके अथवा अन्य अध्यक्षों के निर्णय हुए। वे यही हुए हैं कि सदन में हो रही घटना के संबंध में अगर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उस समय नहीं उठाया गया है तो फिर बाद में नहीं उठाया जा सकता हमारी बहन राजेन्द्र कुमारी ने जिस निर्णय की ओर आपका ध्यान दिलाया था वह आपका निर्णय १३ मार्च, १९५३ का है। उसमें आपने ये शब्द कहे हैं—"क्योंकि इस सदन की कार्यवाही को गलत तौर पर किसी अखबार में छापना यह विशेषाधिकार की अवहेलना है और उसके ऊपर गलतबयानी करके उस पर टीका करना यह उससे भी अधिक विशेषाधिकार की अवहेलना है। हम सब लोग उत्तरदायी व्यक्ति हैं और पंडित उदित नारायण शर्मा जो अत्यन्त उत्तरदायी पद पर भी रह चुके, वे एक माननीय सदस्या से कह रहे हैं ऐसी बात कि जिसका कोई उत्तर कभी नहीं बनेगा।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं नहीं बैठना चाहता।

श्री अध्यक्ष---

आप प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं, मैं उनको इजाजत देता रहा हूं, आप बैठ जाइये ।

श्री चरणसिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं अपना प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करूं, मैं प्रोटेस्ट करता हूं कि माननीय लक्ष्मी रमण जी के इस कहने पर। जिस आवेश में वे ऐसा कह गये, मैं उसको मुनासिब नहीं समझता क्योंकि इस तरह से गरमी आ जाती है, आवेश आ जाता है और बहस ठीक नहीं हो पाती। मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा था और आपने कहा, मैं नहीं बैठूंगा और आखिर आपको बैठना पड़ा...। क्यों बैठे आप ? मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

श्रीमन्, मैं भी प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाऊंगा। इसे उठाने का मुझे अधिकार है। मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

इन्होंने कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठाया।

(व्यवधान)

यदि वे प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते हैं, तो मुझे क्या शिक्षा देते हैं, उन्हें शिक्षा अपने को देनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

बड़े शांत वातावरण में विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। विशेषाधिकार का प्रश्न सारे सदन का होता है किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। ऐसा भी है कि उसका तस्फिया भी दो मिनट में हो जाता है। थोड़ी देर में वह समाप्त भी हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि गर्मी नहीं आनी चाहिये। माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने बैठने से इन्कार किया, आपसे इन्कार किया इसलिये कि उन्होंने प्वाइन्ट आफ आर्डर की बात को सुना नहीं। उन्होंने यह समझा कि बीच में जैसे आप लोग बोलने लग जाते हैं, वैसे हुआ। मैंने उन्हें बैठने को कहा। जब वे नहीं बैठे थे तो लोगों ने हल्ला कर दिया। मैंने जब सुन लिया तो मैंने उन्हें बैठा दिया। अब वह समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह---

यह तो ठीक है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस वक्त मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर कहा है तो अगर कोई आदमी नातजुर्बेकार है वह कहता है कि मैं नहीं बैठूंगा ....।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, क्या माननीय चरणसिंह जी का यह नातजुर्बेकार का शब्द उचित है।

श्री उदितनारायण---

श्रीमन्, माननीय चरण सिंह ने उनको नातजुर्बेकार नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी नातजुर्बेकार ने ऐसा कहा होता कि मैं नहीं बैठूंगा तो ठीक था।

श्री चरण सिंह—

श्रीमन्, मैं तो केवल यह अर्ज कर रहा था कि मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा कि मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं तो फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। तो मैं अर्ज यह कह रहा था कि अगर कोई नया सदस्य होता तो.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

गरमागर्मी नहीं होनी चाहिये। मैंने उनसे कह दिया कि बैठ जाय। उनको गलतफहमी यह थी कि मेरे बोलने में टोकना चाहते हैं। प्वाइन्ट आफ आर्डर भी जब तीन दफा आपने कहा तब मैंने सुना क्योंकि बड़ा शोर हो जाता था। मैंने उनसे कह दिया कि बैठ जाइये तो वह बैठ गये।

*श्री चरण सिंह—

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि बहस इस विषय पर हो रही थी कि माननीया राजेन्द्र कुमारी जी ने सदन की अवहेलना की है या नहीं की है। मैंने मुख्य मंत्री की हैसियत से कोई खत लिखा था या नहीं इस पर बहस बाद में हो सकती थी। माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य ने एक फिकरा यह कहा कि जो असल विषय है, उसका जबाव तो कभी दिया ही नहीं जा सकेगा। जो असल विषय है उसको बीच में उठाना ठीक नहीं, असल विषय और आप जब चाहें उठा सकते हैं। इस समय बहस केवल यह होनी चाहिये कि प्रिविलेज का मोशन है उसको दृष्टि में रख कर, न कि मैंने कोई चिट्ठी लिखी थी और किस हैसियत से लिखी थी यह चीज आउट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—

आप जो कहते हैं कि वह आउट आफ आर्डर है। सवाल उसी पर आ रहा था। उन्होंने आपको मुख्य मंत्री की हैसियत से नहीं कहा, आपको बी० के० डी० के लीडर की हैसियत से कहा। यह वह कहने वाले थे। कार्यवाही में भी यही लिखा हुआ है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

वह क्या कहने वाले हैं इसका अन्दाज आप कैसे लगा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही में लिखा हुआ है, उसे मैंने पढ़ा है। आप ऐसे नेता (अर्थात् बी० के० डी० के नेता) ने इस तरह से पत्र लिखा। यह उनका कहना था। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुख्य मंत्री की हैसियत से आपने ऐसा किया। कार्यवाही में ये शब्द थे, उनके बारे में वह जिक्र करना चाहते थे, मुझे ऐसा अन्दाज हुआ और आपने उस पर प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं माननीय वित्त मंत्री के खिलाफ सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने रोष में आकर कहा कि मैं न उनसे डरता हूं, न आपसे डरता हूं। आपकी ओर संकेत करके।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं उनसे नहीं डरता, आपके लिये (अध्यक्ष से) मैंने नहीं कहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं कार्यवाही देख लूंगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं आपकी सेवा में यह कहना चाहता था कि मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, उस समय चौधरी चरण सिंह खड़े हुए । मैंने यह समझा कि वे प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन पर खड़े हुए क्योंकि पहले भी कई बार प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशस पर वे खड़े हो चुके थे । श्रीमन् का एक निर्णय है कि प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन पर खड़े होने पर जो माननीय सदस्य बोल रहे हों वे बैठ जायं तो अच्छा है नहीं तो खड़े होने वाले माननीय सदस्य को अन्त में बोलना चाहिये । मैं इसी गलतफहमी में था और श्रीमन् ने ठीक कहा कि एकदम से इतने जोर से शोर होने लगता है कि कुछ सुनने में नहीं आता । जैसे ही प्वाइन्ट आफ आर्डर की बात सुनने में आयी मैं बैठ गया । जहां तक सदन के इस ओर का प्रश्न है हम लोगों को तो जो श्रीमन् की आज्ञा होगी वह शिरोधार्य है । जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था मैं चाहता था कि उसी बात का जिक्र करूं । नेता विरोधी दल साहब को यह कैसे खयाल हुआ कि मैं क्या कहना चाहता था । (शोर)अगर यही व्यवहार रहा तो हम इसका जवाब इधर भी तैयार कर देंगे ।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—

यह मंत्रीजी की धमकी है । हम धमकी सहन करने वाले नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह धमकी नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो इसमें कहीं प्रश्न जोश खरोश का है और न किसी और बात का है । यहां तो सीधा सा प्रश्न यह है कि सदन का कोई अवमान श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी ने किया या नहीं । यदि किया तो आपका प्रश्न ठीक है । मैं यही कहने जा रहा था कि सदन का अवमान राजेन्द्रकुमारी जी ने नहीं किया बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत जिस समय श्रीमन् इस पर निर्णय देंगे तो मैं नियम ७४ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसके अनुसार यदि कोई निराधार शिकायत यहां की जा : तो जिन्होंने निराधार शिकायत की, उस पर ५–५ सौ रुपये आर्थिक दंड दिया जाना चाहिये । मेरे पास श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी का भाषण मौजूद है जो उन्होंने दिया था । श्रीमन् उसमें देखेंगे कि कहीं भी एक शब्द इस बात का नहीं है कि माननीय चौधरी चरण सिंह ने वह पत्र मुख्य मंत्री की हैसियत से लिखा बल्कि उन्होंने कहा कि जो पत्र चौधरी साहब ने लिखा वह बिल्कुल गलत लिखा । उन्होंने बताया कि एक पत्र आया माननीय गुप्ताजी के पास और पत्र आया एक विधवा के द्वारा और वह विधवा वही थी जिसके पति का कत्ल हुआ था और उस समय संयोग से मैं वहां मौजूद थी । (शोर) पत्र माननीय चौधरी चरण सिंह जी द्वारा उनके भाई को लिखा है कि तुम जाकर ऋषिराम जो सरकारी वकील हैं, उनसे बात कर लेना या मिल लेना । और उसके विषय में यहां सारी चर्चा चली थी, और मैंने भी उस चर्चा में हिस्सा लिया था और मैंने कहा था कि यदि यह पत्र चौधरी साहब ने लिखा कि अभियुक्त के भाई को या उसके किसी सम्बन्धी को और उसमें आपने यह लिखा कि सरकारी वकील से जाकर मिल लेना, तो यह प्रत्येक दशा में अनुचित था । क्योंकि यदि उसके विरुद्ध सरकारी अपील थी, तो भी सरकारी वकील से मिलने का अर्थ यह है कि अपील में सरकारी वकील उसके साथ रियायत करे और यदि अपील कातिल की तरफ से की गयी हो उसमें सरकारी वकील उसकी खिलाफत न करे, तो यह भी उचित नहीं है, और नैतिक भी नहीं है ।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

इसलिये मेरा कहना है कि माननीय उदितनारायण शर्मा जी से और अपने दूसरे मित्र से कि वे इस पर कभी भी बहस कर लेते। लेकिन यहां पर अखबार की कटिंग का सहारा लेकर यह कहना कि श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बजापेयी ने सदन का अवमान किया है गलत है। बहुत सम्भव है कि अखबार को भी कुछ गलतफहमी हो और उन्होंने भी उस चीज को न समझा हो। उस गलतफहमी के आधार पर एक और गलतफहमी पैदा की जाती है, जबकि सदन साक्षी है, प्रत्यक्षदर्शी है, जो चीज हमारे सामने कही गयी, जो वक्तव्य हमारे सामने दिया गया श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा उसको एक अखबार का सहारा लेकर सदन के समक्ष उपस्थित करना किसी भी प्रकार से अपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता। इसके लिये मैं दूसरा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मैं नियम ७४ के अन्तर्गत श्रीमन् का संरक्षण चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि आगे सदन इस पर निर्णय करे और इन दोनों माननीय सदस्यों को निर्धारित अर्थ दंड दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मुझे भी अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

देखिये, मैंने इसकी भी स्टडी की और उनके वक्तव्य को भी सुना। सदन एक घर है, एक ही कुटुम्ब का घर है और अगर उसमें कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है किसी चीज के ऊपर तो मैं समझता हूं कि सदन में इतनी गरमागरमी लाने की जरूरत नहीं है बल्कि सबको शान्ति से सुनना चाहिये और गलतफहमी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। उन्होंने यह कहा था कि हमारी गलतफहमी है। वास्तव में उस सन्दर्भ में चौधरी साहब ने अपने भाषण में यह कहा था कि मुख्य मंत्री की हैसियत से गुप्ता जी ने अमुक अमुक गलत काम किया—उसके जबाव में जब कहा जाय कि चौधरी साहब ने भी गलत काम किया चौधरी साहब तथा उदित नारायण जी समझे कि मुख्य मंत्री की हैसियत स किया यह आक्षेप किया गया है। यह स्पष्टीकरण माननीय उदित नारायण ने दिया है। इस एक्सप्लनेशन से यह मालूम हो गया कि यह गलतफहमी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसके ऊपर गरमागरमी होनी चाहिये? या इस मामले को रगड़ने के बजाय एक्सप्लेनेशन को सैंटिस्फैक्टरी समझ कर इसे ड्राप कर देना चाहिये? एक माननीय सदस्य ने भी कहा कि इसे ड्राप कर दिया जाय। मैं एक ऐसे व्यक्ति की हैसियत से कहता हूं—कि आप सुनें, सदन में शान्ति कायम रखें, मुझे तो अफसोस होता है और कभी कभी सोचता हूं कि इस जगह रहूं या न रहूं। मैं बराबर कहता जाता हूं कि शान्त हों, शान्त हों पर गरमा गरमी और शोर होता है।

अब सवाल यह है कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया और मैं समझता हूं कि यह भाषण जो है उसको भी मैंने पढ़ा तो जो उसमें शब्द पढ़ा उससे थोड़ी भावना यह मेरे मन में भी आयी कि यह क्यों हुआ। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने यह कहा है कि यह वाकया सन् ६७ का है, वाकया का मतलब हत्या समझ कर पढ़ें तब तो यह मामला स्पष्ट हो जायगा कि यह वाकया सन् ६७ का है और अगर सदस्य ने यह समझा कि पत्र लिखने का वाकय सन् ६७ का है तो मुख्य मंत्री के वक्त का है। यह लोग समझेंगे। इसलिये मेरे दिल में शंका आयी और जब यह प्रश्न उठा तो मैंने देखा कि सन् ६७ जो है, कत्ल होने के वाकये के बारे में जिक्र है और पत्र जो आपने लिखा १९६९ में। मैंने इसलिये स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा इसमें भ्रम होना अस्वाभाविक नहीं है। अगर उनको भ्रम हुआ और उन्होंने प्रश्न उठा दिया तो आप रिग्रेट पेश कर सकते हैं कि हमारे ऐसा कहने से आपको तकलीफ हुई, इसको खत्म करें।

आप भी कह सकते हैं कि मैंने सन् ६७ कह दिया उस समय इससे गलतफहमी हो गई तो आपको भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिये था, बड़े भाई ह, ऐसा कहकर खत्म करना चाहिये। एक रास्ता यह निकल सकता है। अगर आप पसन्द करें और स्वीकार करें और इधर–उधर दोनों तरफ से ऐसा हो जाये तो ठीक होगा। उनको गलतफहमी हो गई कि ऐज चीफ मिनिस्टर आपने शब्द कहे और यह दूसरी बात है कि "ऐन चरणसिंह" बी० के० डी के नेता यह श्रीमती बाजपेयी ने कहा वह बात दूसरी है। मैंने आप से बताया और सुझाव दिया कि सदन में शान्ति रखने के लिये यह तरीका अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदन में एक दूसरे के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं आ सकता और अगर गलतफहमी हो जाय तो उसको साफ करने का यह तरीका है कि स्पष्टीकरण के बाद अफसोस जाहिर करके मामला समाप्त किया जाय।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम गलतफहमी दूर करें। मैं समझती हूं कि मैंने उस दिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा था, किसी गलतफहमी में नहीं कहा था मेरा यह कहना था कि किसी बड़े नेता को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिये। अब मेरे भाई उदितनारायण जी को गलतफहमी हुई तो मेरी कोई गलती नहीं है। वह अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था। लेकिन जब वह स्वयं स्वीकार करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि मेरे ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न वे उठाना नहीं चाहते हैं और गलतफहमी पर प्रश्न उठता नहीं है। जब वे अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो मैं अपना प्रश्न वापस लेती हूं।

श्री उदितनारायण—

अध्यक्ष महोदय, इसमें गलती का प्रश्न नहीं था। मैंने यह निवेदन किया था कि जो कुछ यहां पर हुआ, उससे साफ तौर पर यह धारणा बन सकती है। उसी के मातहत मैंने कहा था। वह यदि न होती तो कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि सदन के समक्ष यह बात हुई थी उसमें कुछ कह कर नहीं निकला जा सकता। जो बात माननीय अध्यक्ष के सामने हुई उसमें किसी के दिमाग में यह बात नहीं आ सकती कि यह कह कर निकल जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब समाप्त कीजिये। जैसे उन्होंने समाप्त कर दिया आप भी समाप्त करते हैं।

श्री उदितनारायण—

जी हां।

सदस्यों के दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं कि श्री असरार अहमद ने लिखा है कि वह निर्दलीय सदस्य थे उन्होंने भारतीय क्रान्ति दल की सदस्यता स्वीकार कर ली है। श्री बैजनाथ सिंह जी भारतीय क्रान्ति दल से कांग्रेस में आ गये हैं, श्री मोहनसिंह जिला रायबरेली जो निर्दलीय सदस्य थे वे कांग्रेस में आ गये हैं श्री सूबेदारसिंह जो भारतीय क्रान्ति दल में थे वह कांग्रेस में आ गये। माननीय चन्द्रनारायणसिंह, जिला हमीरपुर, जो निर्दलीय थे, वह कांग्रेस में आये। ऋषिपालसिंह, बदायूं, जन संघ से कांग्रेस में आये।

श्री चरण सिंह द्वारा डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा हुआ था कुछ कहने के लिये, लेकिन आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ नहीं सकी ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

जब नेता विरोधी दल बोलें तो शान्त हो जांय । इसी तरह से जब नेता सदन बोलें तो दूसरी तरफ़ के लोग शान्त हो जांय ।

श्री चरणसिंह—

जो सदन के अवमान का प्रश्न उठा उससे अलहदा एक प्रश्न है और वह यह है कि मैंने जो खत लिखा वह मुझ को लिखना चाहिये था या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

तो उसके सिलसिले में आप पर्सनल एक्सप्लैनेशन देना चाहते हैं ?

*श्री चरणसिंह—

मैं अपना परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं । वह ध्यान से सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जब सब पर जाहिर है मैंने बजट के सिलसिले में अपना कथन करते हुए गवर्नमेंट की ओर से जो अपने पद का दुरुपयोग हो रहा है, गवर्नमेंट के कामों से भ्रष्टाचार को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है इसके सिलसिले में बहुत कुछ कहा था । माननीया राजेन्द्रकुमारी जी खड़ी हुई और उन्होंने जो कुछ कहा वह स्पष्ट तो मेरे कानों में नहीं पड़ा, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने इस ढंग से, इस प्रकार की कोई बात कही जिससे मेरे माननीय मित्र जो उधर बैठे हैं सब ने बड़ी खुशी मनायी और ताली बजाई । इसके "नैशनल हेराल्ड" में यह निकला—चरणसिंह ऐज मुख्य मंत्री, उसके पहले वाक्य में लिखा है कि किस तरह से मुख्य मंत्री की हैसियत से यह काम किये । इस पर अवमान का नोटिस आया। जो यहां लिखा हुआ है उससे जाहिर होता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री वगैरह का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मेरे मन पर यह असर पड़ा और स्वयं आपके ऊपर भी यह असर पड़ा ।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री का संदर्भ से मुझ पर असर नहीं पड़ा पर १९६७ का वाकया उन्होंने हत्या के बारे में कहा उससे प्रतीत हुआ कि शायद पत्र भी उसी समय का था ।

श्री चरणसिंह—

खैर, आप पर नहीं पड़ा । अखबार वालों पर पड़ा । अगर माननीया राजेन्द्रकुमारी जी ने यह बात नहीं कही और वह अवमान की दोषी नहीं हैं तो नैशनल हेराल्ड उस अवमान का दोषी है । जहांतक उस पत्र की बात है, जिसको इस तरह से रख दिया गया, उसके सिलसिले में अर्ज करने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि उसके अगले दिन माननीया राजेन्द्र कुमारी जी निकलीं या उसी रोज, जब मैं यहां से निकला तो मैं उनको कमरे में ले गया और मैंने कहा, मैं वह खत देखना चाहता हूं क्योंकि मेरे पर असर यही था कि मुख्य मंत्री काल का जिक्र था, जैसे ही मैंने तारीख पढ़ी, ७ अप्रैल, माननीय राजेन्द्र कुमारी मानें न मानें, उन्होंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहा मैंने यह तारीख नहीं देखी थी। यह मुझ से गलती हो गयी। अब जो उसका व्याख्यान है जिस पर यह सारा मामला उठा है, उसमें भी तारीख का जिक्र नहीं है कि ७ अप्रैल, १९६९ को यह पत्र लिखा गया है। यह मुझ से उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन अब वह यह कहती हैं कि उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि चरण सिंह को एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से यह पत्र लिखना ही नहीं चाहिये था। यदि इस सदन में जो कुछ होता है वह है गवर्नमेंट के कार्य की नुकताचीनी। यदि व्यक्तिगत हैसियत से कोई बात होती है तो उसका जिक्र यहां नहीं होना चाहिये। यदि राजेन्द्रकुमारी जी यही चाहती हैं तो इसके लिये फ़िर बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। मैं तो इस बात के लियें भी तैयार हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने कामों के लिये कसौटी पर कसा जाने के लिये भी तैयार हूं। जो पत्र है वह लिखा गया मुख्य मंत्री जी को, कोई करतारी देवी हैं उन्होंने वह पत्र लिखा है मुख्य मंत्री जी को। मैंने उस पत्र की नक़ल की थी, उसमें तारीख नहीं है। हो सकता है कि टाईप करने में मेरे दफ़्तर में गलती हो गई हो। लेकिन इसमें तारीख का इतना महत्व नहीं है, सवाल यह है कि पत्र लिखा गया चीफ़ मिनिस्टर गुप्ता जी को तो वह पत्र गवर्नमेंट की प्रापर्टी हो गया, फ़िर वह पत्र बहिन राजेन्द्र कुमारी जी के पास कैसे जाना चाहिये। इस पत्र को स्वयं गप्ता जी को उठाना चाहिये था। पत्र यह है—

श्रीमन् मुख्य मंत्री जी (चन्द्रभानु गुप्ता भी नहीं लिखा है,) सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं एक विधवा औरत हूं। मेरे पति का कत्ल श्री जयपाल सिंह, प्रकाश सिंह, मुल्लन व छज्जू ने कार्तिक के महिने सन् १९६७ में किया था जिसमें कि मेरा पैरवीकार कोई नहीं था। मेरे पति मलेरिया विभाग में नौकरी करते हैं। मेरे ससुर उनकी अधिक उम्र है। कत्ली लोग गांव के सरदार हैं। उन्होंने पैसे के बल पर अपने को बरी करा लिया और अब भी मारने की धमकी देते हैं। श्री चौधरी चरणसिंह जी भारतीय क्रान्ति दल के नेता हैं, उनके पत्र भी उन लोगों के पास आते जाते रहते हैं, जो एक मेरे हाथ में पड़ गया है। जिसको मैं इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न कर रही हूं, इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, क्योंकि मुझ जैसी विधवा का आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। इस मुकदमे की जांच की जाए।" निशानी अंगूठा श्रीमती करतारी देवी, पत्नी ओमप्रकाश, ग्राम हजूराबाद गढ़ी, डाकखाना बिनौली, जिला मेरठ।"

अब जो खत उनकेहाथमें पड़ गया और जो पत्र मैंने श्री जयपाल सिंह जी को लिखा है, वह इस प्रकार है—"आप, प्रकाश और मुल्लन द्वारा लिखा हुआ पत्र मिल चुका है। आपने हाईकोर्ट में एक मुकदमें की पैरवी करने के लिये मुझको लिखा है, परन्तु मुकदमें की पैरवी तो मैं नहीं कर सकूंगा। हां, सरकारी वकील, इलाहाबाद श्री ऋषिराम के पास आपके पत्र को भेज रहा हूं, ताकि आपकी भावनाओं से वह अवगत हो जाए।" मैंने इस सम्बन्ध में दूसरे कागजात भी देखें। अब मैंने जो पत्र गवर्नमेंट एडवोकेट को लिखा और यहां पर जिसकी चर्चा है, व इस प्रकार है—

My Dear Rishiram Ji,

I am sending for your perusal a letter which I have received from three brothers in village Hazoorabad Gahri in district Meerut. I hope this finds you in good health.

With good wishes.

अब यह बात करीब २५ तारीख की है, २६ के सबेरे, चूंकि रात को यहां से जाना हुआ, ऋषिरामजी को टेलीफ़ोन किया कि मुझको कागजात देखने से मालूम होता है कि मैंने अप्रैल में आपको कोई पत्र लिखा था— वह पत्र क्या था। उस सिलसिले में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि वह पत्र जो जयपालसिंह ने लिखा था वह मेरे रिकर्ड में था और वह यह था कि अदालत में पैरवी करो। मैंने उनको लिखा कि अदालत में पैरवी करने का कोई सवाल

[श्री चरणसिंह]

नहीं है, जिसके बारे में राजेन्द्रकुमारी जी कहती हैं कि अदालत में पैरवी करने के लिये सिफ़ारिश करने की बात मैंने कही थी। तो मैं उस पत्र को पढ़कर सुनाता हूं। उसमें यह लिखा था कि दूसरे फ़रीक हैं उन्होंने जमानत हाई कोर्ट से आपके द्वारा जमानत करा ली और शायद वह ५हजार रुपये था जिसका उसमें जिक्र था और उसमें यह भी था कि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया था तो मैं चाहता था कि जिसने जुल्म किया है वह हाई कोर्ट से छूट न जायें। फ़िर मैंने बाद में ऋषिराम जी से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने अदालत में मालूम कराने की कोशिश की और चूंकि उस खत में मुलजिमान का नाम नहीं था, थाना वगैरह कुछ भी नहीं था, मैंने अदालत में दिखलवाया तो नहीं मिला और उन्होंने कहा कि वह पत्र मेरे पास है भी नहीं और होता भी कैसे जब कि जैसा आप कह रही है श्रीमती कर्तारी देवी ने बीच में ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि लिहाजा उन्होंने यह कहा कि मेरे पास फ़ाइल में वह पत्र नहीं है तो उसकी पैरवी का सवाल नहीं उठता। मैंने यह भी कहा है कि वह पत्र कम्प्लेनेंट्स की तरफ़ से था एडयूस्ड की तरफ़ से नहीं था। उनकी शिकायत यह थी कि इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है, यह जमानत पा गये या इसी तरह से अदालत से छूट सकते हैं लिहाजा हम यह चाहते हैं कि वह न छूट जाय। तो कम्प्लेनेंट की तरफ़ से ही खत था। मैंने कहा कि मैंने वह खत आपको भिजवा दिया। अब ऋषिराम जी ऐडवोकेट जेनरल का कहना हैकि उन्होंने उसको ड्रेस्ट्राय कर दिया। अब ऐसा मालूम होता है कि जैसा स्वयं यह स्त्री तसलीम करती है, उसके हस्बैंड का कत्ल किया गया। मैं इस हुजूरगढ़ी गांव का नाम भी नहीं जानता क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है। मेरा अनुमान यह है कि कर्तारी देवी ने जो लिखा है कि उसके हस्बैंड का कत्ल हुआ तो उसी वक्त कोई ऐसा बाकया हुआ कि वहां कई आदमियों का कत्ल हुआ। लेकिन हुआ यह कि यह मुकदमा उठा लिया गया या क्या हुआ उन्होंने अपील नहीं की और अगर अपील की तो कम्प्लीट हो गया होगा।

(व्यवधान)

अब आगे का कोई जिक्र नहीं है कि उनका भी कोई आदमी कत्ल हुआ था या नहीं और केस चला था या नहीं.....

श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फ़ैजाबाद)—

जिन ऋषिराम के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप यह सदन को बता सकते हैं कि उनकी नियुक्ति आपने ही कराई थी ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, कराई थी। लेकिन क्या मलतब हुआ ? आपने क्या इससे क्या नतीजा निकाला ? आप अपने पैमाने से ही उस एडवोकेट की इमान्दारी को नापना चाहते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि यह बात कैसे निकलती है कि जो लोग उस केस में मुलजिम थे उनके लिये पत्र लिखा था। वह खत इस समय मेरे पास मौजूद नहीं हैं। उसके गवाह गवर्नमेंट एडवोकेट मौजूद हैं। लिहाजा इस बात को साबित करने की कोशिश करना कि मुलजिमों के बारे में मैंने पत्र लिखा सही नहीं है। मेरा उनके लिये था जिनको सताया गया था उनको इस बात का अन्देशा था कि कहीं मुलजिम छूट न जांय। इस वास्ते यह नतीजा निकालना कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन आफ़ जस्टिस में या कोर्स आफ़ जस्टिस में दखल देना चाहता हूं यह मन्शा हरगिज नहीं है। मैं तो यह चाहता था कि इस केस की पैरवी अच्छी तरह से की जाय ताकि मलजिम छूट न जांय चूंकि उनको अन्देशा था कि वह छूट जायेंगे।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी–

मुझे खुशी इतनी ही है कि मैंने जो जिक्र किया था उस बात को चौधरी साहब ने स्वीकार किया ।

श्री चरणसिंह—

मैंने यह स्वीकार नहीं किया है जो आपने कहा । मैंने खत स्वीकार किया । मैं राजेन्द्र कुमारी जी से निवेदन करता हूं कि वह गवर्नमेंट एडवोकेट से बात करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचेगी मैं उसको स्वीकार कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है । दोनों मेरे कमरे में आकर चाय पीलें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय राजेन्द्र कुमारी जी ने कंडीशनल प्रस्ताव किया था कि चौधरी साहब ने उसको स्वीकार नहीं किया । अब इस मामले को सुनकर आप ही फ़ैसला दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने दोनों को अपने कमरे में बुलाया है । वहां आकर वह दोनों समझ जायेंगे ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि चौधरी साहब ने जो पत्र लिखा उसमें इस बात का जिक्र है कि आपको जो पत्र प्राप्त हुआ उसके उत्तर में यह पत्र भेजा है। वह पत्र आया जिसके उत्तर में चौधरी साहब ने लिखा तो वह पत्र कौन सा है यह चौधरी साहब बतला दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आगे इसको न चलायें ।

श्री चरणसिंह—

वह पत्र मैंने गवर्नमेंट एडवोकेट के पास भेज दिया था । वही पत्र उन्होंने मेरे पास भेज दिया ।

१९६९–७० के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या १—वृहत् जोत कर, अनुदान संख्या २–भू–राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

रूपनाथ जी, आप जवाब दीजिए, फिर मंत्री जी बोलेंगे, फिर ढाई बजे वोटिंग होगी ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन इसमें समय माननीय सदस्यों को बहुत कम मिला है बोलने के लिए, अभी और लोगों को समय मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी पौने दो बजे से बोलेंगे, आप १५ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर सकेंगे ?

---

†३० जुलाई, १९४९ की कार्यवाही से

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

हमको दो घंटा चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ढाई बजे तो वोटिंग होगा, समय बहुत कम है, आप पौने दो बजे तक बोल सकेंगे, उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

श्री बैजनाथ द्वारा पुनः दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खेद है कि माननीय वैजनाथ जी सदस्य देवरिया ने २० तारीख को भारतीय क्रान्ति दल छोड़ कर कांग्रेस दल ज्वाइन कर लिया है, इस प्रकार का आपको पत्र लिखा। २४ तारीख को श्री बैजनाथ जी ने लिखा कि मैं अपने दल में हूं। जब हम आपके आफिस में गये तो उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस दल ज्वाइन कर लिया है, इस प्रकार की हमें कोई सूचना नहीं है, इसलिए इस पत्र की आवश्यकता नही है। इसलिए अब आपने सूचना दी है तो २४ तारीख का पत्र आपकी सेवा में भेजा है।

श्री अध्यक्ष—

उनका २० तारीख का २८ तारीख को मेरे पास आया है और जो २४ तारीख का आप बताते हैं वह आज ३१ तारीख को मिला है। यह कमरे में कहने की बात है, वह ठीक हो जायगा, उनसे पूछकर खत्म हो जायगा। वह तो "रोज आया राम—गया राम" वाली बात प्रतीत होती है।

१९६९–७० के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत् जोत कर, अनुदान संख्या २—भू–राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में यह घोषणा की थी कि अब सारा काम-काज हिन्दी में होगा, लेकिन आज भी रेवेन्यू विभाग में सब काम अंग्रेजी में हो रहा है, फैसले अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं, सचिवालय से भी जो जी० ओ० जाते हैं वह अंग्रेजी में जाते हैं और पत्र-व्यवहार भी वहां का अंग्रेजी में होता है।

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

इस तरह से मुख्य मंत्री जी की घोषणा होते हुए भी उनके आदेश का पालन इस विभाग में नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि घोषणा को अगर कड़ाई से लागू करने के आदेश करें तो कोई वजह नहीं है कि सारे विभाग में सब काम तजवीज से लेकर हिन्दी में न हो जाय। और सारे टाइप राइटर जो अंग्रेजी में हैं, उनको हिन्दी में कर देना चाहिये। इस रेवन्यू विभाग के लिये जो ११ करोड़ कुछ रुपयों की मांग रखी गयी हैं, और इसमें जब इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं तो दुख होता है। माननीय सदस्यों ने, इधर के भी और उधर के भी, इस विभाग में भ्रष्टाचार की बड़ी तीव्र आलोचना की है। मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश किया। किन्तु मेरा उन माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अगर वे देखते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ है तो उनको निश्चित रूप से यह फैसला करना चाहिये कि उनको क्या करना है, क्या आगे भी इस सरकार का समर्थन करते रहना चाहिये जो उनकी इच्छाओं की तनिक भी परवाह नहीं करती। आज उनको देखना चाहिये कि उनकी कथनी और करनी में अन्तर न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं श्रीमन्, इस सिलसिले में एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं। गांव समाज की भूमि के बारे में शिकायतें की गयीं। यह सही है कि गांव समाज की भूमि आज गरीब हरिजन और भूमिहीनो को नहीं मिल पाती। वहां पर प्रधानों के सामने जो मुकदमें होते हैं, उनमें वकील पैरवी नहीं कर सकते। बड़े-बड़े आदमियों के असर के कारण वह जमीन बड़े आदमियों के पास ही पहुंच जाती है। इस नीति में सरकार को आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकारी वकील को मुकदमें की पैरवी करने के लिये ५ रुपये फीस के तौर पर दिये जाते हैं, चाहें वह केस २-३ साल तक चलता रहे। इससे बड़ी असुविधा होती है और वे लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके लिये कोई वेतन मुकर्रर कर दिया जाय। इससे वे मुकदमों में दिलचस्पी भी लेंगे और गांव सभाओं की सम्पत्ति की रक्षा भी हो सकेगी, इसके अलावा वह जमीन जो गलत तरीके से बड़े आदमियों के पास चली जाती है, वह भी रुक जायगी। इसलिये मेरे इस सुझाव पर मंत्री जी ध्यान देने का कृपा करें।

दूसरे लेखपालों की धांधली बन्द करने के लिये पास बुकें जारी करने के बारे में बहुत पहले से कहा जाता हा है, लेकिन आज तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, केवल यही कह कर टाल दिया जाता है कि हम विचार कर रहे हैं। यह कौन सी बड़ी चीज है, मैं समझता हूं, इनका इतना बड़ा रेवन्यू विभाग है, वह चाहे तो एक सप्ताह में पास बुकें तैयार हो सकती हैं और सब काश्तकारों को बट सकती हैं। खसरा खतौनी तैयार करने में जितना समय नष्ट होता है, उससे कम समय में इनको तैयार किया जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार दूर होगा और काश्तकारों को भी लाभ होगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हर जिले में, जहां गंगानदी बहती है, वहां गंगा से काफी जमीन निकलती रहती है। अभी तक हमारे यहां गंगबरामद और गंगशिकश्त के कारण जो जमीन निकलती है उसके वितरण के लिये कोई कानून नहीं है और इसके न होने से वह जमीन असरदार लोगों के पास चली जाती है। उसको लेकर कोर्ट में दायर हो जाता है केस और कानून इस पर चुप है। इसलिये खतौनी में जो ग्राम समाज के नाम से भूमि दर्ज है वह हरिजनों को नहीं मिल पाती और इस तरह से बड़े आदमी मुकदमे के जरिये से कब्जा कर लेते हैं, या अपने नाम करा लेते हैं। तो मैं भी इस पर माननीय माल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस तरफ बीस साल से कांग्रेस सरकार का ध्यान नहीं गया। आज हरिजनों की बात सभी करते हैं, इधर बैठने वाले भी और उधर बैठने वाले भी। जब शासन की हैसियत है कि वह कानून बना सकता है तो इस कानून को बनाने में क्या दिक्कत है। इस चीज को साफ करके जमीनें गांव समाज के मातहत करके उन सब के पट्टे हरिजनों और भूमिहीनों को दिये जांय जो गंगा जी के किनारे किठार की जमीनें हैं। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि सुरैया तहसील में एक हजार एकड़ जमीन निकली गंगा जी से १३ साल पहले, उसमें ११५-सी० का मुकदमा लेखपाल की तरफ से रिपोर्ट होकर हुआ, लेकिन इत्तफाक से जमीन्दार प्रधान हो गये हैं और उन्होंने कब्जा कर लिया। तीन साल से तहसीलदार के यहां केस चल रहा है। यह जमीन न हरिजनों को मिल रही है और न उनको जिनकी जमीन निकली है। उनका कहना है कि जमीन हमारी है और हम इसके जमीन्दार थे। वहां के कलेक्टर और अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालें कि ऐसी जमीनों के बारे में जो मुकदमे में फंसी हैं जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लें और आदेश जारी करें।

इसी तरह से इलाहाबाद में एक जगहरी ग्राम है। वहां एक हजार बीघा जमीन निकली है। वहां चार सौ हरिजन और भूमिहीन बसे हैं। उस जमीन को एक बड़े इन्स्टीट्यूशन ने प्रधान से मिलकर ले लिया है। उसकी कार्यवाही चल रही है लेकिन उस पट्टे को कैन्सिल करने में असावधानी बरती जा रही है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की कृपा करेंगे। चकबन्दी की धांधली सर्वविदित है। माननीय सदस्य जो कांग्रेस पक्ष के हैं और विरोध पक्ष के हैं दोनों ने स्वीकार किया कि कांग्रेस शासन बिल्कुल असफल रहा

[श्री रूपनाथसिंह यादव]

चकबन्दी के जोतों की धांधली को रोकने में। आपके सामने चकबन्दी की शिकायतें आती हैं, माल मंत्री के पास आती हैं, मुख्य मंत्री के पास आती हैं, और चकबन्दी कमिश्नर के पास आती हैं, लेकिन उनका पता नहीं लगता। मैं आपको उदाहरण देता हूं एस० ओ० सी०, इलाहाबाद कभी भी मौके पर पड़ताल करने नहीं जाते। एस० ओ० सी० किसी के बंगले पर बैठकर जमीन का चक काट देते हैं और एस० ओ० सी० का मामला ऐसा भी हुआ है कि उनके कमरे के अन्दर एक फरीक न्याय की प्रार्थना कर रहा था तो उसकी पिटाई कमरे के अन्दर की। मैं चाहूंगा कि इस मामले में जांच की जाय। इस सम्बन्ध में बार असोशिएशन, इलाहाबाद ने भी शिकायत भेजी है। उस पर क्या कार्यवाही हुई इस पर प्रकाश डालें। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस पर सख्त कदम उठाये कि जो न्याय लेने जाय और उस न्याय के कमरे में जहां न्याय मूर्ति बैठता हो उसी कमरे में पिटाई कराई जायेगी तो जनता का विश्वास जुडिश्यरी से खत्म हो जायेगा सरकार में तो खत्म हो ही गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस के इस बीस साल के शासन से जो जनता को मिला है वह बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। १० महीने के लिये संविद की सरकार जनता की सरकार थी, उस जमाने में जनता ने महसूस किया कि यह जनहित वाली सरकार है। उसके आते ही ५० फीसदी करप्शन तो वैसे ही दूर हो गया और २५ फीसदी ठोस कदम उठाने से दूर हो गया, लेकिन आपके २० बरस के राज्य में कुछ भी दूर नहीं हुआ। इस माने में संविद की सरकार कांग्रेस सरकार से अच्छी थी। गुप्ता जी की सरकार में रिश्वतें तो समाप्त हुई हैं और करप्शन खत्म हुआ है। इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने वाले सदस्यों ने यह स्वीकार किया इस राज्य में, यानी कांग्रेस शासन में करप्शन सीमा को पार कर गया है। उसको दूर करने में यह सरकार असफल रही है। इस सरकार को न जोम है और न टांग है। ६७ में माननीय नेहरसिंह जी ने कहा था कि अगर चरणसिंह जी इधर चले आयें और हमको सरकारी कुर्सी मिल जाय तो हम सबा छः एकड़ तक लगान माफ कर देंगे। अब उनकी गुप्ता जी की सरकार आ गयी है, वे कम से कम उस बात को कर दें, जो उन्होंने अपनी जबान से कही थी। भले ही बाहर कही हुई बात कोई पूरी न हो लेकिन इस सदन में कही हुई बात को तो पूरा करना ही चाहिये। मुख्यमंत्री जी को उसमें क्या कठिनाई है। किसी भी सरकार को चलाने के लिये जरूरी है कि उसको जनता का विश्वास प्राप्त हो। अगर बिना इस बात की घोषणा किये यह मांग पास हो जाती है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि उसका मतलब है कि जनता का उसमें विश्वास नहीं रहा।

माननीय मंत्री जी, जब इधर बैठते थे और मंत्री नहीं थे, तब उन्होंने विधान सभा में बजट अनुदान पर सामान्य विवाद पर बोलते हुए २२ फरवरी को यह कहा था उनको अपने उस वचन का पालन करना चाहिये क्योंकि अब तो वे उसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसके बारे में उन्होंने उस समय कहा था। उन्होंने कहा था "लैंड टैक्स होना चाहिये, लैंड रेवेन्यू नहीं होना चाहिये। मेरी यह राय उस समय भी थी, जब मैं मिनिस्टर था और मेरी यही राय आज भी है।" यह उनका कमिटल उस समय था। आज वे घोषणा करें कि लैंड रेवेन्यू नहीं होगा और जो टैक्स देने के काबिल होंगे, उन पर टैक्स लगाया जायगा। सरकार कोई भी टैक्स जनता से लेती है उसको जनता की भलाई के लिये खर्च करना चाहिये। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने वह जनता की भलाई के लिये वापस नहीं किया, बल्कि जनता को और भी अधिक कमजोर किया है।

संविद सरकार ने पट्टों के बारे में आर्डर दिया था कि ३ साल के पट्टों की जांच करने के बाद पक्का कर दिया जाय। लेकिन अभी तक ३ साल में जो कर्जी पट्टे हुए थे वे खारिज नहीं हो पाये हैं। तो कम से कम ८ वर्ष तक के पट्टों को अगर ये जांच करवा लें तो सारी जमीन गरीब हरिजनों को और भूमिहीनों को देने के लिए मिल जांय। अगर आप सही में जमीन का बटवारा करना चाहते हैं तो जमीन की कमी नहीं है। असल में ऐसी जमीनों पर जो प्रभावशाली लोग हैं वे कब्जा किए हुए हैं। उनसे उसे लिया जाना चाहिए। इस प्रकार सरकार को चाहिए कि यह अपने कलक्टर से कहे कि वे कुछ काम करें। आजकल जिलाधिकारी-गण अपने बंगलों में

बैठते हैं, कभी भी वे कचहरियों में १० बजे नहीं आते हैं। संविद सरकार के जमाने में वे ठीक १० बजे अपने कार्यालयों में आ जाया करते थे और टाइम से काम करते थे, लेकिन कांग्रेस के जमाने में वे कहते हैं कि अब तो उनका राज है और अगर कहीं गुप्ता वादी हो गये तो उसको तो और भी परवाह नहीं है कि जनता क्या चीज है। इन अफसरों से जिनमें जिलाधीश, परगनाधीश और कमिश्नर हैं यह कह देना चाहिए कि अगर कागजात दुरस्ती में कोई गल्ती रह जाती है तो वे परसनली रेस्पोंसिबिल होंगे क्योंकि लैंड रेवेन्यू रिकार्ड की सारी जिम्मेदारी कलक्टर की होती है। वे उन्हें कभी भी नहीं देखते हैं और हमेशा लेखपालों की रिपोर्ट्स पर ही निर्भर रहते हैं। अगर वे एक महीने में कम से कम ८ दिन तहसीलों में जा कर एक-एक दिन या दो-दो दिन दें, जनता की शिकायतों को सुनें, चकबन्दी और लेखपालों के बारे में और तहसीलों के छोटे कर्मचारियों के बारे में, तो कुछ सुधार हो सकता है। बहुत सी धांधली जो आज छोटे कर्मचारियों द्वारा होती है, वह इससे दूर हो सकती है और प्रदेश को जनता को राहत मिल सकती है। आज जो नीचे के भी अधिकारी हैं, उनको भी जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको अपने ऐशोआराम और अपनी तन्ख्वाहों से मतबल है।

इस प्रदेश में जबकि मालगुजारी से २२ करोड़ की आय है तो उसमें से ११ करोड़ ३१ लाख के करीब खर्च हो जाता है। इस प्रकार से केवल ११ करोड़ रुपये के बचता है। यदि आप वास्तव में छोटे-छोटे काश्तकारों का हित करना चाहते हैं तो जो रुपया आज अमीरों के हाथ में छोड़ रखा है, उसे वसूल किया जाय। १ अप्रैल, १९६८ को अकेले सेल्स टैक्स का १६ करोड़ के लगभग बाकी है। संविद सरकार के समय में यह केवल १३ करोड़ रह गया था कांग्रेस सरकार के आने पर फिर से १६ करोड़ का एरियर हो गया है जो बाकी पड़ा हुआ है। उस रुपये को ही अगर सख्ती से वसूल किया जाय तो जो हमारे काश्तकार हैं, उनको काफी रिलीफ मिल जाय और जो घाटा है वह भी पूरी हो जाय। हमारे कांग्रेस के भाइयों ने जो लगान खत्म करने का वायदा किया था वह भी पूरा नहीं हुआ। हमारे किसान भाई पानी चाहते हैं, उत्तम बीज और खाद चाहते हैं, लेकिन जब आप उनको ये चीजें मुहैया नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप उनसे टैक्स ले रहे हैं। यदि आप उनको ये सुविधा देने में असमर्थ हैं तो उनसे लैंड रेवेन्यु लेने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कांग्रेस के मूवमेंट से लेकर और गांधी जी के संदेश को ध्यान में रखकर इन्होंने वायदा किया था कि ये किसानों का भला करना चाहते हैं। हम उनकी भलाई करेंगे। लेकिन आज उस बचन का पालन हो रहा है। इस वजह से यह देश और जनता के हित में नहीं है ?

माननीय शर्माजी खुद इसको तसलीम किये हैं कि हम इस सिस्टम को खतम करेंगे। मालगुजारी का रेट जो अंग्रेजों के जमाने में था और जो बन्दोबस्त उस समय था वही आज तक चला आ रहा है। कांग्रेस के शासन ने आज तक कोई रिवीजन आफ रिकार्ड मालगुजारी के बारे में नहीं किया, न कोई बन्दोबस्त किया और पुराना रेट ही काश्तकारों से लिया जा रहा है।

मैं एक सुझाव दूंगा जो कि क्रांतिकारी कदम होगा। जितने काश्तकार सीरदार की हैसियत से दर्ज हैं सबसे दस गुना और २० गुना लिये बिना ही भूमिधर घोषित कर दिया जाय। जो जमींदार थे उनसे बिना कोई मुआवजा लिये ही भूमिधर बना दिया गया तो फिर गरीब किसान से गवर्नमेंट क्यों २० गुना लगान वसूल करना चाहती है। इससे साबित होता है कि आप पूंजीपतियों के एजेन्ट हैं और आप समाजवाद नहीं लाना चाहते हैं और न गरीबों अथवा काश्तकारों की भलाई करना चाहते हैं। यह अनुदान जो मांगा जा रहा है और यह जो बजट है यह भी गैर समाजवादी है और किसानों व गरीबों के विरुद्ध है, शोषित और पिछड़े वर्ग के ऐन्टी है। राष्ट्र का सब से महत्वपूर्ण कार्य जमीन का सुधार है, लेकिन आपने उसके लिये आज तक कोई कदम नहीं उठाया। ऐसी हालत में इस सरकार को एक दिन उस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिये। हम लोग चुनाव क्षेत्रों से चुनाव के दौरान में वायदे

[श्री रूपनाथसिंह यादव]

करके आते हैं हरिजनों से और भूमिहीनों से कि हर खेत में पानी देंगे, हम गरीबों के नौकर हैं लेकिन जब यहां चुनकर आ जाते हैं तो वे सारी पब्लिक में दी गई चीजों को भूल जाते हैं। और कुर्सी के बंटवारे में ५ साल बीत जाते हैं। देश का जो सबसे अच्छा वर्ग है वह आल इंडिया सर्विसेज में आ जाता है। और उनको ५५–५८ वर्ष में कंपलसरी रिटायर कर दिया जाता है लेकिन राजनीतिज्ञ ६८ व ७० वर्ष कुर्सी से चिपके रहते हैं। चाहे वे अपने वायदों को पूरा न कर पायें लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा मैं यह चाहूंगा कि माननीय गुप्ता जी इस चीज की घोषणा करें कि राजनीति में ५५ और ५८ वाला कानून लागू होगा और इससे ऊपर वाले राजनीतिज्ञ रिटायर होंगे और किसी नौजवान साथी को बागडोर सौंपेंगे, जिससे कि देश आगे बढ़ सकेगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

यह बात आप नेता विरोधी दल से भी कहिये।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

मेरे ख्याल में उमर में गुप्ता जी बड़े हैं और इसीलिये मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि दरअसल हमारा जो कर्त्तव्य है उसको वे निभायें। और यह देखें कि राजनीतिक झगड़े में पड़कर जनता तबाह हो रही है और जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने अभी घोषणा की कि कुछ माननीय सदस्यों को इधर से तोड़ कर उधर ले गये, तो आखिर क्यों ले गये। इसलिये ले गये कि बहुमत तो इनका है नहीं लिहाजा तोड़–तोड़ कर बहुमत बना रहे हैं। ऐसा करने में सारा ध्यान तो सरकार का इसी में लगा रहता है और जनता का पैसा यों ही खर्च हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब सदस्य अपना अधिकार जताते हुये नहीं बैठ रहे हैं, तो सूचना नहीं मांग सकते।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

हमको इस प्रदेश की दरअसल सेवा करनी है या महज भाषणों से सेवा करनी है। पिछले बीस साल से हम भाषणों से सेवा करते आये। कम से कम इस गांधी शताब्दी में तो बदलाव आये। इसलिये मैं चाहूंगा कि शासन में सुधार हो और दरअसल जनता की सेवा करने में सब जुट जांय नहीं तो यह प्रदेश जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है और पिछड़ जायगा।

माननीय मंत्री जी द्वारा "राजस्व विभाग के कार्य, १९५८" नामक पुस्तिका बांटी गयी है, जिसमें अकाल और सूखे में की गयी कार्यवाहियों की चर्चा है। मान्यवर, आपने भी सूखे के सम्बन्ध में काफी दौरे किये हैं और आपने देखा कि गांवों की क्या हालत थी, जानवर पानी के बिना मर रहे थे, हरिजनों को पीने के लिये पानी नहीं था। इन्होंने टेस्ट वर्क का रेट दिया है एक रुपया प्रति दिन। अगर किसी के चार पांच बच्चे हैं तो एक रुपये में वह क्या खुद खायेगा और क्या बच्चों को खिलायेगा। यह रेट १९३६ के फैमिन रेलीफ ऐक्ट के आधार पर आपने बनाया। जनता ने कहा कि हम इस रेट पर टैस्ट वर्क में काम नहीं करेंगे। हम लोग कलेक्टर तक पहुंचे कि रेट बढ़ाया जाय। तो उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट की पालिसी है, हमारे वश का नहीं है।

मान्यवर, मैं कहूंगा कि इस तरह से फर्जी टेस्ट वर्क चलाने से कई लाभ नहीं हुआ है। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बांदा, मिर्जापुर आदि जिलों में सूखे का घोर संकट रहा और वहां जो राहत दी गयी, उससे जनता बिलकुल असन्तुष्ट रही। साथही हर जगह राहत नहीं मिली, हरिजन बस्तियों में न तो हैंड पाइप्स लगे, न कुवें ही बने। गंगा पार का जो क्षेत्र है

फूलपुर का जिसके लगातार १५ साल तक प्रधान मंत्री रहे हैं, उस क्षेत्र की भी अवहेलना हुई है। सोराव, हंडिया व फूलपुर तहसील में क्षेत्र में लोग सूखे से परेशान रहे, लेकिन जिला स्तर का कोई भी अधिकारी उन गांवों का मुआयना करने के लिये नहीं गया। हम लोग दरख्वास्त देते रहेलेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फूलपुर को जिन हरिजन बस्तियों में हैंड पाइप लगाने की बात कुवें बनवाने की बात थी, उसकी भी अवहेलना की गयी और आज तक वह काम नहीं किया गया।

इलाहाबाद के कलेक्टर से भी कहा गया, जिन हरिजन बस्तियों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां के हरिजन ३ महीने तक बिना पानी के तड़पते रहे और जब उनको पानी नहीं मिला तो उनसे कहा गया कि डेढ़ मील दूर जाकर हरिजन लोग पानी लावें। जिस जनता से हम आप टैक्स लेकर हम आप यहां बैठे हुए हैं उनके लिये तो अटैच्ड बाथरूम और अन्य कमरे चाहिये और इसके लिये कहीं एक कदम भी जाने की जरूरत नहीं है लेकिन वे एक मील और डेढ़ मील से पानी लाकर पीवें। उसी जनता के प्रतिनिधि बन कर हम यहां बैठे हुए हैं और उनके साथ यह व्यवहार है। सूखे के समय जनता को कोई राहत नहीं मिली चाहे वह डेस्ट रहा हो, चाहे पानी या भोजन के रूप में रहा हो। आपने बजट में आपात-कालीन सहायता के लिये कुछ रखा है लेकिन वह बहुत कमहै, नाकाफी है। हमेशा से यही होता आ रहा है लेकिन आज तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया। कहीं आग लगी और पूरा घर जल गया, उसे २० रुपया मिलता है, कहीं अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है तो उसके लिये रिलीफ सहायता के रूप में २० से ५० रुपया तक ही देते हैं और उसे बटवाते हैं कानूनगो से लेकर नायब तहसीलदार रैंक के आदमियों से। और उसमें गोलमाल भी हो जाता है जिससे सही आदमी तक पैसा नहीं पहुंच पाता। मैं समझता हूं कि यदि आपके कर्मचारी, आपके आफिसर ईमानदारी से जनता के साथ अच्छा व्यवहार न करें तो इस बजट को स्वीकार करने से कोई लाभ न होगा। इसलिये मैं कहूंगाकि जो कटौती का प्रस्ताव पेश है उसे यह सदन स्वीकार करे और इस के लिये एक भी पैसा सरकार के न मिले।

दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद जिले में ओला वृष्टि हुई, पाला पड़ा और सन ६८ की फसल नष्ट हो गयी। लेकिन फूलपुर के बदरा आदि गांवों के किसानों को आज तक कोई रिलीफ नहीं दी गयी, इसके लिये उन्होंने दरख्वास्तें भी दीं, तो आखिर यह मामला क्या है? जब शासन ऐसा है कि जो गरीब हैं, किसान हैं, उन पर जब कोई विपत्ति आती है, दैवी आपदा आती है तो बजाय इसके कि वे उनकी भलाई के लिये कोई काम करें, वे अपनी कुर्सी को छोड़ते नहीं हैं और जिले के बंगले से निकल कर कभी भी गांवों में नहीं जाते हैं। श्रीमन्, इसमें शासन का क्या खर्च पड़ता है अगर यह आदेश दे दिया जाय कि जितने जिला अधिकारी और परगनाधिकारी हैं कम से कम हर तहसील में ही अपना काम करें, बजाय हेडक्वार्टर पर रहने के तो मैं समझता हूं कि तहसील स्तर पर जो भ्रष्टाचार है वह रुक जायगा और सब चुस्ती से काम करने लगेंगे। लेकिन आज हालत यह है कि जब कलम से हुक्म होता है उसको करने में वे कोताही करते हैं, ढिलाई करते हैं।

माननीय, जहां तक जमींदारी एबालिशन का कानून है, उस कानून और रूल के १५ सी० डी० में यह है कि गांव समाज की जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो गांव समाज का प्रधान उसे बेदखल कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट की एक रूलिंग हो गयी है जिसमें यह है कि १५ सी० डी० के अनुसार ऐसे मुकदमे में अगर कोई उज्रदारी कर दे कि इस जमीन के मालिक हम हैं या हमने अपने नाम पट्टा लिखा लिया है और हमारा कब्जा बहुत पहले से है तो वह बेदखल नहीं होगा और उसके लिये प्रोसीडिंग चलेगी। तो वह प्रोसीडिंग्स बोर्ड तक लड़ने के बाद निर्णय होता है कि बेदखल नहीं होगा तो वह दफ़ा बेकार हो जाती है। इसमें तरमीम होनी चाहिये। जमींदारी टूटने से पहले जो जमीन तथा तालाब वगैरह गांव सभा में दर्ज थे वह गांव सभा के ही रहेंगे। अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वह नहीं सुना जायेगा। यदि ऐसा हो

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

जायेगा तब तो इस दफ़ा का फ़ायदा है वरना मुकदमा बेकार हो जाता है और आखिर में जमीन बड़े लोग पा जाते हैं। दफ़ा १५ सी० डी० में तरमीम करें कि ऐसे मुकदमों की कार्यवाही दफ़ा २२९ में होगी।

दूसरे गांव समाज के प्रधान ने जो जमीन ग्राम समाज की नाजायज तरीके से बांट दी है, उसका भी सही तरीके से जांच हो कर बटवारा किया जाय भूमिहीनों में या हरिजनों में।

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, इसलिये हमारे गांवों के नवयुवकों की एक अन्न सेना बनाई जानी चाहिये। उनको ब्लाक स्तर पर कृषि के आधुनिक ज्ञान तथा कृषि औजारों और खाद वगैरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये, जिससे गरीब किसान भी इससे फ़ायदा उठा सकें। यदि ऐसा कदम उठाया जाता है तो देश की जनता का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इस अनुदान को अस्वीकार करेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने कल और आज दोनों दिन की बहस में अच्छे सुझाव दिये और यह बहस अधिकतर माल विभाग की उन बातों तक ही सीमित रही, जिनका ताल्लुक इससे हैं। खास तौर से मैं रूपनाथ जी यादव का आभारी हूं कि उन्होंने विस्तार से माल विभाग की आलोचना की और अच्छे सुझाव दिये। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी बात किसान के और जनहित में होगी वह सरकार द्वारा दी जायेगी। माल विभाग हर गांव, हर कस्बे, हर किसान और खेतिहर मजदूर से ताल्लुक रखता है इसलिये इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण विभाग है और चूंकि यह भूमि से ताल्लुक है इसलिये यह भी स्वाभाविक है कि इसमें कहीं-कहीं गड़बड़ी हो जाय क्योंकि एक करोड़ से ज्यादा किसान परिवार हैं और सब तरह के लोग हैं। अगर सबका स्वभाव एक सा हो जाय, सब कानून मानने वाले बन जायं और एक दूसरे का खयाल करें तो फिर इस विभाग में और सरकार में कोई गड़बड़ी न हो। लेकिन लोगों की प्रवृत्ति बनी हुई है कि जोरदार जोर चलाता है, अक्लमंद अकल चलाता है और पैसे वाला पैसे का जोर चलाता है तो स्वभावतः इस विभाग में भी वह चीजें आती हैं और ज्यादा आती हैं क्योंकि जमीन का मामला है और यह जायदाद ऐसी है जिसको हर एक रखना चाहता है। माननीय यादव जी ने और माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं वह मैं आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अपने लम्बे शासन काल में कानून के द्वारा जो भूमि सम्बन्धी नीतियां अपनायी हैं वे सबसे आगे हैं। शान्तिमय तरीके से किसी भी प्रदेश में उतना नहीं किया, जितना कांग्रेस सरकार ने इस प्रदेश में किया। कम्युनिस्टों का शासन हो गया। वह भी यह बातें नहीं कर पाये जो हमने कानून के द्वारा कीं। उसका नतीजा यह कि और बहुत सी समस्याएं पैदा हो गयीं। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनके दिल में जमीन पाने की लालसा आ गयी। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना, सीलिंग ऐक्ट बना, ये न बनते तो जमीन न निकली होती। हरिजनों व भूमिहीनों को प्राथमिकता न दी गयी होती तो आज यह सवाल इतने उठे नहीं होते, जितने आज दिखायी दे रहे हैं।

एक बात माननीय यादव जी ने कल भी कही और आज भी दोहरा ।। उसका उत्तर मैं जरूर देना चाहता हूं। और वह यह कि १९६७ के चुनाव के पहले हमने मुजफ्फरनगर में प्रस्ताव पास किया था कि जो सवा छः एकड़ तक जोतें हैं उनकी मालगुजारी माफ़ की जाय। फिर भी जब हम उधर बैठे तो एक संशोधन रखा—गेंदा सिंह जी ने रखा था—और कहा कि इसको माना जाय और यह कहा कि इस समय जो एक दो पार्टियां शामिल हैं उनकी वह घोषित नीति है। हमने जो यह किया, यह बात सही है। हमारा १९६७ का जो घोषणा पत्र था उसमें लिखी हुई बातों को अगर हमें मौका मिलता तो हम पूरा करते। घोषणापत्र हमको पाबन्द करता था और उसी घोषणा-पत्र के मातहत जो जनता का हमारा मैंडेट था, हमने संशोधन रखा था

जो गेंदा सिंह जी द्वारा रखा गया था। लेकिन उन्होंने यह कहा कि जब पावर में आ गये तो जनता को धोखा दिया, तब उसको भूल गये। कांग्रेस संस्था की एक परम्परा रही है, वह जनता को भी कभी धोखा नहीं देती है। उसका कारण है, हमारा कोई फ़ैसला धोखा नहीं है न अपरिवर्तनीय है। हम जब एक नीति के काम को ठीक समझते हैं, तब करते हैं और जब समझते हैं कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है और अब वह उचित नहीं है, तो हम जनता के ही द्वारा उसे करते हैं। श्रीमन्, आज जो हम यहां बैठे हैं––६७ के घोषणा-पत्र के आधारपर नहीं बल्कि १९६९ के घोषणा-पत्र के आधार पर बैठे हैं। सन् १९६९ का घोषणा-पत्र जिसके बाद हम मिड टर्म एलेक्शन में चुन कर आये हैं वह आपने देखें, उसमें कहीं भी सवा छः एकड़ की बात नहीं है कि उसे हम छोड़ेंगे। क्योंकि हमने देखा कि संविद सरकार में जिसमें सोशलिस्ट पार्टी भी थी, वह अपनी हजार कोशिश करने पर भी अपनी यह मांग पूरी नहीं करा पाई। और केवल आंसू पोंछने के लिए सिर्फ २ रुपये तक मालगुजारी माफी का वह निर्णय करा पाई। यह केवल एक मखौल था। हम जनता के साथ कोई ऐसा मखौल या विश्वासघात नहीं करना चाहते। सन् १९६९ के मेनीफ़ेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने समझा कि किसान इसको ठीक नहीं समझता। किसान की तरफ़ से दूसरी मांगें हैं, जिन्हें हमने अपने घोषणा-पत्र में कहा था। सबसे पहले प्रायरिटी हम देंगे पानी को––पेय जल और खेती के पानी की, दूसरी प्रायरिटी इसमें हम देंगे लोगों के अन्य सवालों को, अपनी आबादी का हम प्रबन्ध करेंगे। उसके आधार पर बराबर हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जनता को हमने धोखा नहीं दिया। १९६९ में हमने अपना चुनाव घोषणा-पत्र बदला और उसे जनता के बीच में जाकर कहा। हमने यह कहा था कि हम अध्यापकों को महंगाई भत्ता देंगे और इस हेतु हमें ९ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा है। दूसरे लोगों की जो वेतन वृद्धि की बात है उसका हमने वायदा किया था, वह पूरा किया है और पूरा करेंगे।

उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं किसान हूं। मैं भी किसान हूं और गांव से आता हूं। मेरे क्षेत्र में किसान ही किसान हैं, मुश्किल से ३–४ फीसदी लोग और पेशे में लगे होंगे। मैं बराबर अपने क्षेत्र से सन् १९४६ से सम्बन्ध रखता हूं। मुझे अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास प्राप्त है और कभी मैंने अपना क्षेत्र बदलने की कोशिश नहीं की जब से मैं इस चुनाव में पड़ा हूं। मैं किसान का कार्य करता हूं और करता रहूंगा, मैंने मजदूरों में इंडस्ट्रियल मजदूरों में काम नहीं किया है। मुझे ४८–५० साल किसान के बीच काम करते हो गये हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मेरा जो विश्वास है जिसका उन्होंने उदाहरण दिया था लैण्ड रेवेन्यू किसी साइन्टिफ़िक बेसेज पर होना चाहिये। लेकिन एक प्रश्न व्यवस्था का होता है कि आज हम क्या कर सकते हैं और आज दूसरे सवाल उससे महत्व के हैं या नहीं, उनसे हमें निपटना है या नहीं? लैण्ड रेवेन्यू का बन्दोबस्त १/५ के हिसाब से, जिस वक्त गल्ले का भाव आज से बीसों गुना ज्यादा था लागू हुआ था। उसके कम से कम भावों में अब से २० गुना, ३० गुना और उससे भी ज्यादा का फ़र्क पड़ गया है। तो लैंड रेवेन्यू जो लगा है यह सही बात है कि जमींदारी के जमाने में उनका कुछ बेसिस है ही नहीं। एक खेत है उस पर एक या दो रुपया लगता है और उसी के बराबर का खेत है उस पर चार रुपया लगता है क्योंकि जो जैसा जोतने वाला था जिससे जितना वे ले सकते उन्होंने ले लिया। यह सही बात है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह भी सही है कि कीमतें बढ़ी हैं इससे किसान लगान की पर-वाह करते ही नहीं हैं। अगर आप कोई रेंट का सिस्टम इवाल्व करें या कोई बन्दोबस्त करा लें चाहे पुराने इस्टेट्स मर्ज हुये हैं उनकी बेसिस पर करा लें या टेहरी का आधार मानें जो सब से बाद में मर्ज हुआ और जहां का लगान अधिक बताया जाता है वहां भी यदि उन्हीं के नियमों के अनुसार आज बन्दोबस्त करें तो उसका लगान इससे भी बढ़ जायगा जो आज वह दे रहा है। और बन्दोबस्त का कोई तरीका भी नहीं है जब तक कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट सिस्टम में तब्दीली न हो और कोई सिस्टम न बने तब तक यह हो ही नहीं सकता और इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। लेकिन व्यवहार में जो कठिनाइयां हैं उनको हमें देखना ही है।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

और चीजें जो कही गयीं उसके बारे में कहूंगा और इसके बारे में जब जरूरत आयेगी तब कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

(एक सदस्य के फ्लोर क्रास करने पर) माननीय सदस्य को फ्लोर नहीं क्रास करना चाहिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, सबसे ज्यादा शिकायत चकबन्दी की हुई है। मैं चौधरी चरण सिंह जी के साथ माल विभाग में था। उस समय चकबन्दी का कानून बना था। मेरा विश्वास था और आज वह विश्वास सही निकला कि यह किसानों के बड़े फ़ायदे का कानून है। गलतियां उसमें हैं और शुरू-शुरू में जो चकबन्दी हुई उसमें ज्यादा गलतियां हुईं। बाद में व्यवहार में उनका सुधार किया गया तो वह गलतियां निकल गयीं और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। अब वह गलतियां उसमें नहीं है। जो भी त्रुटियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा आवश्यक काम है और इस पंचवर्षीय योजना में इसे होना चाहिये, लिहाजा ,जैसी हमारी अपनी दशा है, उसके अनुसार २० करोड़ रुपया इस पंचसाल के लिये चकबन्दी के लिये रखा गया है। और इसमें से ४ करोड़ २३ लाख रुपया इस चालू वर्ष के लिये है जो इसके लिये रखा गया है। इसमें २३ हजार से ऊपर कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अफसर हैं। यह बहुत बड़ा महकमा है और बहुत बड़ा काम यह करता है क्योंकि कई जिलों से ताल्लुक रखता है। जिन जिलों में चकबन्दी का काम हुआ है मैं दावे के साथ कहता हूं कि वहां के किसानों से जा कर पूछ लीजिये उनकी कठिनाई कम हो गई किसी भी जिले में आप जाइये जहां पर चकबन्दी हुई है उनसे मालूम कीजिये तो वहां पर ट्यूबवैल बहुत संख्या में लगे हुये हैं, जिससे पैदावार निश्चय ही बढ़ी है। उसका प्रमाण यह है कि जहां पर चकबन्दी का काम नहीं हुआ था और जिले छूट गये थे, लोगों ने एतराज किया था तो वहां से २२०० प्रार्थना-पत्र हमारे पास पड़े हैं कि वहां पर चकबन्दी कराई जाय। करीब २०० प्रार्थना-पत्र हर वर्ष आते हैं कि वहां पर चकबन्दी कराई जाय। यह इस बात का प्रमाण है कि जहां पर चकबन्दी नहीं हुई थी उसके पड़ोस में लोगों ने देखा कि उनको बहुत फायदा हुआ है तो वे अब अपने यहां चकबन्दी चाहते हैं। गड़बड़ी चकबन्दी के काम में हुई है होती है। नदी के किनारे कटाव होते हैं वहां हम नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि जहां पर कटाव है, ढाल है वहां न कीजिये बाकी जमीन में चकबन्दी कर दीजिये। जो गड़बड़ी होती है उसको रोकने के लिये बराबर कोशिश करते हैं और बराबर कोशिश करते रहते हैं।

चकबन्दी के काम में जो आफिसर्स हैं उनके भ्रष्टाचार की शिकायत यहां पर की गई। २३ हजार आदमी इसमें काम करते हैं। जिनकी सर्विसेज टैम्पोरेरी हैं।

(इस समय २ बज कर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

११ हजार से ज्यादा आदमियों की सर्विसेज समाप्त की जा चुकी हैं, इससे ज्यादा परसेंटेज सजा का मेरे ख्याल में नहीं होगा। वार्निंग, सुपरसेशन इत्यादि सजायें तो होती ही हैं लेकिन सेवा से मुक्त कर देना, जो सबसे बड़ी सजा हो सकती है वह इसमें उनको हमने दी है। इससे यह साफ जाहिर हो जायगा कि कोशिश की जा रही है कि चकबन्दी में जो भ्रष्टाचार है वह दूर किया जाय।

गांव समाज की जमीन और सीलिंग से जो जमीन बची उसमें बड़ा करप्शन हो रहा है। लेखपाल और सचिव मिलीभगत कर रहे हैं और विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई— यह कहा गया, वह बात सही नहीं है। यह शिकायतें बहुत पहले से आ रही थीं कि गांव सभा के पदाधिकारियों ने नाजायज पट्टे अपने रिश्तेदारों और नौकरों इत्यादि को दिये हैं, उनसे काफी नुकसान हुआ है और जिनके लिये वह थीं उन भूमिहीनों और हरिजनों को नहीं मिलीं।

में निवेदन करना चाहता हूं कि कानून में तो जरूर यह स्पष्ट है लेकिन यदि माननीय सदस्य राजी हों तो इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। यह "भूमिहीन" शब्द जरा गड़बड़ी करने का मौका देता है, इसमें होना चाहिए था' लैंडलेस लेबर"--जो खेतों में काम करते हैं मजदूर। यह नहीं कि जो लोहार है, बढ़ई है, दूकानदार है, जमींदारों के लड़के हैं जिनके पास भूमि नहीं है उनको भी भूमहीन करार दे दिया जाय जिसका कि भूमि से कोई ताल्लुक नहीं है और वह दूसरा पेशा करता है। अगर इसमें "लैंडलेस लेबर" करने का मंशा हो तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। उससे कम से कम एक सीमा हो जायगी और "लैंड लेस" शब्द का दुरुपयोग न हो सकेगा। तो इस मामले में जब शिकायतें ज्यादा हुयीं तो सोचा गया कि ३ साल के पट्टे जैसा कि यादव जी ने कहा, निरस्त, रद किये जायं। उनकी रिपोर्ट मांगी गयी। मैं जब माल मंत्री हुआ तो सबसे पहले मैंने इसी में देखा। जिस-जिस जिले में मैं गया वहां अधिकारियों ने कहा कि जल्दी से जल्दी मुकदमे फैसल होने चाहिए। यही नहीं, मई, १९६९ में मैंने एक सर्कुलर निकलवाया कि ये मुकदमे १५ जुलाई तक अवश्य फैसल हो जाने चाहिये जहां कोई विशेष कारण न हो, ताकि यह जमीन बांटी जा सके या जमीन भूमिहीनों को मिल सके, यह काम जल्दी हो सके। तो श्रीमान् जी, जितना काम उधर साल भर में नहीं हुआ था चार महीने में उससे ज्यादा काम हुआ है। और यह भी कहा गया कि पट्टे खारिज किये गये हैं। मैंने इस तरह के आदेश दिये हैं कि जो भूमि हरिजनों को या भूमिहीनों को दी गयी हैं, उनमें अगर कुछ छोटी-मोटी इरेगुलरीटीज भी हैं तो उनके पट्टे खारिज न किये जांय। अब मैं इनकी संख्या आपको बताना चाहता हूं। अनियमित पट्टों की संख्या १,७८,३२६ थी। उन मुकदमों की संख्या जो धारा १९८ के अनुसार चले हैं १,५०,३५० है। जो और मुकदमें चलाये गये उनकी संख्या १,३०,९४९ है। जिन मुकदमों का फैसला हुआ है उनकी संख्या ३१ दिसम्बर, १९६८ तक की है, ६०,२८७। मुझे विश्वास है इस बीच वह संख्या काफी ज्यादा हो गयी होगी। जिन केसेज में पट्टे निरस्त किये गये उनकी संख्या है ५०,७२५। इस तरह आप देखेंगे कि काफी संख्या में पट्टों की गड़बड़ी थी जो निरस्त किये गये। इनसे जो क्षेत्रफल निकला है वह है ७५,२१५ एकड़। मई में मैंने जी० ओ० निकाला था कि यह जमीन भूमिहीनों को दे दी जाय। अब हमने यह भी कर दिया है कि ग्राम समाज उनको पट्टा तो देगी, लेकिन वह पट्टा तब तक फाइनल नहीं होगा जब तक कि उस पर एस० डी० एम० की फाइनल स्वीकृति न हो जाय।

सीलिंग से जो भूमि निकली है, उस संबंध में कुछ भ्रान्तियां हैं। यह भ्रान्ति है कि सीलिंग से जो भूमि निकली वह हमेशा के लिये किसी को दे दी गयी। यह बात सही नहीं है। सीलिंग ऐक्ट में यह है कि यह जमीन उन लोगों को हमेशा के लिये दे दी जायेगी जो लैंडलेस लोग हैं और उन्होंने कोआपरेटिव सोसाइटियां बना ली हैं, इत्तफाक से ऐसी सोसाइटियां बहुत कम हैं, या न के बराबर हैं। इसलिये यह प्राविजन है कि जिनको यह भूमि दी जाय वह ५ वर्ष के लिये दी जाय। एक बात यह है कि जो भूमि दी गयी, जो बन्दोबस्त किया गया, उसकी करीब-करीब म्याद खत्म होने वाली है। तो हम यह सोच रहे हैं कि इस कानून में परिवर्तन कर दें क्योंकि यह उम्मीद थी कि ५ साल के अन्दर उनकी सोसाइटीज बन जायेंगी। लेकिन वह हुआ नहीं। तो अब हम यह कर रहे हैं कि आपकी अनुमति के लिये हम यह संशोधन ला रहे हैं, कि भूमिहीनों को वहां पर परमानेन्टली सेटिल किया जाय। इस तरह के अमेन्डमेन्ट को लायेंगे। श्रीमान जी, जो जमीन ऐसा कहा गया एक दफा कि सारी ९० हजार एकड़ जमीन मिली है सीलिंग से। सीलिंग में यह जरूर है, उम्मीद यह थी कि चार लाख एकड़ जमीन इससे निकलेगी। लेकिन जमीन निकली है केवल २,४०,३०२ एकड़। जो जमीन का बन्दोबस्त किया गया है, बड़े-बड़े लोगों की जमीन थी, तो अकसर लोगों ने मुकदमें दायर कर रखें हैं और उन मुकदमों की वजह से कहीं-कहीं फैसल नहीं हो पाये हैं। तो इसमें यह हुआ कि अभी तक बन्दोबस्त १,२०,५८२ एकड़ जमीन का हुआ है और जैसा मैंने अर्ज किया कि इसमें अधिकांश भूमिहीनों का भी इसके साथ बदोबस्त किया गया है लेकिन यह टैम्पोरेरी बन्दोबस्त है। इसमें मैंने अभी मई में एक जी० ओ० निकाला है कि सीलिंग

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

ऐक्ट के बारे में भी जांच करा ली जाय कि किन-किन लोगों ने जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम फर्जी लोगों के नाम लिखाई और उनकी तालिका हमको बतलाया जाय कि किन-किन लोगों ने फर्जी नामों से ट्रान्सफर करा दिया है। उसकी हम एक तालिका मंगवा रहे हैं ताकि मालूम हो जाय कि किन्होंने कानून को एब्यूज किया है। दूसरा यह भी निकाल सकेंगे जैसे कि बार-बार बातें कही गईं कि जो जमीनें बड़े लोगों को और मिल मालिकों को दी गई हैं वे उसी पर्पज के लिये इस्तेमाल की गई हैं या नहीं। इस तरह भी जितनी भूमि मिल सकेगी वह मिलेगी उन भूमिहीनों को। इसमें भी जो हरिजनों के लिये बात कही गई है, जैसा मैंने कहा हमारा अमेन्डमेन्ट लाने का विचार है। उससे हम भूमिहीनों को ही जमीन देने का विचार कर रहे हैं। श्रीमन्, यह तो रही इसकी बात।

अब कुछ और बातें जो कही गईं खास तौर से माल के मुकदमों में गड़बड़ होती है, देरी होती है। श्रीमान महोदय को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी अखबारों में पढ़ा हो तो सबसे पहले अगर मैंने दो एक काम किये और देखा तो भी यह देखने की कोशिश की कि इन दाखिल खारिज के मुकदमों में कितनी देर लगती है। उसको मैंने एक तहसील में भी देखा है। दाखिल खारिज के जो बिना झगड़े के मुकदमें होते हैं उनमें बारह-बारह पेशियां दी गईं। ६-६ महीने, ८-८ महीने और दस-दस महीने लग गये हैं और फैसला नहीं हुआ। तो फौरन हमने एक जी० ओ० निकाला था कि जो अन-कान्टेस्टेड केस हैं चाहे वे विरासत से मिले या सेल के बिना पर हो, खरीद के बिना पर हों या विरासतन, उसकी दो महीने में फैसल हो जाना चाहिये। अगर दो महीनों में न हों तो उसकी रिपोर्ट आफिसर मांगे। यह भी हमने कह रखा है कि जिला मैजिस्ट्रेट उसे स्वयं देखें। कमिश्नर से कहा है कि अगर वे दौरे पर जाते हैं तो कृपा करके यह देखें कि उन मुकदमों में कितनी देर लगती है और क्यों लगती है और जो दो महीने का जी० ओ० है उसको लागू किया जा रहा है या नहीं। राज्य परिषद् में जो अधिकारी हैं वे शैड्यूल बना रहे हैं कि कितने दिनों के समन निकाला जायेगा, कितने दिनों में समन की वापिसी होगी। और कितने दिनों में समन की सुनवाई होगी। रजिस्ट्रर भी वे दो दो इसके लिये बनाना चाहते हैं कि ताकि रजिस्ट्रार कानूनगो गड़बड़ न करने पायें। तो हर तरह की कोशिश की जा रही है। राजस्व परिषद् की ओर से काफी कोशिश की जा रही है। किसी मुकदमें में पेचीदगी हो, उसमें भले ही देर लग जाय लेकिन जो निजाई मुकदमें हैं उनके लिये यह आदेश दिये गये हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा ३ महीनों में फैसल हो जाने चाहिये।

चकबंदी में भी कहीं गड़बड़ी हुई है तो, आफीसरों ने लोगों को काफी दंड दिया है।

इसके बाद राजस्व परिषद् के बारे में कुछ कहा गया। इस संबंध में मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को ज्यादा गंभीरता से बातें करनी चाहिये। हमारी जो न्यायिक शाखा है उसका स्तर हाईकोर्ट का है और हमेशा से रहा है। रेवेन्यू बोर्ड की बड़ी प्रतिष्ठा है। वहां वही लोग रखे जाते हैं जो सीनियर, कमिश्नर के स्केल के होते हैं। जिनको कलेक्टर के पद का जिले का पूरा अनुभव होता है। वे लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुकदमों का फैसला हो। हाईकोर्ट में ४०-४० जजेज मौजूद हैं लेकिन वहां भी एरियर्स हैं। आई० सी० एस० के मेम्बर्स भी अभी तक ३ काम कर रहे थे अब गुप्ता जी ने एक और बढ़ा दिया है। यह एक ऐसी संस्था है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके लिये कहा गया कि पी० सी० एस० या जुडीशियल के आदमी को वहां रखा जाय। वहां पर वह कमिश्नर की अपील भला किस प्रकार से सुन सकता है। वहां भ्रष्टाचार वगैरा की बात भी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि मेरी तीनों ग्रान्टों को यह सदन पास कर दे।

श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं। जो भूमि गांव समाज की है, जिस पर बाअसर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है, उनकी बेदखली के बारे में सरकार ने क्या सोचा है?

दूसरी बात यह कि कानून के लिहाज से अगर कोई काश्तकार मर जाता है तो उसकी जमीन उसकी बीबी को मिल जाती है, जो एक दो साल के बाद दूसरी शादी कर लेती, उसकी मां वैसे ही रह जाती है उसके लिये कोई प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उसके संबंध में तो ११५-सी० की कार्यवाही की जाती है । पहले उन पर दुगुना जुर्माना किया जाता था लेकिन अब उसको बढ़ा कर ५० गुना कर दिया गया है । यह तो नाजायज कब्जे के बारे में है । इसके अलावा यह भी आदेश देने वाले हैं कि अगर कोई दुबारा कब्जा कर ले तो बेदखल करने के अलावा इस पर फौजदारी का मुकदमा भी चलाया जाय । जहां तक दूसरी बात का संबंध है उस पर हम विचार कर लेंगे ।

श्री सूरजलाल---

मंत्रीजी ने फरमाया कि जमीन पर कब्जा करने वालों से मसालबा वसूल कर लिया जाता हैं । जुरमाना तो वे हंसी खुशी दे देते हैं क्योंकि उससे अधिक तो वे उसकी उपज से वसूल कर लेते है । क्या उस जमीन से उनको बेदखल करके उसको भूमिहीनों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

बिल्कुल मिलेगी । भूमिहीनों को ही मिलेगी, क्योंकि वे ही इसको पाने के अधिकारी हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अब समय समाप्त हो गया है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १---बृहत् जोत-कर के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १-बृहत् जोत-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,३३,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २-भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---सवा ६ एकड़ तक की जोतों से लगान की समाप्ति के संबंध में चर्चा करना और सरकारी नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २—भू—राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,२८,५७,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—सरकारी नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,००,१६,००० रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९२,३०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,७०,१२,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि इन अनुदानों के सिलसिले में बहुत कम समय रखा गया है और माननीय सदस्य अपने विचार इस विषय पर रखेंगे तो मैं सदन का समय न लेते हुए माननीय सदस्यों के विचार को सुनूंगा और अन्त में खाद्य मंत्री जी स्वतः उन विषयों पर प्रकाश डालेंगे, जो माननीय सदस्य इस सदन में रखेंगे ।

श्री बैजनाथ (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बी० के० डी०, में ही हूं और मैंने पार्टी नहीं बदली है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के सम्पर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने के उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्य का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से आज तक खाद्य की समस्या हल नहीं की गयी। कांग्रेस के २० वर्ष के शासन काल में जब तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गयी थी उस समय ऐलान किया गया था कि सन् ५१ तक हमारा देश खाद्य में आत्मनिर्भर हो जायगा लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ और हमारा देश आज कर्जे के बोझ से दबता जा रहा है क्योंकि खाद्य की समस्या के कारण जितनी मुद्रा प्रचलन में है उसकी २/३ पी० एल० ४८० की है। करोड़ों रुपये की धनराशि खाद्य के मामले में तथा कृषि के सम्बन्ध में खर्च की जा चुकी है लेकिन सन् ५१ की तुलना में हमारे सामने ये आंकड़े आते हैं। सन् ५२ में हमारे प्रदेश में चावल की पैदावार १९,६७,२०९ टन थी और क्षेत्रफल ९६,१९,०२७ एकड़ था लेकिन इतना रुपया खर्च करने के बाद आज चावल की पैदावार १९,०४,६९९ टन है। यानी १९५१ में जो हमारी पैदावार चावल की थी इतना रुपया खर्च करने के बाद भी वह कम हो जाती है। (व्यवधान) म माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि खाद्य की समस्या कृषि से जुड़ी हुई है। अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी तो खाद्य की समस्या हल नहीं होगी। दूसरे गेहूं की पैदावार लीजिये। १९५१ में गेहूं की पैदावार थी २६,७८,१३८ टन और क्षेत्रफल था ८१,९८,१८६ एकड़। १९६७ में क्षेत्रफल तो हो गया १,०८,५९,००० एकड़ मगर पैदावार कितनी हुई? ४१,६३,५२९ टन। क्या कारण है कि तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी होने के बाद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई? कांग्रेस बात तो करती है समाजवाद की लेकिन जो उसकी घोषित नीतियां हैं काम उनके विरुद्ध करती है। उसके पहले जब बहस हो रही थी तो प्रश्न रखा गया था कि आपने खेती के सुधार के लिये क्या किया। हमारे देश के अन्दर खेती की समस्या हल नहीं हो सकती जबतक कि जो आपका पुराना नारा था, 'लैंड टु दि टिलर' उसके मुताबिक भूमि जोतने वाले को नहीं मिलेगी। आपने सीलिंग ऐक्ट पास किया लेकिन क्या खेतिहर मजदूर को जमीन मिली? नहीं मिली। कौन इस जमीन को हड़प गया?

श्री विजयशंकर सिंह (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आज खाद्य का बजट है और माननीय सदस्य कृषि पर बोल रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह—

मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि खाद्य की समस्या उत्पादन से जुड़ी हुई है। खाद्य विभाग क्या वितरण करेगा अगर अनाज पैदा नहीं होता। यहां पर सतिया कांड के बारे में बहस हो रही है। मैं उस कांड में नहीं जाता। लेकिन त्रिपाठीजी का कितने एकड़ का फार्म है? माननीय गिरधारीलालजी का देहरादून के अन्दर कितने एकड़ का फार्म है। क्या उनके ऊपर सीलिंग ऐक्ट का कोई असर हुआ? क्या जो किसान मेहनत करने वाला है उसको जमीन मिली? जब तक जोतने वाले को जमीन नहीं मिलती अन्न की समस्या का हल नहीं हो सकता। यहां पैदावार बढ़ाने के नाम पर किसान का लगान बढ़ा देंगे, पानी और बिजली का रेट बढ़ा देंगे, कैसे अन्न की समस्या हल होगी। आपकी नीति जन विरोधी नीति रही है, आपकी नीति किसान विरोधी नीति रही है। आज आप उन नीतियों पर नहीं चलते हैं जिन नीतियों पर चलने की घोषणा की थी और

[श्री गोविन्द सिंह]

अपनी पार्टी के अन्दर प्रस्ताव पास किया था। आप उन प्रस्तावों पर अमल नहीं करते, इसी कारण हमारे अन्न संकट का हल नहीं हो सका है। जहां तक रसद विभाग की बात है, आपने प्रस्ताव पास किया था कि अनाज का राष्ट्रीयकरण होगा, अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण होगा, और मेरे विचार से सन् ६५ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अन्दर आपने यह प्रस्ताव पास किया था कि कामराज प्लान बना था दस सूत्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर काम करने का जिसमें एक कार्यक्रम अनाज के व्यापार का राष्ट्रीयकरण ही था, लेकिन क्या किया आपने ? सही बात यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश के किसानों को यह यकीन नहीं होता कि अपनी पैदावार का वह मालिक है, जब तक उसको यह यकीन नहीं होगा कि खेत में वह जो मेहनत करता है उसमें जो पैदावार होगी वह उसकी दौलत है, तब तक मेरा यकीन है कि पैदावार नहीं बढ़ सकती है।

आज उत्तर प्रदेश की ८ करोड़ जनता चोर बाजारियों के हाथ में पड़ी हुई है। खुलेआम बाजारों में भी चोरबाजारी होती है। किसान जब अनाज पैदा करता है और उसे लेकर 'मंडियों' के अन्दर जाता है तो उस अनाज की कीमत उसे २० रुपये मिलती है। बड़े-बड़े मुनाफाखोर और बड़े-बड़ चोर बाजारिये लोग अपने गोदामों में अनाज को बन्द कर देते हैं और ४ महीने बाद वही अनाज ४०–४५ रुपये मन बिकता है। जो मेहनत करने वाला किसान है जो खून पसीना एक करके धरती के गर्भ से अनाज पैदा करता है उसे तो एक मन का २० रुपया मिलता है और बाजार के अन्दर जा आढ़ती लोग हैं उनको २५ रुपये मिलता है यह आपका समाजवाद है ? इस नीति के ऊपर चल कर आप कहते हैं कि हम समाजवादी हैं ? इस नीति के ऊपर चलकर ही आप कहते हैं कि हम किसानों के बड़े हिमायती हैं ? आप नहीं है। ठीक है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन केवल उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी पूंजी ५० करोड़ रुपये से ज्यादा थी। होता क्या है ? बैंक जो हैं, बड़े फार्म वालों को एडवांस रुपया दे देते हैं और वे खेतों से गल्ला खरीद कर अपने गोदामों में भर लेते हैं और जब लीन सीजन आता है तब अनाज की कीमत बढ़ा कर एक तरफ वे उपभोक्ताओं को लूटते हैं और दूसरी तरफ किसानो को लूटते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज आप इस विषय में घोषणा कर दें कि सरकार अनाज के व्यापार के संबंध में राष्ट्रीयकरण करने को सोच रही है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग लड़ते हैं कुर्सी के लिये, आफिसरवाद के लिये। पद के लिये आपने सदन के पांच सदस्यों को अपने पक्ष में तोड़ लिया, लेकिन आपको इसके लिये किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। नीति को लेकर जब आपने एक प्रस्ताव पास किया है तो इसमें आपको सदन का पूरा समर्थन मिलेगा। अगर आप समाजवमद की बात करते हैं तो यहां बहुत से समाजवादी हैं और उन सब का समर्थन आपको मिल सकता है। लेकिन जो भी समर्थन आवेगा वह उन नीतियों को लेकर ही आवेगा।

इन्दिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वे नहीं डरीं और इसमें उनके सब का समर्थन मिला। आपकी जो नीतियां हैं उनको लेकर आवें और यहां घोषणा करें कि अनाज का राजकीय व्यापार होगा तो इस सदन का आपको समर्थन मिलेगा और यहां की जनता भी उसका स्वागत करेगी लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी आढ़तियों की पार्टी है। आप चुनाव में बड़े-बड़े आढ़तियों से पैसे लेते हैं, बड़े-बड़े जखीरेबाजों से चुनाव में पैसे लेते हैं जो किसानों को लूटते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप यह काम नहीं कर सकते तो कुछ और काम तो कीजिये। गल्ला वसूली का सवाल वह आप नहीं करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके सरकारी गोदाम में कितना अनाज है। कल वर्षा नहीं हुई और मौसम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। जनता को काले बाजार करने वालों के ऊपर छोड़ देंगे। अगर आप अनाज का राज्य व्यापार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जनता चोर बाजार करने वालों के हाथ में न छोड़िये। कोई बफर स्टाक कायम कीजिये। किसान को इतनी कीमत दीजिये जिससे उसका खर्चा पूरा हो सके जो मेंहनत करता है उसको मेहनत का फल मिल सके। ऐसी नीति आप बनाइये।

पर्वतीय क्षेत्रों में अनाज की बहुत कमी है। डेफीसिट एरिया है। सरकारी सप्लाई पर ही हमें गल्ले के लिये निर्भर होना पड़ता है। वहां अनाज ले जाने में मोटर वगैरह का भाड़ा भी

बहुत ज्यादा लगता है। इसलिये गल्ले में सबसीडी दीजिये जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो सके। हमारे क्षेत्र में देहरादून में एक आटा मिल है और उससे आटा लाजमी लेना होता है। वह लाइसेंस होल्डर है। वह कहता है कि १०० क्विंटल आटा लेने के लिये ८० क्विंटल मदा लेनी पड़गी। हमारे यहां मैदा का कोई खर्चा नहीं है। एक लाइसेंस होल्डर का इस तरह का व्यवहार कहां तक ठीक है ?

दूसरी समस्या चीनी की है। अभी तक सरकार ने गन्ने के संबंध में कोई नीति नहीं अपनाई है। गन्ना पैदा करने वाले किसान आज चीनी मिल मालिकों के रहम पर रह रहें हैं। लाखों रुपया किसानों का उनके ऊपर बकाया है और मिल मालिक नहीं देता है। वह जो रहेंगे वही गन्ने का भाव रहेगा। आपने मिल मालिकों को ४५ लाख रुपये की छूट दे दी। गन्ना किसान जिसने कंट्रोल रेट पर सस्ता गन्ना बेचा उसको आपने क्या दिया। उसको कौन सा मुआवजा आपने दिया है ? जब तक चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण नहीं होगा उसका उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। मैं गेंदासिंह जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस में ऐसी चीज रखी है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। आपने जो बजट रखा है उसमें ऐसा करने से आपको ४८ करोड़ रुपये का लाभ होगा किसान को भी फायदा होगा और चीनी का उत्पादन भी बढ़ जायेगा। समाजवाद की दिशा में यह कदम है इसको आप क्यों नहीं उठाते ह ? आप नहीं उठायेंगे।

रेंट कंट्रोल के ऊपर आइये। सरकार कह रही है कि जनसंख्या बढ़ रही है। पैदावार के मुकाबले में जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि जनसंख्या के बढ़ने पर आपने उसके आवास का कुछ प्रबन्ध किया है। हम देखते हैं कि १९५१ तक के मकान रेंट कंट्रोल में हैं इसके बाद के नहीं है। इसके बाद कितने ही नये भवनों का निर्माण हुआ है।

(इस समय २ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट पीठासीन हुए)

लेकिन आप उनके ऊपर रेंट कांट्रोल ऐक्ट लागू नहीं करते। उसका नतीजा क्या होता है ? देहरादून के अन्दर जाइये एक छोटी सी कोठरी १०० रुपये से कम किराय पर नहीं मिलती है। रेंट कंट्रोल के मकान किस को दिये जा रहे हैं। वह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को नहीं मिलते। हमारे अफसरों का इतना बोलबाला है कि तीस रुपये किराये का मकान उसको मिलेगा जिसकी १०० रुपये माहवार तनख्वाह है। मकान के लिए मिनिस्टरों की, कमिशनरों कि सिफारिश चलती है। उसका रिवीजन किस के यहां होता है। मिनिस्टर साहब की सिफारिश से मकान मिलता है और उसका रिवीजन मिनिस्टर साहब के पास होगा। आपके खिलाफ शिकायत करनी हो तो उसका फैसला आप ही देंगे। कितना बड़ा अन्याय है अगर समाजवाद की बात करते हो तो रेंट कन्टोल ऐक्ट को जो १९६५ तक मकान बने हैं उन तक लागू कीजिये। जो रिवीजन की पावर सेक्शन १६ में है वह सरकार अपने हाथ में न रखे बल्कि मुंसिफ या डिस्ट्रिक्ट जज को देदे। वहां न्याय मिलेगा। क्योंकि अपील कमिश्नर के पास जाती है और कमिश्नर की अपील आप के पास। कहा न्याय मिलेगा। सेक्शन ३ की कार्यवाहियां हो रहीं हैं। उसमें कितना भ्रष्टाचार मकानो को रिलीज कराने में चल रहा है। भयंकर रूप से रिश्वत खोरी चल रही है। उसको रोकने का एक ही तरीका है। यह पावर जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है वह जुडिशियरी के हाथ में दे दी जाय। अलाटमेंट की पावर कलेक्टर को रहे हैं। लेकिन रिवीजनल जुरिस्डिक्शन जुडिशियरी के हाथ में जाय तभी न्याय हो सकता है।

बंगलौर में जाकर आपने एक प्रस्ताव पास किया था। उस प्रस्ताव में एक बात यह थी कि आप अरबन प्रापर्टी की सीलिंग करेंगे। क्या आप तैयार हैं कि शहरी जायदाद पर हदबन्दी करने के लिये तैयार हैं ? मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर हमारे मंत्री जी भी कुछ कहेंगे। इन शब्दों के साथ में सदन से निवेदन करता हूं कि चूंकि सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं जिन पर चल कर हम अनाज की समस्या नहीं हल कर सकते, इसको ध्यान में रखते हुए मैं सदन से अपील करूंगा कि वह यह कटौती का प्रस्ताव मंजूर करे।

*श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद तथा रसद विभाग के सम्बन्ध में जो मांगें यहां उपस्थित की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं । इस प्रदेश में इस साल काफी बढ़िया फसल हुई है जिसके कारण गल्ले के दाम कम रहे और खाद्य एवं रसद विभाग का कार्य भी काफी हलका रहा । बढ़िया फसल होने के बावजद जो सस्ते गल्ले की दकाने हैं उनमें काफी मात्रा में गल्ला उपलब्ध रहा परन्तु बाजार में भाव कम होने के कारण उन दूकानों का कुछ अधिक उपयोग न हो सका । एक बात और है । इन दूकानों में जो खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं । सरकार की ओर से उनको अच्छी क्वालिटी का माल दिया जाता है ।

परन्तु देखने में यह आता है कि राशन की दूकानों पर वह लोग मिलावट कर देते हैं या दसरी कोई गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे वह घटिया से घटिया माल रह जाता है । जो लोग उन दुकानों से माल भी लेना चाहते हैं, अपने को लेने में असमर्थ पाते हैं । इस प्रदेश में बहुत कम गल्ला उन दुकानों से उठ रहा है । इस बात की जांच कराई जाए कि सरकार द्वारा दिये गये माल में किसी तरह की मिलावट न होने पाये । इसके अलावा जहां तक मिलावट का संबंध है आटा मिलों के बारे में भी काफी शिकायतें हैं, आटा के संबंध में काफी शिकायत आती रहती हैं । यह भी देखा गया है कि आटा मिलों में काफी कुछ मिलावट पकड़ी भी गई है । विभाग के इंस्पेक्टर के वहां रहते हुये भी इस प्रकार की बात होना बड़े शर्म की बात है । आटा मिलों पर बहुत कड़ी निगाह रखी जाय कि वह किसी प्रकार की मिलावट खाद्यान्न में न कर पाएं जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े । इंस्पेक्टर के लिए काफी निगरानी की आवश्यकता है । सुनने में यहां तक आया है कि आटा में छिलके तक मिलाये जाते हैं ।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछले दिनों यहां सदन में शिकायतें आई हैं कि यहां से माल सीमावर्ती जिलों में पहुंच जाता है, जहां से वह माल दूसरे देशों नैपाल आदि में निकल जाता है । जब यहां पर गल्ले की बड़ी परेशानी थी उस वक्त भी इस प्रकार की शिकायतें थीं कि गल्ला नैपाल जाता है और वहां से हमारे दुश्मन देश चीन को पहुंच जाता है । मैंने प्रदेश के खाद्य मंत्री को लिखा था, उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर भी दिया था कि हमको भी इस प्रकार की शिकायत मिली है । आज भी यह प्रक्रिया वैसे ही चल रही है । आज भी जो क्वालिटी चावल है दसरे देशों में जा रहा है । इसलिए आप इसको देखें कि बावजूद अच्छी फसल होने के हमें खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता है ।

इसके अलावा आपका विभाग जो वेट्स एण्ड मेजर्स है, उसके कार्यकलाप भी बहुत अच्छे नहीं हैं । जहां आपने मेजर्स ट्रेड के बदले हैं उन लोगों को जो लाइसेंस दिया है उससे उनको काफी नुकसान और तकलीफ पहुंचती है । मेजर्स पर हर साल मोहर लगवाने का सिस्टम भी बहुत डिफेक्टिव है । इसमें लोगों को दिक्कत होती है और दौड़ना पड़ता है तथा रिश्वत देनी पड़ती है । मैं समझता हूं कि यह अनुचित है आप इसकी व्यवस्था करें कि उसकी दुकान पर ही मोहर लगने की व्यवस्था होनी चाहिये, उसमें लाने ले जाने की परशानी नहीं होनी चाहिय ।

एलाटमेंट के सिलसिले में यहां पर कहा गया कि इसके संबंध में भी मुझे निवेदन करना है । आज की जो एलाटमेंट की प्रक्रिया है, खाली स्थान की पुष्टि, आपके इंस्पेक्टर जाकर करते हैं डी० एस० ओ० इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर अपना आदेश देता है, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट काफी वजन रखती है । उसके अधिकार काफी ज्यादा होते हैं और वे अपने अधिकारों के प्रयोग में अनुचित तरीके से रकम लेते हैं । मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्टर से ऊंचे अधिकारी इस काम के लिये मकर्रर किये जायं । अब चूंकि डी० एस० ओ० के पास कोई महत्वपर्ण काम नहीं रह गया है, इसलिये कोई बड़ा गल्ले की सप्लाई का काम नहीं है । राशन का काम ज्यादा नहीं है । इसलिये यदि इन्सपेक्टर का काम डी० एस० ओ० को दे दिया जाय तो वह स्वयं देखेगा और इससे भ्रष्टाचार के संबंध में काफी कमी हो सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संख्या १६---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३---राज्य व्यापार की योजनायें

चीनी के संबंध में यह निवेदन करना है कि उसके वितरण के संबंध में काफी सुधार हुआ है। चीनी की मात्रा बढ़ाई गई है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है ग्रामीण लोगों को चीनी उपलब्ध नहीं होती है। जो उस संबंध में कोटा दुकानदारों को दिया जाता है वह २, ४ बोरी का कोटा नहीं के बराबर है। वह कोटा शहरों में ही बिक जाता है। इसकी जानकारी मन्त्री जी को होगी। जो कोटा उनको दिया जाता है, उसकी चेकिंग होनी चाहिय कि जो कोटा दिया गया है वह गांवों में पहुंचा है या नहीं। व्यवसायी लोग उस कोटे को ज्यादा मूल्य पर शहरों में ही बेच लेते हैं। इस प्रकार स ग्रामीणों के नाम पर जो उनको कोटा मिलता है वह चीनी उनको मिल नहीं पाती है। मुझ इस बात की प्रसन्नता है कि मन्त्री जी ने इस तरफ अपना ध्यान दिया है। पिछली मर्तबा शादी विवाह के अवसर पर लोगों को चीनी ३०, ४० किलो दी गई है। पहले चीनी के लिये बहुत परशान होते थे और तिगुनी चौगुनी कीमत पर खरीदते थे। इस प्रकार से इस तरह लो ों ने काफी लाभ उठाया है। हम देखते हैं कि काफी लोग हमारे पास इस काम क लिये आत ह और चीनी लेते हैं। इस तरह से चीनी गांवों में पहुंची है और उन लोगों को फायदा उठान का मौका सरकार ने दिया है। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था हमेशा के लिये होनी चाहिये जिससे गांवों में चीनी पहुंच सके। चीनी का बहुत बड़ा कोटा बहुत से लोग मिठाई, शरबत, दवाई, बनाने के नाम पर ल लेते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर निवेदन करता हूं कि वह उन लोगों का पूरा कोटा खर्च नहीं होता है बल्कि काफी मात्रा में लोग चीनी ब्लैक में बेच लेते हैं। इस प्रकार से लोगों ने लाखों रुपये का लाभ उठाया है। आप इस संबंध में पुनः जांच करा कि जिन लोगों को कोटा दे रखा है उनको उतने कोटे की वास्तव में जरुरत है या नहीं। इस चीज का निरीक्षण करने की जरूरत है।

जहां तक गल्ले की खरीददारी का सवाल है काफी मात्रा गेहूं बाजार में आया है। सरकार ने अपने लिये खरीदा है और भारत सरकार के लिये भी खरीदा है। इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायत सरकार के पास पहुंचीं और मंत्री जी ने स्वयं जाकर देखा कि क्या बात है। इसके लिये मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। बाजार में किसानों की पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता था। वे परेशान करते थे और तरह तरह से किसी नाम पर काटते थे। मंत्री जी ने स्वयं जाकर देखा और उनके इस प्रकार से देखने से काफी लोगों को लाभ हुआ है। वह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। इससे बहुत इसमें सुधार हुआ है। वे खरीदार लोग गल्ले की खरीदारी करने के बाद काफी उसमें मिलावट करते हैं, वजन बढ़ाने के लिये उसमें पानी मिला देते हैं। इस तरह से काफी चोरी करते ह। अगले वर्ष इस तरह की चीजों पर काफी नजर रखी जाय तो इससे बहुत लाभ होगा। बनस्पति के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि उसकी प्राइस फिक्स हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से और ध्यान रखा जाता है कि उपभोक्ता और उत्पादक को सब को उचित मूल्य पर मिले और दाम ठीक रहें। अखबारों में घोषणा होती है प्राइस फिक्सेशन की लेकिन जैसे ही घोषणा होती है बाजार से वह चीज दूकानदार गायब कर देते हैं और वास्तविक रूप में उस कीमत पर बनस्पति ग्राहकों को कभी नहीं मिलता। कहीं-कहीं छापे मार कर हजारों, लाखों रुपये का माल पकड़ा गया है। काफी मिल की सप्लाई होती है फिर भी यह दशा है। इसलिए इस ओर भी निगाह अवश्य रखनी चाहिये।

कपड़े के संबंध में निवेदन करना है कि मिल प्राइस पर कपड़ा मिलता है और उपलब्ध है। काफी कपड़ा मिलें हैं और प्रदेश में कपड़े का काफी उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है। कारण यह है कि बहुत सी मिलें बन्द पड़ी हैं और बीसियों हजार की तादाद में मिल मजदूर बेकार है, उनके परिवार वाले भूखे मर रहे हैं। आप इतना उत्पादन बढ़ा सकते हैं कि बाहर भी कपड़ा भेज सकते हैं और काफी सस्ते मूल्य पर यहां वालों को भी उपलब्ध हो सकता है। यह हालांकि आपके विभाग की बात नहीं है, लेकिन संयुक्त जिम्मेदारी है। मंत्रिमंडल की। इसलिये आप सर्वे करें कि कितनी मिलें बन्द हैं उनको खुलवाया जाय ताकि

[श्री प्रेमचन्द्र शर्मा]

मजदूरों को रोजगार मिल सके। आशा है कि इन चीजों पर आप ध्यान देंगे। यह सभी पर विदित है कि जब से यह विभाग मंत्री जी के पास आया है इसमें काफी सुधार हुआ है और जो थोड़ी सी त्रुटियां ह, उनमें भी आशा है शीघ्र सुधार होगा। इन शब्दों के साथ में इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री पन्नालाल (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वाद विवाद का जो बजट पेश हुआ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज खाद्य विभाग की जो दुर्दशा इस प्रदेश में है वह शायद दूसरे सूबों में कहीं नहीं होगी। खाद्य गोदामों में गल्ला सड़ता है, बरबाद होता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। पंजाब से गेहूं आया और खुली माल गाड़ियों में बरसात के मौसम में रवाना किया गया। वह गेहूं भीगा, रेल में भीगता हुआ आया और कुछ इलाहाबाद में जाकर उतरा, जिसका अखबारों में जिक्र हुआ था। मगर मैंने भी देखा कि वह गल्ला काफी भीग गया था और जब खुली गाड़ी होगी तो अवश्य भीगेगा। इसलिये इसका लिहाज रखना चाहिये कि गल्ला खुली गाड़ियों में न आवे। क्योंकि गल्ला जब खुली गाड़ी में जायेगा तो खराब हो ही जायेगा। वह भीग जायेगा। उधर से जवाब दिया जायेगा कि तिरपाल डाल दिया जाता है, मगर उसकी हालत यह है कि किनारों पर तो तिरपाल लटका रहता है, मगर बीच से वह गायब रहता है क्योंकि उसको कुली और बाबू लोग काट लिया करते हैं। इससे उनसे गल्ला बचाया नहीं जा सकता।

इसके अलावा आपके स्टोर में २० हजार टन मक्का पड़ी हुई थी। मैंने उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया और तब वह सूखाग्रस्त इलाकों में भेजी गयी। अगर वह वहां न भेजी जाती तो वह सब मक्का खराब हो जाती। बांदा और मिर्जापुर आदि इलाकों में उसको भेजा गया, तब उसका इस्तेमाल हो पाया।

अधिष्ठाता महोदय, बड़े जोर शोर से यह आवाज उठाई जाती है कि शंकर ज्वार की पैदावार बहुत होती है, मगर मेरे जिले की हालत यह है कि वहां यह पैदा नहीं होती। सरकार की तरफ से उसका जो भी बीज दिया जाता है वह बी० एल० डब्लू० को दे दिया जाता है और वे जबरदस्ती किसानों को देते हैं, चाहे उसकी पैदावार वहां हो चाहे न हो। किसान उसको लेता नहीं है, मगर उसको दिया जाता है। यह नहीं होना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, यह कहा जाता है कि खाद देकर उपज बढ़ाई जा सकती है। इससे हम आत्म निर्भर हो जायेंगे। मगर अधिष्ठता महोदय, खाद तो वहीं दी जा सकती है जहां पर पानी के साधन हों। जब पानी आप देंगे नहीं तो खाली खाद देने से क्या होगा। बिना पानी के तो वह भी बेकार जायेगी, और बीज भी जल जायेगा। इसलिये खाद वहीं दी जानी चाहिये जहां पर पानी के साधन हों। पानी के साधनों का हाल यह है कि जहां पर पहले हफ्ते में एक बार पानी मिला करता था, अब १५ दिन में एक बार नहर खुलती है। खाद का फायदा वहीं हुआ है जहां पर लोगों ने अपने नलकूप लगा लिये हैं या पानी से साधन उपलब्ध हैं। अब तो हमारे यहां लोग अपने साधन बना कर सब्जी ज्यादा उगाने पर जोर दे रहे हैं। किसान गल्ला पैदा खूब करना चाहता है, मगर उसके लिये आप उसको साधन मोहइया कीजिये।

आपके कर्मचारियों में कितनी बड़ी खाई है। आपके यहां गजेटेड और नान गजेटेड आफिसरों में, जो स्थायी हैं और अस्थायी हैं उनमें आज कितना बड़ा फर्क है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके यहां गजेटेड आफिसर हैं और उनमें स्थायी हैं ८६ और अस्थायी ह ७१। मगर जो नानगैजेटेड हैं १,६३४ अस्थायी हैं और ३,१६४ टैम्पोरेरी हैं। उनमें भी यह है कि मार्केटिंग इन्स्पेक्टर वगैरह जो १२–१२ साल और १४–१४ साल सर्विस किये हुए हैं, उनको आज तक मुस्तकिल नहीं किया है, पर्मानेंन्ट नहीं किया। इसलिये कि जब आपके आफिसर चाहें एक महीने का नोटिस देकर उनको निकाल दें। आप जानते हैं कि बनिये की दुकान में काम करने वालों को जब मालूम होता है कि हमको निक ल देंगे तब वे जहां काम पाते हैं वहां खिसक जाते हैं और हम उसका कुछ कर नहीं पाते। उसी तरह से आपके ये इन्स्पैक्टर वगैरह और आफिसर्स हैं जिनको आप टैम्पोरेरी रखते हैं वे भी मौका पाते हैं तो खिसक जाते हैं। वे जानते हैं कि न पेन्शन मिलती है, और न ही नौकरी की मजबूती है, इसलिये वे गड़बड़ी करते हैं और भाग जाते हैं। उस गड़बड़ी में आप उनको जिम्मेदारी से और मुस्तैदी से नहीं कहते कि हम आपकी नौकरी पक्की कर देंगे। आज बारह–बारह और चौदह–चौदह साल के बाद भी ३,१६४ आदमी टैम्पोरेरी हैं। मैं आज सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ भी देखें। मुझे कल बोलने का मौका नहीं मिला और मैं देख रहा हूं कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि एक गजेटेड आफिसर है परमानेन्ट और २३–२३ और २४–२४ हजार आदमी बिल्कुल परमानेन्ट नहीं हैं और वे काम करतेहैं। फिर लोग कहते हैं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कैसे न हो। जब आदमी यह समझते हैं कि हमको कोई किसी वक्त निकाल सकता है तो कोई अपना पेट भरने के लिये और अपने बच्चों का पेट भरने के लिये अपनी आमदनी सुरक्षित करने के लिये सब कुछ करता है।

आज जिस अधिकारी को जिस आफिसर को यह मालूम हो जाय कि मेरी नौकरी बरकरार है, तीस साल की सर्विस के बाद भी पेन्शन मिलेगी और उस पेन्शन से मैं अपना बुढ़ापा काटूंगा और मेरे बच्चे भी जीयेंगे तो वह ठीक तरह से काम करेगा। जब वह समझता है कि किसी वक्त एक महीने की नोटिस देकर निकाला जा सकता है तो वह क्यों न भ्रष्टाचार करे और उस सारे भ्रष्टाचार का दोषी मैं सरकार को पाता हूं। जब यह इस तरह की लापरवाही करते हैं देखते नहीं हैं। बजट बनता है, बजट में विरदावली गाई जाती है अफसरों की। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय बजट बनाते हैं या मंत्री महोदय की आज्ञा से उनके अफसर इनका बजट बनाते हैं और अपनी चीजें अपने सामने रखते हैं। सरकारी अफसर जो बनाकर ले आते हैं वे उनमें चिड़िया बनाकर छोड़ देते हैं। इस तरह की प्रथा कुछ रोज से चली है। हर बजट में विरदावली गायी जाती है। यह बहुत खराब बात है क्योंकि जब आप इस तरह से कहेंगे और जो बाहर के आदमी इस बजट को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि अफसर ही सब कुछ हैं। यह अफसर का ही बनाया हुआ बजट है। आप अपनी बात कहिये। मुख्य मंत्री की कहिये। अगर आप अफसरों की विरदावली गाना छोड़ दीजिये। अफसर इस तरह से बहुत खुश नहीं हो जाते क्योंकि अफसर तो जानता है कि मैं तो गंगा की धारा हूं, बहता चला जाऊंगा। आखिर में समुद्र में मिलूंगा। नदी नालों की तरह ये मिनिस्टर आते हैं और बहते ही जाते हैं। उनका बिगाड़कर आप कुछ करें तो वे हाई कोर्ट में रिट कर देते हैं और आपकी सारी हुकूमत खाक में मिल जाती है। तो आप इन चीजों पर जरूर ध्यान दें कि जिनकी १४–१४, १५–१५ साल की नौकरी हैं उनको अवश्य परमामेन्ट करें क्योंकि कायदा है कि एक सरकारी नौकर दो–तीन साल के बाद ही परमानेन्ट हो जाना चाहिये। अब बड़े जोरशोर से सुना कि बनिया ही बदमाशी करता है, किसान का गल्ला स्टोर में रख देता है और वहां से ज्यादा कीमत में बेंचता है। मैं सरकार से कहुंगा कि आपने गल्ला सोसाइटी बना दी हैं, निगम बना दिया, क्रय विक्रय सोसाइटीज उसको स्टोर करती हैं। हमारी सरकार की रफ के लोगों को जो गांवों में भेजने का बहुत कम अवसर मिलता है क्योंकि वे तो सरकारी अफसरों की खुशामद में ही लगे रहते ह, उससे छुट्टी नहीं पाते, देहात में कोई गांव और कोई बड़ा किसान ऐसा

[श्री पन्नालाल]

नहीं है जिसके पास गल्ला और तिलहन जमा न हो। गांवों में आपकी रक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि वहां केवल लट्ठ का राज्य है हुकूमत का राज्य वहां नहीं है। किसान इस फसल का गल्ला उस फसल तक रखता है। क्योंकि अगर वह करेंसी नोट रखता है तो उसको चोर चुरा ले जाता है लेकिन खलिहान का गल्ला कोई कितना ले जायगा। इसमें उसकी सेफ्टी भी है। बैंक में वह रखता है तो वहां से निकलना मुश्किल से है, हज्म हो जाने का उसको डर रहता है। वहां तो मिलजुल कर खाने पीने वाली चीज हो जाती है। रिजर्व बैंक ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वहां तो केवल अदला बदली कागज पर होती रहती है। मैं भी जब उसका एक सदस्य रहा तब मैंने यह देखा।

गल्ले का रेट सरकार मुकर्रर करती है। गल्ले की खरीद के समय जो रेट मुकर्रर किये जाते हैं उनमें ९-९ रुपया क्विन्टल का फर्क हो जाता है--सुपीरियर इनफीरियर, बुंदेलखंडी, और बुन्देलखंडी में भी लाल और सफेद। इस प्रकार अफसर लोगों ने उसकी दसियों क्वालिटी बना दी हैं। लेकिन जब सरकार के पास आता है तो २-३ क्वालिटी ही रह जाती हैं। सब बीच में ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इस तरह से किसानों को नुकसान हो जाता है और आपको उसका लाभ नहीं होता है।

दूकानदारों की बात आप कहते हैं। उनको तो आपने बैंकों से बांध दिया है। पहले बैंक वाले ८० फीसदी रुपया गल्ले पर देते थे, उसको रिजर्व बैंक ने ६० फीसदी कर दिया लेकिन अब आपने उसको ४० फीसदी ही कर दिया है। इस पर भी गेहूं पर आप कुछ भी नहीं देते। चावल आप ६० फीसदी ले लेते हैं और ४० फीसदी ही देते हैं। इस पर भी आप यह नहीं देखते कि आप ४० फीसदी जो छूट दे रहे हैं वह कहां जा रही है। गोरखपुर होकर नौतनवा यह चावल जाता है और आपके ही इंसपेक्टर लोग वहां का परमिट बनाते हैं। और वह चावल वह गल्ला नेपाल के जरिये से हमारे दुश्मन चीन के वहां पहुंच जाता है और वे हमारा ही गल्ला खाकर हमारे साथ लड़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करे कि उस को रोकें।

रेंट कन्ट्रोल के बारे में मुझे निवेदन करना है कि मकानों की रेंट कन्ट्रोल में लाने क लिये आपने कुछ टाइम मुकर्रर कर रखा है। उस समय के बाद नये मकानों पर रेंट कन्ट्रोल लागू नहीं होता है, लेकिन उसी एरिया में पुराने मकानों पर रेंट कन्ट्रोल लागू होने की वजह से उनका किराया १५ रुपय २० रुपये होता है जब कि नये बने हुए मकानों का २५० रुपये तक किराया होता है। कितने ही सरकारी नौकर जो ट्रांस्फर होकर जाते हैं उन्हें अपने वेतन का एक तिहाई भाग तो मकान के किराये पर ही देना पड़ता है जबकि आप उसको केवल ७०, ४० या ३० रुपये एलाउन्स के रूप में देते हैं। सारी फीगर्स आपके पास हैं। आप देखें कि एक अधिकारी जिसको केवल ७०० या ८०० रुपये वेतन मिलता है किस प्रकार से वह २५० रुपये मकान के किराये के लिये दे देता है। अगर यह सही है तो आप देखें कि वहां कौन ईमानदार रहेगा। इसके माने ये हैं कि आप जानबूझ कर उनको बेईमान बना रहे हैं और इस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। कन्ट्रोल ऐक्ट समाप्त हो रहा है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है और वे अब एक बिल लाने जा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी अवधि उन मकानों पर भी लागू कर दें जो १९६७ तक बने ह ताकि कम से कम अफसरों को और दूसरे जरूरतमन्द लोगों को मकान सस्ते किराये पर मिल सकें।

जहां तक मिट्टी के तेल की बात है सरकार ने कहा है कि हम सैल्फ सफिशिएन्ट हैं। आज मिट्टी क तेल की हालत यह है कि इसको लेने वाले नहीं है। इस हाउस का हर आदमी जानता है कि मिट्टी क तेल में लीकेज होता है और यह उड़ता है। यही नहीं दुनिया का हर एक आदमी जानता है कि मिट्टी के तेल में लीकेज होता है लेकिन बनिया उसको नहीं दिखा पाता है और न उसको किसी प्रकार की छूट ही मिलती है। दूसरी ओर उन्हें सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स डबल देना पड़ता है। हर आदमी जानता है कि तेल उड़ता है।

जहां तक चीनी का प्रश्न है, उसके लिये थोक में बेचने वालों को यह सरकार २ रुपये एक पैसा प्रति बोरे के हिसाब से देती है। उसके अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं दिया जाता है न किराये का कुछ मिलता है न मकान के किराये का उसे कुछ मिलता है तो आप बतायें कि इस २ रुपये एक पैसे से उसका क्या भला होता है। आज बैंक भी ६ प्रतिशत, १० प्रतिशत ब्याज लेता है और उसके बाद और टैक्स और सुपर टैक्स आदि लगाकर १२ या १४ प्रतिशत ले लेते हैं तो अगर एक महीने तक सप्लाई अधिकारी ने उनकी चीनी रोक दी तो फिर निश्चय है कि बनिये का दिवाला निकल जाता है। तो ये चाहते हैं कि बनिया अवश्य ही बेइमानी करे। बनिया दरअसल में बेईमान होता ही है चाहे इधर का हो। चाहे उधर का हो। खाद्य विभाग में चाहे वह अधिकारी हो या जो भी उससे ताल्लुक रखने वाले हैं चाहे दूकानदार हों, चाहे मिनिस्टर सबके सब भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले हैं। न हम उन्हें निकाल सकते हैं और न यह सरकार उन्हें निकाल सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांग का विरोध करता हूं।

श्री वीरेन्द्र स्वरूप (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह अर्ज करना है कि खाद्य की जिम्मेदारी सरकार की है और गवर्नमेन्ट पब्लिक लाइफ की कस्टोडियन है और पब्लिक लाइफ में जनता तभी खुश रह सकती है जब खाने की चीजों की और गल्ले की समस्या का हल हो। इस सिलसिले में जैसा कि मुझे मालूम हुआ गवर्नमेंट ने इस साल भारतीय खाद्य निगम के जरिये से गल्ले की खरीदारी की। इस बजह से शायद उन्होंने ऐसा किया कि अपने स्टाफ मार्केटिंग इन्सपेक्टर वगैरह की खरीदारी के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें मिलीं। कश्तकार के साथ गुजिश्ता साल में बहुत बेईमानी का सलूक किया गया। उसको गल्ले की कीमत मुनासिब अदा नहीं की गई जो गवर्नमेंट ने तय कर रखी थी और इन्सपेक्टरों ने अपनी जेबें खूब भरीं। कुछ खामियां निकालकर गल्ले की कीमत अदा की गई और काश्तकार को उसके हक से महरूम किया गया। जहां तक सरकार का इस साल खाद्य का सम्बन्ध है गुजिश्ता सालों के मुकाबले में अच्छा बन्दोबस्त किया। मेरी तजबीज यह है कि इसको स्टोर करने में वेयर हाउसेज का भी सही इन्तजाम होना चाहिये ताकि वहां पर गल्ला जाया न हो सके कसीर तादाद में। और इस तरह की दबायें इस्तेमाल न की जाय जिससे गल्ला ह्यूमन कजम्पशन के लिये बिलबुल खराब हो जाय। मेरी तजबीज यह है कि मुंमकिन हो सके और सरकार के बजट में गुंजाइश हो तो कोल्ड स्टोरेज टाइप या एयर कंडिशनिंग टाइप वेयर हाउस बनाये जायं जिनमें गल्ला बिलकुल जाया न हो सके।

अब मैं गल्ले के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसा कि मुझे अपने इलाके के बारे में कुछ तजुर्बा है, अर्ज करना चाहता हूं। कुछ दुकानें वहां पर जिन्हें फेयर प्राइस शाप्स कहा जाता है ऐसी हैं जिनसे गल्ला तकसीम होता है। उनका इन्तजाम बिलकुल सही नहीं है। पब्लिक बेइन्तहा जमा हो जाती है सवेरे से शाम तक बेचारे मजदूरों को गल्ले के लिये खड़ा रहना पड़ता है, इसमें सुधार करने की जरूरत है।

मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि जब से उन्होंने इस विभाग को सम्हाला है और मेरे इलाके में दौरा करते वक्त जैसा कि मैंने खुद देखा है उन्होंने मडियों में खुद जाकर आढ़तियों और काश्तकारों की मुश्किलों को सुना और उनको हल करने की कोशिश की है। अलावा इसके मैं यह अर्ज करना चाहता हू कि शुगर के बोगस परमिट्स बहुत इश्यू होते हैं उसके लिये ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि डी० एस० ओ० जो कोटा इश्यू करते हैं वह सही हकदार को मिल सके और नजायज तरीके से वह इस्तेमाल न हो सके।

[श्री वीरेन्द्र स्वरूप[

दुकानों के सिलसिले में सिफारिशों पर एलाटमेंट न हो बल्कि पब्लिक की सहूलियत को देखते हुये और उनकी दिक्कतों को दूर करने के ख्याल से दुकानों का डिस्ट्रीव्यूशन किया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती की मुखालफत करता हूं ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं श्री नेगी साहब के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक ऐसा विभाग है जो हमारे प्रदेश की जनता से सीधा सम्बन्ध रखता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकतायें हैं। जिस राज्य में मनुष्य के रहने के लिये मकान नहीं है, खाने के लिये रोटी नहीं है और पहनने के लिये कपड़ा नहीं है वह राज्य व्यवस्था सुन्दर नहीं कही जा सकती। पिछले २० साल का इतिहास अगर हम देखें तो कांग्रेस राज्य में इस दिशा में जो भी प्रयत्न हुये हैं वे असफल रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में खाद्य की समस्या बहुत जटिल हो चुकी है। उसका हल निकालने के लिये हमें अच्छी तरह से विचार करना पड़ेगा। सरकार की ओर से यह दलील दी जाती है कि खेती में तरक्की हो रही है, उद्योगों में तरक्की हो रही है, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं उनसे हमें साफ जाहिर होता है कि खेती की मद में केन्द्र से ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ और राज्य सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया। इसी प्रकार और मदों में भी हुआ। लेकिन परिणाम यह हुआ कि अनाज की कमी होती गयी। सरकार की मूल्य नियन्त्रण नीति भी इतनी कमजोर रही है कि जो गेहूं १९५१ में ५–६ किलो तक बिकता था वही आज एक किलो का भी नहीं मिलता। खाद्य समस्या का हल करने के लिये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज यह कि अनाज का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जाय। दूसरे जो अनाज पैदा होता है उसके बाहर जाने पर रोक लगायी जाय। तीसरे जखीरेबाजी को रोका जाय। चौथे जो अनाज हमारे पास है उसका वितरण ठीक से होना चाहिये। इसके अलावा मूल्य का नियन्त्रण ठीक से होना चाहिये।

इन पांच चीजों पर यदि राजकर्ताओं की नीतियों को कसें तो कांग्रेस सरकार लगतार फेल रही है। अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ सका। जो पैदा होता है वह बाहर चला जाता है। मैं गोंडा जिले का निवासी हूं। हमारा जिला नेपाल की तराई से लगा हुआ है।

भारत और चीन के बीच में नेपाल एक ऐसा राज्य है जो हमारे सम्बन्ध को अलग रखता है। लेकिन तराई के इलाके में यदि आ जायं तो आप पायेंगे कि नेपालगंज, बढ़नी, पचपेड़वा आदि स्थानों में हजारों मन हमारे प्रदेश का गल्ला नेपाल के माध्यम से चीन चला जाता है। इस पर रोक लगानी चाहिये लेकिन कांग्रेस सरकार इतनी कमजोर है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर पा रही है। पिछली बार जब संविद सरकार आयी थी तो उसके १८७ चेक पोस्ट कायम कर दिये थे जिसके जरिये हर जिले में पुलिस तैनात कर दी गयी थी और उसने २१७ व्यापारियों को पकड़ कर उन पर मुकदमा भी चलाया जिससे बाहर गल्ला न जा सके। यह बड़ा अहम मसला है कि तराई के इलाके में विभिन्न स्थानों से हमारे देश के व्यापारी हमारा ही गल्ला उस चीन को भेजें जो हमारा दुश्मन है, यह अनुचित बात होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी उचित व्यवस्था करे।

जखीरेबाजी के सम्बन्ध में मैं कह देना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर बहुत से काश्तकार हैं जिनके यहां ज्यादा गल्ला पैदा होता है लेकिन वे अपना गल्ला महंगाई होने पर ही बाहर निकालते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस सरकार चली गयी थी और संविद की सरकार आयी तो उसने गल्ले की उगाही का कुछ प्रबन्ध किया था जिससे थोड़ी बहुत समस्या का हल हो गया था लेकिन जखीरेबाजों के खिलाफ जितनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कस के कार्यवाही होनी चाहिये थी वह आज नहीं हो रही है। गल्ले की होर्डिग के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये थी। आपके सप्लाई विभाग में गल्ले के वितरण की जो व्यवस्था है वह इतनी भ्रष्ट है कि प्रदेश की सही जनता तक गल्ला नहीं पहुंत पाता। चाहे जितनी दुकानें खोल दें, उनको गल्ला मिलता ही नहीं। शहर के रहने वाले जो हैं उनको गल्ला मिलता है लेकिन वास्तविक समस्या शहर के रहने वालों की नहीं है बल्कि गांव वालों की है। गांव के खेती हर मजदूर जो खेतों में रात दिन परिश्रम करते हैं उनको केवल १२–१४ आने पैसे मिलते है जिनसे वे अपने ५ बच्चों के पेट नहीं पाल सकते हैं। इसलिये भूमिहीनों और हरिजनों में गल्ला वितरण की व्यवस्था ठीक की जाय, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। आज भूमिहीन किसान गल्ले के वितरण की गलत व्यवस्था होने से भूखों मर रहे हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जहां शहर में रहने वालों की व्यवस्था हो टाउन एरिया व नोटी-फायड एरिया में रहने वालों की व्यवस्था हो वहां गांव के रहने वालों के लिये भी राशनकार्ड के जरिय ही गल्ले के वितरण की व्यवस्था की जाय। सप्लाई विभाग की तरफ से एलान किया गया था कि बड़े-बड़े शहरों में बोगस राशन कार्डस बने हुये हैं, उनकी जांच करायी जायेगी। मैं आपसे कहुंगा कि उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि बहुत से टाउन एरियाज और नोटिफायड एरियाज में बोगस राशन कार्डस बने हुये हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहने के बावजूद भी क्या उनकी जांच करायी गयी? कहा गया कि २५ जिलों में यह कार्य हुआ है लेकिन वह भी असंतोषजनक है। बड़े-बड़े कारपोरेशन जहां मौजूद हैं और जहां की आबादी ५–६ लाख या ८–१० लाख है अगर वहां की जांच करायी जाय तो सरकार की तरफ से बोगस कार्डस के जो आंकड़े दिखलाये गये हैं, उससे कई गुने बोगस कार्डस निकलेंगे।

चीनी के वितरण के सम्बन्ध में मैं क्या कहूं। जहां तक गांव वालों को चीनी के वितरण का प्रश्न है, गांव की गल्ले की दूकानों पर पूरे प्रदेश में चीनी मिलती ही नहीं है। साथ ही सस्ते गल्ले की दूकानें भी उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो कांग्रेसी होते है या जो कांग्रेसी नेता के सम्बन्धी या रिश्तेदार होते हैं। इस तरह से दूकानों के वितरण में भी बड़ा पक्षपात होता है। इस तरह के उदाहरण आपको गोंडा आदि जिलों में मिलेंगे। जौनपुर में मैंने सुना है कि मंत्री महोदय ने अपने किसी रिश्तेदार को दुकान दे रखी है। गोंडा जिले के कांग्रेसियों के संबंधियों के नाम से दुकानें दी गई हैं। हरिजनों को कहीं भी दुकान एलाट नहीं हुई है। कोआपरेटिव के आधार पर सहकारी समितियों को दुकानें नहीं दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी जिले में कोआपरेटिव के आधार पर सहकारी समितियों को और हरिजनों को दुकानें दी गई हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ है।

रेंट कंट्रोल के बारे में जो प्रस्ताव नेगी जी ने रखा है वह बहुत अच्छा है। सरकार की जानकारी में है कि तबादला होने पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को मकान की कितनी तकलीफ होती है। आज किरायेदारों को बड़ी तकलीफ होती है। सन् ५० तक के मकान ही इसमें है इसको बढ़ाने से समस्या का हल होगा।

दूसरे वेट एण्ड मेजर्स विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है। जब से यह विभाग खुला है तभी से इसमें बराबर भ्रष्टाचार हो रहा है। सदन के इस कोने से बराबर यह आवाज निकलती रही है कि इस विभाग के बाबुओं का सिवाय बेईमानी और धोखा देने के और कोई काम नहीं है। इस विभाग को तोड़ दिया जाय और सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर्स के सुपुर्द यह काम किया जाय। इसी तरह से और भी अन्य समस्यायें हैं। जैसे वैजीटेबिल घी अक्सर बाजार से उड़ जाता है। इसके ऊपर कड़े नियम लगाने की आवश्यकता है तभी इसकी चोर बाजारी बंद हो सकती है। कहीं ऐसा न हो कि सरकारी कर्मचारी इसका नाजायज फायदा उठाने लगें। गोंडा जिले में डालडा की कमी हो गई थी। दशहरे पर और बरात निकलते समय तक कोई रेड नहीं हुआ जब त्योहार बीत गया तब रेड किये गये तो किसी व्यापरी के यहां एक डिब्बा मिला किसी के यहां

[श्री त्रिवेणी सहाय]

कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि त्योहार के मौके पर ब्लैक करने का अवसर दे दिया गया। इस तरह से असलियत सामने नहीं आ सकती है।

मिट्टी के तेल की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। यह जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। शहरों में सुन्दर व्यवस्था है। आपके जिले में इसकी समस्या न हो लेकिन तराई में जहां सड़कें भी नहीं वहां मिट्टी के तेल की बड़ी आवश्यकता है। मिट्टी के तेल के लाइसेंस जिस तरह से बांटने चाहिये नहीं बांटे गये हैं। मेरे जिले में १,७०० बांटे गये हैं लेकिन फिर भी समस्या बनी हुई है। तराई के इलाके में थारूओं की विशेष समस्या है। वे आशा करते थे कि कांग्रेस के राज्य में उनको नमक, कपड़ा और रोटी सस्ती मिलेगी। लेकिन उनको एक रुपये से लेकर दो रुपये तक मिट्टी के तेल की बोतल मिलती है। इस बात की रोक लगाई गई है कि राप्ती के इस ओर चावल नहीं आ सकता है। हमारे यहां का हजारों मन चावल चीन और नैपाल को चला जाता है। आधा शहर राप्ती के इस पार और आधा उस पार बसा है। राप्ती के इस पार लोग चावल पैदा करते हैं। राप्ती के इस पार गेहूं और गल्ला पैदा होता है। चावल की आवश्यकता राप्ती के उस पार के चावल से पूरी होती है। अगर आज राप्ती के इस पार का माल उस पार और उस पार का माल इस पार जाय तो दोनों भागों की आवश्यकता पूरी हो सकती है। सरकार इस बात का डिमडिमा पीटती है कि बड़ी-बड़ी मशीनरियों को लगा रही है। हमारे जिले में एक आटा मिल है। कानपुर, लखनऊ, आगरा के बड़े-बड़े व्यापारी जिनके मित्र सरकार के अन्दर हैं उनकी आटा मिलें चल रही हैं। लेकिन गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में सब प्रकार से पिछड़ा जिला है वहां एक आटा का मिल दस साल से बन्द पड़ा है। जब सुचेता कृपलानी जी वहां से खड़ी हुई थीं तो उन्होंने उसके मालिक को आश्वासन दिया था कि वह आटा मिल चलवा देंगी लेकिन गोंडा में आज तक कोई उद्योग कायम नहीं हो सका है बल्कि उद्योग हटाया गया है। रेलवे का केन्द्रीय कार्यालय वहां था कि वह भी हटा दिया गया। उसको हटाने के लिये कितना प्रयत्न हुआ, दो सौ कर्मचारी बेकार होकर दारुलशफा के कमरों में चक्कर लगा रहे हैं। अगर गोंडा की आटा मिल चल जाय तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच-छः जिलों की खाद्य समस्या हल हो सकती है। आपने जो मुझे मौका दिया है, उसके लिये मैं धन्यवाद देते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ए० सी० आइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)--

मैं इस डिमांड का स्वागत करने खड़ा हुआ हूं और कटौती का विरोध करता हूं। मुझे थोड़ा यह नेगी साहब से कहना है, अंग्रेजी में एक कहावत है---मैन इज नाट सो ब्लाइंड दैट ही विल नाट सी। कोई इतना अन्धा नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता। आप कह रहे थे, अपने कटौती क प्रस्ताव में, बीस साल में सिवा पिछड़ेपन के देश आगे नहीं गया है। नेगी साहब को शायद यह पता हो कि २० साल से कितना गल्ला बढ़ गया है, कितना नया फर्टिलाइजर आया है, कितने सीड्स आये हैं, जितना पहले एक बीघे पर होता था उसी पर तीन गुना पैदा हो रहा है, कितन ऊसर और बंजर थे वह कल्टीवेट हुये हैं। शायद नेगी साहब पहाड़ में रहते हैं इसलिये वह नहीं जानत कि प्लन्स में क्या होता है। क्रिटिसिज्म करना तो आसान है। कोई भी खड़े होकर विरोध कर सकता है। विरोध करना आसान है। अगर वह यह कहते कि यह सही है कि हमारा यू० पी० बढ़ रहा है परन्तु इस बढ़ने में यह डिफीकल्टी है तो मैं मानूंगा। सिवा विरोध करने के लिये विरोध करना वह पसन्द नहीं है। नेगी साहब यह कहते कि हमारी यह कमी है, यह कहते कि इनको ठीक करो, तो मैं उसको मानने के लिये तैयार हो जाता। (व्यवधान) मुझे सुनाई नहीं दिया जो आपने कहा। मुझे यह कहना है कि अगर कोई कहता है कि भुखमरी हुई, मिर्जापुर जहां पानी की कमी हुई है, जहां-जहां पानी की कमी हुई, इलाहाबाद में तीन साल पहले ड्राउट हुआ वहां पर हम लोग गये और देखा, बहुत ड्राउट है। पर वाकई में कोई आदमी मरा नहीं। आज भी पूरा इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट घूम कर आया हूं, वहां पर थोड़ी पानी की कमी अवश्य है, लेकिन वहां भुखमरी से मर कोई नहीं रहा है बल्कि इतना गेहूं है और खान का दूसरा सामान है जो बहुत ज्यादा है परन्तु दाम बहुत बढ़ गया है। दाम घटाने के

लिये में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह कुछ कोशिश करें जिससे १९६६ में जो हन्ड्रड परसेन्ट था वह वापस आ जाये।

मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब की सरकार जब बनी तो पहले ही हफ्ते में गल्ले का दाम घट गया। आज गल्ले का दाम वास्तव में ही बढ़ा हुआ है, आप उसको डाऊन कर सकते हैं। फेयर प्राइस शाप बिलकुल हमारी बोगस हैं, बिलकुल पक्षपाती हैं, उसका कोई सिस्टम नहीं है। कोयले के हिसाब में बहुत गड़बड़ी है जिससे ईंटें नहीं बन सकती है। घरों की भी बड़ी कमी है। लखनऊ में भी देखता हूं कि गरीबों की हालत इतनी खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। चूंकि आपका रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट बिलकुल खराब है। अपने मकान पर मकान ओनर का कोई राइट नहीं रह गया है, किरायेदार जो पुराने थे वह अब पगड़ी ले रहे हैं और पगड़ी लेकर मकान खाली करके दूसरे आदमी को दे देते हैं। इस ऐक्ट को आपको नीचे से ऊपर तक ठीक करना पड़ेगा किरायेदार दूसरे किरायेदारों से बेगार ले रहे हैं। हमारे एक विशप हैं, हाल में ही जो रिटायर हुये हैं, उसने अपना बंगला किराये पर उठाया हुआ था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। एक सज्जन डिप्टी डाइरेक्टर वह इस में पूरा बंगला लेकर डिवाइड करके उसको किराये पर उठाया है। जब वह उनसे कहते हैं मेरा मकान वापस करो तो कहते हैं कि दावा करो। उसका उसके ऊपर कोई दावा नहीं है, वह अपना किराया भी नहीं देता है। वह दूसरा मकान किराये पर लेकर रह रहे हैं। इलाहाबाद में भी यही दशा है, हमने अपने दो-तीन पुराने मकान किराये पर उठाये ३-४,-५ रुपये पर उठाये। अब जो किराये दार हैं ५० रु० किराये दे रहे हैं, लेकिन श्रीमन्, ओनर को नहीं दे रहे है, पहले के किरायेदार को ही दे रहे हैं। लेकिन दूसरों को दे रहे हैं जिनसे उन्होंने उसको पाया है। उनको निकालने का आपके पास कोई कानून नहीं है। कोई मालिक की सुनने वाला नहीं है, इससे सरकार भी परेशान हो जाती है। हम भी बिलकुल परेशान हैं। आगरा, इलाहाबाद, कानपुर में स्कूलों के जो मकान हैं वे इललीगली अकोपाई हो गये है, हम किसी को उनमें से निकाल नहीं पाते ह।

सीमेंट और ईटों की लखनऊ में इतनी कमी है कि ब्लैक-मार्केट शुरू हो गई है। स्टाकिस्टस कहते हैं कि सीमेंट काफी है हमें खुली गाड़ी मिलती है बन्द नहीं मिलती है इसलिये वह कहते है कि हमारा जितना सीमेन्ट आता है उसमें ५० परसेंट खराब हो जाता है। मेरा यह सुझाव है कि कम से कम पता लगाकर यह देखें कि क्या वाकई ऐसा होता है क्योंकि ईंट और सीमेंट के दाम बढ़ने से कोई बंगला और क्वार्टर बनाने के लिये तैयार नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि ईट, सीमेंट और बिल्डिग मैटीरियल के लिये कुछ न कुछ किया जाना जरूरी है।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि चीनी के मुतल्लिक एक आर्डर निकला है जिसमें शादी, विवाह, मिलाद और बरियल सर्विसेज के लिए चीनी देने को कहा गया है, परन्तु हमारे ईसाइयों के जो फेस्टीवेल्स हैं उनके लिए कुछ चीनी नहीं दी जाती है। हमारा ईस्टर हालीडे इतना बड़ा त्यौहार है कि जैसा और लोगों के बड़े त्यौहार हैं मगर उसको भी कोई चीनी की इजाजत नहीं है। क्रिसमस में सरकार हमको एक किलो चीनी देते हैं लेकिन शादी-विवाह के लिए १ मन, १।। मन और दो मन तक सरकार देती है। तो यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये।

आखिर में यह और कहना चाहता हूं कि राशन कार्ड में बहुत धपला है। कानपुर में ३ हजार राशन कार्ड पकड़े गये थे। कानपुर की आबादी बहुत ज्यादा राशन कार्डो में थी लेकिन बाद को उतनी ही १४ लाख रह गई। इस वजह से राशन कार्ड की जांच करने की जरूरत है। अगर आप फेयर प्राइस शाप्स खोलना चाहते हैं तो इस मेरी बात पर गौर करें और इन राशन कार्डो को सही तरीके से करायें। शुक्रिया।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं गोविन्द सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आज से २० वर्ष पहले की तरफ ले जाना चाहता हूं। बात यह है कि इस सरकार ने शुरू से अपनी कोई खाद्य नीति नहीं रखी है, जिसके कारण हम सभी चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार। इसके अतिरिक्त जब १९४७ में महात्मा गांधी ने कहा था कि कन्ट्रोल को खत्म करो तो यह सरकार उस समय बोली नहीं। यह कांग्रेसी दल नहीं बोला। लेकिन उस महापुरुष का, जिसका चित्र आप के ऊपर लगा हुआ है, उनका एकमात्र समर्थन करने वाले श्री राममनोहर लोहिया थे। उन्होंने इस बात का समर्थन किया था और कहा कि बापू मैं आपके विचारों का समर्थन करता हूं। उसके बाद भी इस सरकार की वही पुरानी खाद्य नीति है जो अंग्रेजों के जमाने से चल रही थी। उसका नतीजा यह हुआ कि गुप्तबाजारी होती रहती है और आज भी गुप्ता जी की गुप्तबाजारी हो रही है। यह जो गुप्तबाजारी चल रही है और भ्रष्टाचारी है यह उसी नीति के कारण से चल रही है। सरकार की अपनी कोई खाद्य नीति नहीं है।

इस सबन्ध में मैं आपका ध्यान सन् १९५४ की तरफ ले जाना चाहता हूं जबकि मैं लोक सभा में था। स्वर्गीय रफी अहमद साहब उस समय कंट्रोल को खत्म करना चाहते थे। उस समय श्री सी० डी० देशमुख फाइनेन्स मन्त्री थे। वह कंट्रोल को रखना चाहते थे। रफी साहब के सामने आंकड़े रखे गये, रफी साहब ने उस आंकड़े को फेंक दिया कि यह सारा गलत है। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। उसके बाद दोनों में आपस में खींचातानी हुई और स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू ने दोनों को मिला कर कहा कि कंट्रोल और डिकंट्रोल दोनों करो। उस समझौते से कुछ चीजें डिकंट्रोल हुई। तो भी कंट्रोल किसी न किसी रूप में यह सरकार लगाती रही ताकि गुप्तबाजारी, चोरबाजारी और भ्रष्टाचार फैलता रहे। इन सस्ते गल्ले की दूकानों में आद्योपान्त भ्रष्टाचार है। व्यापारी अपने चालान फार्मों पर दस्तखत कराने के लिये क्लर्क और पूर्ति अधिकारी को पैसा देता है, फिर बैंक में ले जाता है तो वहां पर पैसा देता है, फिर वह पास होता है। तब गोदामों में जो माल ईश्यू क्लर्क होता है उसको पैसा दिया जाता है। हर जगह जब व्यापारी पैसा देता है तो वह भी चोरबाजारी करता है। जिनको देना है उनको न देकर अपने रजिस्टरों में गरीबों का नाम लिख कर गल्ला निकाल लेता है और दूसरों को बेंच देता है।

चीनी के संबंध में सरकार का नियम है कि ४० प्रतिशत कोटा वह मिल मालिकों को छूट दे देती है, बाकी ६०% लेती है। नतीजा यह है कि बाजार में जाकर वह ३–४ रुपया किलो तक बिकती है। यह नियम इसीलिए रखा गया कि मिल मालिकों से जो रुपया कांग्रेस चुनाव में लिया करती है उतना मिल मालिक चोरबाजारी करके उसकी पूर्ति कर सकें चावल में भी ४० प्रतिशत मिल मालिकों को रिजर्व है और बाकी सरकार लेती है। वह मनमाने फरजी लाइसेंसी दुकानदारों को बेचते हैं, फरजी बिल्टियां भेजते हैं। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यहां का गल्ला चीन जाता है। दुर्भाग्य से हम ऐसे जिले में हैं जो उत्तर प्रदेश का अन्तिम जिला है और हर साल बाढ़ और बारिश से पीड़ित रहता है। वह बिहार से नजदीक पड़ता है। कानपुर से ट्रकों में भरकर चोरी से गल्ला वहां होकर बिहार जाता है और फिर जोग-बन्नी में भेजा जाता है। जोग-बन्नी से विराट नगर पहुंचता है वहां करेंसी चेंज होती है और फिर तिब्बत के मार्ग से चीन जाता है। तो जो देश हमारा शत्रु है उसी को हम अपना गल्ला खिला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो आप गल्ला शहरों में देते हैं वह देहातों में नहीं देते। क्या देहात के जो इन्सान हैं वे इन्सान नहीं हैं, शहर में जो रहता है वही इन्सान है? चारों तरफ हमारे यहां पानी भर जाता है, कहीं भी पहुंचने का रास्ता नहीं होता, कस्बों और शहरों से हमारे जिले का संबंध टूट जाता है। उस समय गल्ला नावों द्वारा पहुंचाया जाता है, राशन और तेल दिया जाता है, सारी जरूरियात की चीजें दी जाती हैं। वह जिन कर्मचारियों के द्वारा पहुंचता है वे उसे बीच ही में गायब कर देते हैं। उधर शहर में बढ़िया से बढ़िया चावल

दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब बातों पर विशेष ध्यान दें। सोशलिस्ट नेता बराबर यह कहते हैं कि दाम नीति को अपनाइये तभी आपके देश का और समाज का कल्याण होगा और उचित मूल्य तभी किसानों को मिल सकेगा और उचित लाभ व्यवसाइयों को मिल सकेगा। यह सरकार वैसे हमारी नीतियों को अपनाती है लेकिन उनको न समझने के कारण दूसरे रूप में लागू करती है, इसी कारण से असफल रहती है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डाक्टर जगदीश्वर दयाल (जिला फर्रुखाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद है कि आपने मुझे मौका दिया। जो खाद्य प्रस्ताव है मंत्री महोदय का उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। मान्यवर, आपके द्वारा मैं कुछ जरूरी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। गल्ले की कीमत जो निर्धारित की जाती है वह मेरी नजर में ठीक नहीं है। उससे काश्तकार की कमर टूट गयी है। हर जिन्स वह पैदा करता है उसकी मजदूरी जो पहले उसे डेढ़ रुपया देनी पड़ती थी उसकी जगह ३ रुपया देनी पड़ रही है और खाना भी देना पड़ता है। खाद का दाम बढ़ गया है। तीसरी बात यह है कि काश्तकार की जो जरूरियात की चीजें हैं वह तेज हैं, इस पर जरूर कंट्रोल रखा जाय और गवर्नमेंट जो गल्ला खरीदती है वह बाजार भाव पर खरीदे। गवर्नमेंट के अफसरान अपने डी० ए० में काफी पैसा वसूल कर लेते हैं उससे काश्तकारों को भी नुकसान होता है और गवर्नमेंट को भी फायदा नहीं पहुंचता है। मेरी इस्तदुआ है कि अगर ठीक समझ आवे तो हमारी बात सुन लें।

दूसरी बात यह है कि आटा मिलों के मालिकान गल्ला सरकार द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको गल्ला पहुंचाने के बाद जो आटा तैयार किया जाता है वह गलत तरीके से निकल कर ब्लैक में बिकता है। उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट खूब रखती है, लेकिन फिर भी तरीके ऐसे हैं कि वह नाजायज तरीके से गल्ला व आटा निकाल लेते हैं। मैं मान्यवर, छिबरामऊ का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं वहां पर किस तरह से धांधली की जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोई तरीका वितरण का ऐसा निकालें जिससे वितरण ठीक तरह से हो और उसमें व्यापारी मनमानी न करने पावें। वितरण की जो व्यवस्था आज है उसमें बहुत सी खामियां हैं। आज गलत तरीके से अंगूठा लगाकर माल गायब कर लिया जाता है। जो सरपंच वगैरह हैं, उनके शिकायत करने पर भी कोटेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आपको उनकी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिये। जब कभी कोई सरपंच कोई शिकायत करे तो कोटेदार को तुरन्त बरखास्त कर देना चाहिये।

मान्यवर, मिट्टी के तेल की आज हमारे यहां कमी नहीं है, मगर यह व्यापारी लोग जानबूझ कर माल को दबा कर उसकी कमी बना देते हैं और इससे काफी मुनाफा कमाया करते हैं। उससे बहुत सा पैसा ब्लैक में पैदा करते हैं। अगर इस पर ठीक तरह से कन्ट्रोल किया जाय तो यह दिक्कत दूर हो सकती है और किसानों को मिट्टी का तेल मिल सकता है। किसानों को सही कीमत पर मिट्टी का तेल मिलना चाहिये।

जो ईंट के भट्ठे हैं वे ९० रुपये हजार के हिसाब से किसानों के हाथ ईंटा बेचते हैं, जब कि उनको कन्ट्रोल के दामों पर कोयला आदि मिलता है। इससे किसानों की आय का काफी पैसा यह लोग खा जाते हैं। इससे उनकी हालत नहीं सुधरती है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि किसानों को सही दामों पर ईंटा मिल सके। इस सब के कारण आज किसान की कमर टूट गयी है। इन शब्दों के साथ मैं खाद्य मंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव कटौती का विरोध पक्ष की ओर से पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हिन्दुस्तान, हमारा कृषि प्रधान देश है। ८० प्रतिशत जनता आज हमारे

[श्री मनोहरलाल]

यहां गांवों में रहती है। आज २२ साल हो गये, मगर यह सरकार खाद्य समस्या को हल नहीं कर पायी है। वह समस्या बजाय सुलझाने के और उलझती जा रही है। हमारा उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा प्रदेश है और यहां की खेती की समस्या अगर सुलझ जाय तो यह प्रदेश सारे भारतवर्ष को अन्न दे सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश सारे भारत की खाद्य समस्या को हल कर सकता है। आजादी मिलने के बाद कागजी घोड़े तो दौड़े मगर वास्तव में जो कार्य होना चाहिये था वह नहीं हुआ। पंचवर्षीय योजना में हमने करोड़ों रुपये खर्च किया, मगर इस समस्या को हम आज तक हल नहीं कर पाये। हमारे देश में जो राम और कृष्ण का देश था, एक जमाने में घी और दूध की नदियां बहा करती थीं। हम तो उस जमाने में नहीं रहे, मगर पढ़ा अवश्य है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि हम अन्न जैसी चीजों के लिए दूसरे मुल्कों के सामने हाथ पसारे हुये हैं। और हाथ पसार कर भीख मांगते हैं और भीख मांगने के बाद अपने प्रदेश के लोगों को खाद्य देते हैं।

जहां तक हमारे प्रदेश की बात है, इस खाद्य समस्या के बारे में मेरे सुझाव हैं। सबसे पहला सुझाव यह है कि हमें खाद्य सामग्री मिलावटी मिलती है। कानपुर में जो गोदाम बने हुए हैं जिनमें यह स्टाक होता है उनकी हालत खराब है। यदि किसी दिन हमारे खाद्य मंत्री उनका निरीक्षण करें तो उनको मालूम होगा कि उनमें कितने टन गल्ला सड़ रहा है। हम जानते हैं कि जो खाद्य के गोदाम बने हुए हैं वे हमारे क्षेत्र के अन्दर बने हुए हैं। हमें हमेशा देखने का मौका मिलता है। आज गोदामों में वह गल्ला सड़ रहा है। वहीं हमारे प्रदेश की आम जनता यानी गरीब जनता को दिया जाता है, जब कि काश्तकारों से उगाही के सिलसिले में उस समय चार बार छानने के बाद गल्ला लेते हैं लेकिन दूकानों में जो गल्ला पहुंचता है वह सड़ा हुआ गल्ला पहुंचता है। हमको जहां तक मालूम है कि विदेशों में वह गेहूं, जिसका अर्क निकाल लिया जाता है, और जिनको जानवरों को वहां खाने के लिए दिया जाता है उसको यहां कंट्रोल की दूकानों में आम जनता को वितरित करने के लिए भेजते हैं यह बड़े शर्म की बात है। श्रीमन्, आज की सरकार चाहे वह केंद्रीय सरकार हो या प्रांतीय सरकार हो लाईन-लगाऊ सरकार है। लाईन-लगाओ और कंट्रोल करो इन्हीं चीजों पर सरकार चल रही है। इस प्रजातंत्र में जो सरकार खाद्य की समस्या हल नहीं कर सकी, इस प्रजातंत्र में जो सरकार कपड़ों की समस्या नहीं हल कर सकी, शिक्षा की समस्या हल नहीं कर सकी उसको कोई अधिकार नहीं है कि वह शासन कर सके। हमारे बीच में जो मंत्री लोग हैं वे जनता से ऊपर उठ जाते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे और जनता के बीच जो खाई है वह नहीं रहनी चाहिये, अगर ऐसा है तो भेद नहीं रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, देखा जाता है कि हर तरफ चाहे राशन की दूकानों की बात हो, चाहे तेल की दूकानें हों, चाहे रेंट कंट्रोल की बात हो, भ्रष्टाचार चलता है। हमने अपने क्षेत्र की जो पांच राशन की दूकानें थीं उनको डी० एम० से कहकर भ्रष्टाचार के सिलसिले में पकड़वाया था। वहां पर एक कोका-कोला फैक्टरी है जो उन पांच दूकानों की सारी की सारी शकर ले लेती थी और और वे दूकानदार बेंच देते थे। पांच दूकानों को पकड़ा और सौ बोरे शकर पकड़ी और इसके बाद अध्यक्ष महोदय क्या हुआ? थोड़े समय का ही मामला होता है, वे सारे के सारे केस छोड़ दिये गये। उनकी दूकानें जरूर खत्म कर दी गईं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा मालूम होता है कि प्रजातंत्र सरकार में ऐसी हिम्मत नहीं है कि उनको सजा मिले। प्रांतीय सरकार के जो अधिकारी हैं वे उस शकर के मामले में मौन रहे। अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में मैं आपको बतला दूं कि जो जो जोन्स बांटे गये हैं आर० एफ० सी० के दफ्तर के, उनमें यह होता है कि एक जिले से दूसरे जिले को गल्ला नहीं जाता है। हमारे यहां पर कानपुर और उन्नाव ये दोनों मिले हुए हैं। बीच में गंगा नदी है। इसमें कंट्रोल यह हुआ कि यहां का जो गल्ला है वह कानपुर नहीं जायेगा और

कानपुर का गल्ला उन्नाव नहीं जायेगा। इसके बावजूद भी तमाम भ्रष्टाचार है और खास तौर से चोरी से जैसा कि कहा गया। गुप्त रूप से गल्ला और चावल हर तरफ से ट्रकों के अन्दर जाता रहा है। इसी तरह से भ्रष्टाचार बढ़ाने की बात सरकार करती रही है। अध्यक्ष महोदय, हम बता दें कि हमारे यहां गणेश फ्लावर मिल है। वे डालडा घी बनाते हैं। जबकि मध्यावधि चुनाव हुआ था और संविद सरकार के पहले की बात है जब चुनाव का जोर था तब माननीय चन्द्र भानु गुप्त जी ने उनसे लाखों रुपये चन्दे के लिये थे और मिल मालिकों ने चन्दे दिये। जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो फौरन दाम बढ़ा दिये। और वह कहते हैं कि जब हम सरकार को चन्दा देते हैं तो हमें इतना भी अधिकार नहीं कि हम फायदा उठा सकें। जो चन्दा हमने दिया है उसको वसूल कर सकें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसका असर किस पर पड़ता है। जो गरीब जनता है जो गांवों में रहती है, डालडा घी जो शादी ब्याहों के अवसर पर खरीदने जाती है। जो डालडा पचास साठ का मिलता था वही अस्सी और सौ रुपये में आज बिक रहा है। इस तरह से २०-१५-१८ रुपया एक टीन पर दाम बढ़ जाता है। और इसका कारण यह है कि अनाप शनाप उन लोगों से चन्दा वसूल किया जाता है। इससे जनता को बड़ी भारी परेशानी हो जाती है।

मिट्टी के तेल की समस्या है। कानपुर में उसकी कमी कमी भी नहीं होनी चाहिये। लेकिन देहाती इलाके में जहां बिजली नहीं है, तेल नहीं मिल पाता है। बाहर दूकानों पर तो मिट्टी का तेल चाहे जितना मिलता है लेकिन कंट्रोल की दूकान पर बिलकुल नहीं मिलता वह चोरबाजारी करते हैं।

इसी तरह से रेंट कंट्रोल की समस्या है। कुछ दिन पहले एक कमेटी बनायी गयी थी जो अलाटमेंट करती थी।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कर दीजिये। बाद में बोल लीजिये। साढ़े चार बज गये हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये थे, उन दोनों को मैंने अस्वीकार कर दिया है। एक तो कुछ अनिश्चित था और यह समय भी बजट का समय है। वह नगरपालिकाओं के बारे में है। स्वायत्त शासन मंत्री जी का जब बजट आयेगा, उस पर अपने विचार प्रकट किये जा सकते हैं। वह इस प्रकार हैं--नगरपालिका और महापालिका के कर्मचारियों के हड़ताल करने पर ६ महीने के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह श्री मोहन लाल जी कपूर और नित्यानन्द जी का है।

दूसरा श्री रामधारी शास्त्री, श्री बांकेलाल, श्री प्यारेलाल, श्री श्यामसूरत उपाध्याय और श्री हरिवंश जी का है। वह इस प्रकार से है "शहीद रामचन्द्र इंटर कालेज, बसन्तपुर, धूंसी के अध्यापकों को गत १६ मास से वेतन नहीं दिया गया है। अध्यापक एवं विद्यार्थी हड़ताल पर हैं और एक अध्यापक अनशन पर है।"

इसको २-३ दिन पहले नियम ५१ में उपस्थित किया गया था और मैंने उसको स्वीकार नहीं किया था। अब इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में उपस्थित किया गया है। यह मैंने शिक्षा मंत्री जी के पास भेज दिया है। वे शिक्षा मंत्री जी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ प्रश्नोत्तर करना चाहें तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे सकते हैं। लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा वैसे इस समय केवल यही कर सकता हूं कि आप शिक्षा मंत्री का जब अनुदान आये, उस समय बोल लें।

ग्राम तीनपानी, जिला नैनीताल में श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर की गुन्डों द्वारा लूट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५१ का मैंने एक स्वीकार किया है। यह बात तय हुई थी कि जिनके अस्वीकार हुए हैं, उनके नाम मैं पढ़ दूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

नगरपालिकाओं के अन्दर अधिकारियों ने पाबन्दी लगा दी है वह अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। कम से कम इसको ध्यान आकर्षित करने में तो रख देते। ५१ में ही इसको रख दें और प्रदेश के हजारों कर्मचारियों पर कृपा करें।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

बसंतपुर, धूसी इंटर कालेज के अध्यापकों को १६ मास से तनखवाह नहीं मिली है और राम चन्द्र शुक्ला नाम का अध्यापक ६ दिन से भख हड़ताल कर रहा है इस पर विचार किया जाय और शिक्षा मंत्री जी को बाध्य किया जाय और हमारे कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। अगर स्वीकार नहीं किया जायगा तो हम बैठेंगे नहीं, हम अपनी बात कहे जायेंग। क्यों रिजेक्ट कर दिया, इसको स्पष्ट किया जाय कि हमारे कामरोको प्रस्ताव को क्यों रद्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं।

मैंने श्री गोविन्द सिंह का स्वीकार किया है। उसके लिये मैंने मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ४ तारीख को दे सकते हैं। इसलिये इस पर ४ तारीख को वक्तव्य होगा।

एक मैंने श्री जगन्नाथ खन्ना का अस्वीकार किया है। वहां पर हलवाई बिक्री कर के विरोध में सांकतिक हड़ताल पर हैं। तो वह श्री जगन्नाथ खन्ना का है हलवाइयों की बिक्री कर के विरोध में सांकेतिक हड़ताल के बारे में। वह मैंने अस्वीकृत कर दिया है। दूसरा सर्व श्री राम गोपाल संड व कन्हैया लाल सोनकर का इलाहाबाद नगर महापालिका के मेहतरों एवं अन्य सफाई मजदूरों द्वारा हड़ताल की सूचना दी है। उसको भी मैंने अस्वीकार कर दिया है। तीसरा श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी जी का शहीद राम चन्द्र इंटर कालेज, बसंतपुर, धूसी के अध्यापक श्री चंद्रिका प्रसाद शुक्ल का दिनांक २६--७--६९ से अनशन के संबंध में। इसी तरह से एक शम्भूनाथ चौधरी का शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय बालिका इंटर कालेज, बलिया क कुछ स्थान को राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, बलिया को दिये जाने के संबंध में। वह भी मैंने अस्वीकार कर दिया है। एक इंद्रमणि बढ़ोनी का टहरी गढ़वाल में ग्राम सिरसेट तथा खर्क क्षेत्र कीर्तिनगर तथा ग्राम बढ़ियार विकास क्षेत्र जखोली में पहाड़ टटने से दैवी संकट के संबंध में है। उसे भी मैंने अस्वीकार किया है। एक श्री मनोहर लाल का जिला हरदोई के बधोली थाने के अन्तर्गत ग्राम तेजापुरवा में २७--७--६९ को पड़ी डकैती तथा हत्या के संबंध में है। ये अस्वीकृत हुए हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैंने एक नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के कर्मचारियों के हड़ताल करने के संबंध में सूचना दी है जो इलाहाबाद में हड़ताल हो रही है। दूसरा मेरे साथी श्री जगन्नाथ खन्ना का हलवाइयों की हड़ताल के संबंध में है। श्रीमन्, आज प्रदेश भर के हलवाई हड़ताल कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो लोक महत्व के हैं उनको तो आप ले लें। अगर आप औरों को रद्द कर दें तो कोई बात नहीं है। लेकिन महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के

कर्मचारियों के हड़ताल के संबंध में और इलाहाबाद में मेहतरों की हड़ताल के बारे में जो प्रश्न हैं उनको एक-एक दिन ले लिया जाय और उन पर आधे-आधे घंटे की बहस करा दें ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

आपने दफा ५१ के बारे में अस्वीकृत कर दिया है और राज्य सरकार ने नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के संबंध में प्रतिबन्ध भी लगा दिया है कि वे नहीं कर सकते हैं । यह तानाशाही का रवैया है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इलाहाबाद के मेहतर जो कल से हड़ताल कर रहे हैं उस पर बुलवा दें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वायत्त मंत्री जी ने मुझे बताया है कि वे इस पर बोलेंगे ।

श्री रामगोपाल संड—

परन्तु आपने तो इसे अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपन इसको काम रोको प्रस्ताव में रखा है जिसका अर्थ है कि मैं इन लोगों को २ घंटे तक यहां बैठाऊं । यह नहीं हो सकता ।

श्री रामगोपाल संड—

तो आप इसे नियम ५१ में ले लीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन, हलवाइयों के प्रश्न को आप नियम ५१ में ले सकते हैं और शेष को आप नियम ५१ में परिवर्तित कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बजट के ऊपर चर्चा जारी रखें ।

श्री रामगोपाल संड—

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना मांगी थी .....

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

पिछले सालों में व्यवस्था यह रही है कि नियम ५१ के अन्तर्गत एक सवाल स्वीकार कर लिया जाता था जो बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था और बाकी जिनको महत्वपूर्ण समझा जाता था उनको संबंधित मंत्री के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया जाता था ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो भेज दिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सदन के अन्दर इस समय काफी शोरगुल होता है क्योंकि अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न आते हैं । आपको अधिकार है कि जिसे चाहें आप स्वीकार करें या न करें । प्रदेश के लोगों पर उनसे असर पड़ता है, लिहाजा आप भले ही सब पर बहस न करायें, लेकिन उन प्रश्नों को बिल्कुल टालिये नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है ।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)---

कानपुर में छात्र समस्या उठ खड़ी हुई है । हड़ताल हो रही है । अगर वहां की समस्या हल नहीं की गयी तो मैं चेतावनी दिये देता हूं सारे प्रदेश में वह समस्या उठ खड़ी होगी और सरकार उसे फिर दबाने में असफल होगी । नियम ५१ के अन्तर्गत यह सूचना मैंने दी थी जिसे आपने अस्वीकृत कर दिया ।

एक सदस्य---

मैंने भी बड़े लोकमहत्व का तथा अविलम्बनीय प्रश्न दिया था और ढाई घंटे का समय मांगा था....

श्री अध्यक्ष---

उस पर विचार हो रहा है ।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)---

मैंने बसंतपुर, घूसी, जिला देवरिया के कालेजेज के बारे में कामरोको प्रस्ताव रखा था जिसे अस्वीकार कर दिया गया । २६ जुलाई से अध्यापक भूख हड़ताल पर हैं । मैं आपका ध्यान नियम ५८ की ओर आकृष्ट करूंगा और हमको संतुष्ट किया जाय कि किस दृष्टि से वह महत्व का नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बहस कर रहे हैं । बजट का समय सबसे महत्व का है और हर एक को बोलने का मौका मिल जाता है । अब सब बातों को खत्म करके २ घंटे का समय निकाल कर कामरोको प्रस्ताव ले लिया जाय इससे अच्छा होगा कि आप नियम ५१ में उसे दे देते तो मैं उसे स्वीकार कर लेता । जायसवाल जी से मेरी बातचीत हुई थी । मैं कुछ भी यहां बतला दूं लेकिन लोग बोलते जायेंगे । मैंने कारण बतलाया कि इस कारण से यह प्रश्न स्वीकृत नहीं हुआ और ये ये प्रश्न थे, लेकिन इतना बतलाने पर भी कुछ लोगों ने अपने प्रश्नों को यहां पर पूरा रखा तो फिर मेरी लाचारी है । नियम का पालन करने की ओर लोगों का ध्यान कम है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि जो लोक महत्व के प्रश्न आपके पास आते हैं, उनकी अगर सूचना सदन में दे दी जाया करे तो उससे बहुत हद तक सदस्यों को संतोष हो जाया करेगा और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इससे बहुत हद तक संतोष हो जाता है मंत्रियों का भी ध्यान उस तरफ चला जाता है । इस पर आपने यह कहा था कि इस समय बजट की चर्चा हो रही है और वह बहुत आवश्यक चर्चा है । इसको भी मैं तसलीम करता हूं लेकिन....

श्री अध्यक्ष---

आप सबरे मेरे पास कमरे में आ जाया करिये और आपसे डिस्कस करके मैं तय कर लिया करूंगा और उसके बाद अगर वही चीज शाम को की जाय तो फिर सुझाव मत दीजियेगा। फिर नियम का पालन करने दीजियेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक निवेदन इस सदन की व्यवस्था के बारे में है कि जब सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं तो बुरा लगता है। कायदा यह है कि जब आप खड़े हों तब कोई सदस्य उठ के न खड़ा हो। जब आप मना करें तो वह बैठ जाय और अगर आप आवश्यक समझें तो जरूरी ताकत का इस्तेमाल कर के उसे बाहर भी निकलवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह मत सोचिये।(हंसी)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अभी तक खाली हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगा करता था, लेकिन आज जिस तरह की घटनायें इस सदन में हुई खाली सरकारी पक्ष में बैठे लोगों की तरफ से ही नहीं बल्कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी और मैं उदाहरण दे कर बताता हूं....

श्री अध्यक्ष—

वह तो मेरे सामने की बात है। हवा फैल जाती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो हवा को यही लोग बिगाड़ रहे हैं। तो अच्छा आपको अख्तियार है कि किसी को निकलवा सकते हैं तो कभी किसी मिनिस्टर को भी टंगवाकर निकलवा दीजिये....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आज तक अबकी दफा किसी को निकाला नहीं। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, उनसे मैं करीब ७ साल बड़ा हूं। तो मेरे दिल में अब आता नहीं कि किसी को घसीट कर निकाला जाय। जवानी में वह बात थी। अब मैं चाहता हूं कि यह चीज मेरे हाथ से न हो तो अच्छा है।

(व्यवधान)

१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें (क्रमागत)

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

संस्कृत में एक श्लोक है—'विमुक्तिः किं न करोति पापम्' इसको आज की सरकार पर लागू करें, प्रजातंत्र पर लागू करें तो सही बात है। आज हमारे प्रदेश में चोरी, डकैती, राहजनी जो इतनी बढ़ रही है वह इसलिये कि आम जनता गरीबी की वजह से भूखों मर रही है। जब लोग भूख से मरेंगे तो वे चोरी भी करेंगे, डकैती भी करेंगे, घेराव भी करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। श्रीमन्, आपको मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि कानपुर के एक गर्ल्स इंटर कालेज की अध्यापिकाओं ने हड़ताल कर दी है। वह कानपुर में लड़कियों का बहुत बड़ा स्कूल है। वहां की अध्यापिकाओं को तनख्वाह नहीं मिली है जिससे वहां की सारी की सारी अध्यापिकायें बराबर हड़ताल पर हैं। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, उनके समर्थन में आज कानपुर के सारे गर्ल्स कालेज बन्द हो गये हैं। अगर इंसान भूख से मरेगा तो चाहे अध्यापक हो, चाहे सरकारी दफ्तरों का बड़ा बाबू हो, अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वे हड़ताल करेंगे ही। मैं कहता हूं कि हमारा जो कटौती का प्रस्ताव खाद्य और रसद विभाग के सिलसिले में है उसका आप समर्थन करें।

[श्री मनोहर लाल]

हमारे यहां खाद्य की जो समस्या है उसके लिये यह सरकार ही जिम्मेदार है। उसके तीन कारण हैं---एक तो उत्पादन की कमी, जखीरेबाजी और निर्यात। जब कंट्रोल हुआ था तो कानपुर के अन्दर बड़े बड़े दूकानदारों ने गल्ले की होर्डिंग कर ली थी और जब प्रान्त में गल्ले की कमी थी तब भी सरकार उनसे गल्ला निकलवाने में मजबूर थी। यह हमारी सरकार की गलत नीति का ही परिणाम है।

जहां तक रेंट कंट्रोल वाले मकानों के एलाटमेंट की बात है, कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है, वहां मकानों के एलाटमेंट के लिये एक कमेटी है जो मकानों के एलाटमेंट करती है लेकिन मैंने देखा है कि वहां के जो अधिकारी हैं, वे उन्हीं के नाम मकानों का एलाटमेंट कर देते हैं जिनकी उनके पास सिफ़ारिश होती है। अगर २०-२५ दरखवास्तें आती ह तो मेरिट्स के आधार पर उनका एलाटमेंट न होकर सिफ़ारिश के आधार पर ही एलाटमेंट कर दिया जाता है जिससे सही आदमियों को मकान नहीं मिल पाते। इसलिये रेंट कंट्रोल के सिलसिले में जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय गोविन्द सिंह नेगी, आप अपना उत्तर दें और कृपया १० मिनट में ही समाप्त करें क्योंकि मंत्री जी भी उत्तर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, मैं बुनियादी नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि जो बातें मैंने यहां पर रखी हैं उनके बारे में सिवा एक माननीय सदस्य के किसी ने उसका विरोध नहीं किया है, सबने उनका समर्थन किया है और मंत्रालय की आलोचना की है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन तमाम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमने खर्च किया है, जो सरकार ने पैसा लगाया है उससे हमारे देश के अन्दर तरक्की हुई है, अनाज की पैदावार बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे आंकड़े नहीं हैं केन्द्रीय सरकार के हैं। इस प्रांत में हम लोगों ने १५ हजार करोड़ रुपये का गल्ला खरीदा है और सिंचाई पर केवल १३ हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मेरे मित्र कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई भी भूख से नहीं मरा और हमारा प्रदेश खुशहाल हो गया। इस समय मौसम अच्छा है फ़सल अच्छी हुई है और वर्षा के अच्छे होने से आशा का संचार हुआ है। श्री अशोक मित्रा, चेयरमैन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन हैं। उनकी रिपोर्ट से मैं सदन के समक्ष उदाहरण रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि :---

"While, despite the droughts and floods here and there, some of the alarms raised over the prespective size of 1968-69 crop are quite uncalled for at this stage, I for my part would still strike a note of caution about a number of optical illusions which have come to hold away during the last few months.

While making the admission that 'at least in some parts of the country a qualitative shift in agriculture has certainly come about', Shri Mitra warns that at this stage, we can, therefore, harldy afford to slide into romaniticism : the agricultural revolution in still a prospective event."

श्रीमन्, यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। आपके सरकारी कर्मचारी की है। वह कहते हैं कि जो पैदावार हुई है उससे भ्रम में नहीं रहना चाहिये। कृषि के अन्दर क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। मैंने स्टेट ट्रेडिंग की मूल समस्या रखी थी। यह मेरी नीति नहीं है बल्कि आपकी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया है। अगर आप इस पर अमल नहीं करते हैं तो कांग्रेस से कहिये कि प्रस्ताव गलत है, नीति गलत है। अगर आप उस की निति पर कायम है, बस सूत्री कार्यक्रम पर कायम हैं तो बताइये कि स्टेट ट्रेडिंग के बारे में आपको क्या कठिनाई है। मैं निवेदन करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे यहां की खाद्य व्यवस्था कितनी खराब है यह सबको मालूम है। यह ग्रांट कितनी बड़ी और अहम है इस पर सरकार एक दो घंटे डिबेट करा-कर पास करा लेना चाहती है। राजस्व विभाग की ग्रांट कम थी उसको तो डेढ़ दिन दिया और यह इतनी बड़ी ग्रांट है और महत्वपूर्ण है। यह ३६ करोड़ रुपये की ग्रांट है। मेरा निवेदन है कि आप इसके बारे में अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें। इसमें इस समय ४-६ घंटे बैठें, जिससे पूरे सदन को मौका मिल सके और प्रदेश की खाद्य समस्या हल हो सके और लोगों को रोटी-रोजी मिल सके।

श्री अध्यक्ष--

आप तो बोलते चले जा रहे हैं। आप भाषण दे रहे हैं। इसमें व्यवस्था क्या हुई। एक व्यवस्था हो चुकी है और वह सर्वसम्मति से हुई है।

*खाद्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं अपोजीशन के नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना कम समय रखा, तीन या पौने तीन घंटे और उसमें आध घंटा और चीजों पर बहस में लगा दिया। इसके मानी यह हैं कि वह खाद्य की योजना को मानते हैं और इसलिए इस पर ज्यादा समय देना नहीं चाहते। मैं १५ साल तक मुख्य सचेतक रह चुका हूं। कार्यवाही करने का तरीका भी जानता हूं। होता यह रहा है कि दोनों तरफ़ के नेता लोग यह मिल कर तय करते हैं कि कितना समय किस पर निर्धारित करें, किस पर कम करें किस पर ज्यादा करें। इसलिए अधिकार अपोजीशन का ही होता है कि जितना समय जिस मांग पर चाहें लें। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इसका काम इतना अच्छा चल रहा है इस लिए कम समय दिया।

रसद विभाग, खाद्य विभाग के कामों में काफ़ी सुधार हो रहा है। यह मैं मानता हूं कि जितनी जोर से देखरेख होनी थी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। उससे अधिक होनी चाहिये। अगर नियन्त्रण ठीक रहे, देखरेख ठीक रहें, हर कदम पर अंकुश रहे, तो काम अच्छा होने वाला है। काम जटिल है, मुश्किल है। उसको हम सब को मिल कर पूरा करना है। मुझे तो जमाना देखने का मौका मिला है। सन् १६ से काम कर रहा हूं। जो कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश वहीं का वहीं रह गया, मुश्किल तो यह है कि उन्होंने वह जमाना देखा नहीं। क्या था क्या हो रहा है? गांव की मांग थीं--लोहे की खुरपी, हंसिया, रमी और दौरी। इसके अलावा कोई मांग नहीं थी। आज लोहा सीमेंट, कल कारखाने, हर प्रकार की चीजों की मांग है। और मुनासिब मांग है। इत्तफ़ाक से शहरी और देहाती का भी थोड़ा बहुत नाम लिया गया है। तो मैं शुद्ध देहाती हूं। गांव का रहने वाला हूं। गांव में पैदा हुआ हूं। मैं गांव की हालत को जानता हूं और जमाने से जानता हूं। यह वह देश है जहां न खाना था, न कपड़ा, न रहने को घर था, कोई चीज नहीं थी। हम गुलाम थे। इसी लिए हमने लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों को निकाला। आशा यह थी कि देश के लोग मेहनत करेंगे और हमारे नौजवानों ने जान की आहुति दी। जेलखाने में सड़ गये। लेकिन उनको आशा थी कि आजादी हासिल करने के बाद देश के नागरिक, चाहे इधर के हों या उधर के, सब मिल कर इस देश की तरक्की में हाथ बटाएंगे। किसी देश की दौलत रुपया नहीं होता, सोना नहीं होता। किसी देश की दौलत वहां का श्रमधन है, और उस श्रमधन से जो सामान बनता है। माननीय सदस्यगण एक वाता-वरण बनाएं और जो देश की बड़ी दौलत है जिससे काम आसानी से और जल्द से जल्द हो सकते हैं, उसकी गति तेज कीजिये। उसमें उभार और जोश लाइये तब जैसा कि सब माननीय सदस्य चाहते हैं वैसा यह देश बन सकता है। जहांतक खाद्य का मसला है इसमें बहुत से लोगों ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंगला प्रसाद]

पानी की, बीज की बात की । इसमें जो पैदावार हो जाती है उसके इकट्ठा करने का काम है। पैदावार का काम तो कृषि में आ गया लेकिन खाद्य वगैरह की बात जो कही गई वह गलत है। पिछले साल सन् १९६७-६८ में हमने ४ लाख ६५ हजार ३७३ टन गेंहू खरीदा, उसमें से ४ लाख ६ हजार ३६७ टन भारतीय खाद्य निगम को दे दिया, जो बफ़र स्टाक बनाते हैं, जिससे कि वह दिक्कत के वक्त काम आए। इस साल ८४ हजार टन खाद्य निगम ने पिछले साल खरीदा था। इस साल भारतीय खाद्य नि म को ही यह इंतजाम दे दिया गया कि वह खरीद-फ़रोख्त करे, जो उनका काम है । वह भारतवर्ष के कोने-कोने में यह काम करता है ।

कुछ लोगों की यह शंका है कि गल्ला जो रखा जाता है वह ठीक तरीके से नहीं रखा जाता है, जिससे उसमें से काफ़ी खराब जाता है, उससे ज्यादा गलत बात कोई हो नहीं सकती । गल्ला मार्डन टेक्निक के अनुसार रखा जाता है । उसे आप साल भर के बाद भी निकालें तो वह बिल्कुल फ्रेस निकलता है । ४ लाख टन के गोदाम बन गये हैं, कुछ प्रान्तीय सरकार और कुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं । आशा है कि थोड़े दिनों में हमारी आवश्यकता भरके गोदाम बन जाएंगे और हम अपना सारा गल्ला अपने अच्छे व नये गोदामों में रख सकेंगे ।

हमने चावल भी खरीदा था । पिछले साल २ लाख ५ हजार टन से ज्यादा खरीदा था, उसमें से सवा लाख टन हमने केन्द्रीय सरकार को दिया, जो ऐसी जगहों में जहां आवश्यकता होती है वहां भेजता है, चाहे वह केरल हो चाहे वह काश्मीर हो । इस साल भी काश्मीर गया है, दूसरी जगह जा रहा है । इस साल हमारा टारगेट था कि हम १० लाख टन खरीदेंगे गेंहू, लेकिन कई वजूहातों से उतना हम नहीं खरीद सके । उसका कारण यह था कि एक तो यहां जोन हमारा बड़ा हो गया है । हर प्रदेश से, राजस्थान, बिहार, बंगाल सब जगह से लोग खरीदने आये और उन्होंने काफ़ी मात्रा में गेंहूं यहां से खरीदा । हमने खरीदा सबसे अधिक उसका नतीजा यह है कि किसानों को अधिक पैसा मिला पिछले साल के मुकाबले । मैं बहुत से बाजारों में गया, गांवों में गया और दे ा कि काम वहां ठीक तरह से हो रहा था, कोई शिकायत नहीं थी ।

एक प्रथा अच्छी तरह चल रही थी, जो बढ़ेगी कि सीधे काश्तकार से खरीद की जाए, उसमें न तो पक्के न कच्चे अढ़तिया को देने की बात है । इस साल १३ जगह ऐसी खरीदारी हो गई है और हर साल बराबर बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि सीधे खरीदारी सरकार किसानों से करेगी ।

खरीफ़ आ रही है, केन्द्रीय सरकार गल्ले के दाम तय करती है कि कौन दाम पर कौन चीज खरीदी जाए । तो वह उसकी शरह मुहर्रर कर देती है, वह अखबारों में निकल गया है। चीनी और दुकानों के बारे में बहुत शिकायत की गई है । जो गल्ले की दुकानें सूबे में ४, ५ हजार हैं वह कायम है और कायम रहेंगी । कायम इसलिये रहेंगी कि पानी ज्यादा बरसने से या न बरसने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जब लोगों को दिक्कत पैदा हो और इन दुकानों की जरूरत पैदा हो जाय । इस वजह से ये सब कायम रहेंगी । मैदानी इलाके में पहाड़ों को छोड़कर लोगों ने गल्ला नहीं लिया चावल वगैरा नहीं लिया । सिर्फ़ चीनी ही उन लोगों ने वहां से ली । शहरी क्षेत्रों में लोगों ने चीनी ही नहीं ली बल्कि ऐसे लोगों ने भी ली जिनके राशन कार्ड नहीं थे और जो मौजूद न थे । बोगस कार्ड के जरिये से ली । हमने जांच कराई है और चारों तरफ़ जांच करा रहे है । जब मैं मिनिस्टर भी नहीं था तब हमने इलाहाबाद में जांच कराई थी तो वहां पर एक लाख बोगस कार्ड निकले थे। यह जांच हर जगह हो रही है । म्युनिसिपल बोर्ड या कारपोरेशन छोटे बड़े कस्बों में सब जगह हो रही है । अभी तक १०, १५ जिलों से खबर आई है वहां पर ५ लाख के करीब ऐसे कार्ड है जिनको बोगस कह सकते ह । जिनको चीनी मिलनी चाहिये उनको तो मिली ही बल्कि जो नहीं थे उनको भी मिली । जांच की जा रही है । जहां पर गलती पाई जायगी तो उस पर कार्यवाही की जायगी । इस तरह से हमारा यह तरीका है । देहाती इलाके में चीनी नहीं गई । २, ३ बोरे गई भी तो वह वहां तक नहीं पहुंची । वहां तक एक छटाक भी नहीं पहुंची । इसलिये मेरी धारणा है कि वहां पर इन्तजाम किया जाय । हम

इन्तजाम कर रहे हैं और गांव में एक एक किसान के पास चीनी पहुंचेगी । किसान अपने मन से किसी को दे दे, लेकिन ऐसा इन्तजाम करेंगे कि एक एक किसान के पास चीनी पहुंच जाय . . .

श्री चेतराम गंगवार—

एक आदमी के पास १०, १० दुकानें हैं तो मन्त्री जी इस प्रकार का आदेश देंगे कि एक आदमी के पास एक दुकान रहे ।

श्री मंगलाप्रसाद—

माननीय सदस्य तकलीफ़ न उठायें । जो मैं कह रहा हूं उसको सुन लें । देहात का तरीका यह होगा कि देहात में ही थोकफ़रोश होगा जिसके पास चीनी का स्टाक होगा । तहसील या कस्बे में वह रहेगा और गांव के दुकानदार वहीं से लेंगे । १४ तारीख तक हर महीने में थोकफ़रोश से लेकर वह गांव में जहां पर पंचायत होगी रहेगा । वहीं पर उसकी दुकान रहेगी । एक दुकान ही एक के पास रहेगी । कहीं से इत्तिला मिलेगी तो एक ही करेंगे । यह नियम बनाया है और इस पर काम करने वाले हैं । १५ तारीख को दूकान में चीनी होना चाहिये । १५ तारीख को वितरण नहीं होना है, १६, १७, १८, १९ तारीख को उसका वितरण हुआ करेगा । पहले से लोगों को पता रहेगा कि फ़लां गांव में, फ़लां दिन चीनी बांटी जायेगी । १६ तारीख को या १७ तारीख को जांच भी हो सकेगी कि कितनी चीनी बांटी गयी, कितनी बची । सब को उसकी जानकारी रहेगी । गांव में जहां चीनी पहले पहुंचती नहीं थी, अब इस का असर यह होगा कि गांवों में चीनी पहुंचेगी और वहां के लोगों को चीनी मिलेगी । पंचायतों के द्वारा उसको बांटा जायेगा । यह दूसरी बात है कि सब को न मिले, मगर ५०–६० लोगों को मिल ही जायेगी । वैसे थोड़ी बहुत तो चोरी भी होती रहेगी, जिनको जरूरत नहीं होगी, वे लेकर दूसरों को भी दे देंगे, मगर काफ़ी हद तक उस चोरी को रोका जायेगा । मैं चाहता हूं कि जिस तरह गांवों में आज चाय और काफ़ी का रिवाज हो गया है, उसी तरह चीनी का भी रिवाज हो जाय ताकि उसकी मांग बढ़ सकें क्योंकि भविष्य में चीनी का उत्पादन बढ़ेगा और शहरों में उसकी खपत होना मुश्किल है । अगर शुगरकेन के दाम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी मांग भी ज्यादा होना चाहिये ।

शहरों में हमने ७०० ग्राम फी यूनिट की जगह ७५० ग्राम कर दी है । (व्यवधान) गांवों में भी धीरे-धीरे बढ़ायेंगे । पहले जहां दो बोरी भी नाममात्र को मिलती थीं, एक महीने में, अब उसकी जगह १६ बोरी मिला करेंगी । अगर केन्द्रीय सरकार से हमको कोटा ज्यादा मिलने लगा, तो हम और बढ़ायेंगे । पहाड़ों के इलाकों में चीनी की ज्यादा खपत है क्योंकि वहां सर्दी अधिक पड़ती है । अब वहां पर भी फी यूनिट २५० ग्राम मिला करेगी । इसके अलावा जो गल्ला हम पहाड़ों पर भेजते हैं, उसका ट्रान्सपोर्ट का खर्चा सरकार स्वयं बरदाश्त करती है ।

(व्यवधान)

कुछ लोगों ने कहा कि मिल से जो आटा निकलता है वह बहुत खराब होता है । मैंने देखा है कि मिलावट बिल्कुल नहीं होती । मैं आपका इन्तजाम कर दूंगा जिस दिन आप चाहें किसी एक दिन कोई दिन नियत नहीं है, किसी रोलर मिल में चले जाइये कि किस शुद्धता से और किस ढंग से वहां काम होता है । अगर मिलावट होती है तो कहीं और होती है । जहां तक रोलर मिल का सवाल है वहां मिलावट नहीं होती है । मैंने वहां यकायक जाकर भी देखा है । जब हमारे माननीय सदस्य वहां जाना चाहें तो मैं इन्तजाम कर दूंगा तो शायद उनको उसके बाद यह शिकायत बाकी नहीं रहेगी । तो वे यह कहेंगे कि जितना शुद्ध आटा मिल का होता है और कहीं का नहीं होता ।

सवाल दो तीन चीजों का रखना चाहिये । खाने, रहने और कपड़े का । मकान का सवाल बड़ा भारी है । उससे ताल्लुक है कोयले का । कोयला पर्याप्त नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ईंटें महंगी मिलती ह । जो मकान बनते हैं या सरकारी काम होते हैं उनसे सिद्ध होता है कि ईंटें बहुत महंगी मिलती हैं । ८५ रुपये हजार ईंटें मिलती हैं

[श्री मंगलाप्रसाद]

गोंडा में और ५३ रुपये हजार मिलती हैं कानपुर में । इतना फर्क है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने एक गोष्ठी की थी, दो सौ अफसरों की, कोयले वाले बिजनैसमैन को इकट्ठा करके मंत्रणा हुई । कुछ मसल तय हुए । तो अब कोई दिक्कत नहीं है कोयले की। कमी नहीं है, कमी है तो रेल के डिब्बों की कमी है। इतनी रेलगाड़ियां नहीं हैं कि जब आप चाहें तब मिल जाय। इसका इन्तजाम किया जा रहा है। बरसात के महीने में गाड़ियां खाली होती हैं तब डम्प किया जाय। तब उसको लाया जाय। तमाम जगह ईंटों का भाव एक सा रहे, कम हो और उन्हीं लोगों की राय से मैंने उनको सस्ता किया। आखिर हम भी इस देश के बनाने वाले हैं, हमारा भी दायित्व है। हमने मिलकर उनसे बन्दोबस्त ऐसा करना चाहा कि ईंटें कम से कम दाम पर मिलें। कम से कम दाम मिलने पर अधिक खरीदारी होगी। अगर कोई दस लाख बेचता है, तो सस्ती यदि हो जाय तो २५ लाख वह बेचेगा, पचास लाख बचेगा। उसकी आमदनी में कोई फर्क नहीं होने वाला है। यह चीजें समझाई थीं। अब तेल है वह भी बहुत जरूरी चीज है। खास तौर से बरसात में तेल कौन देता है ? जितनी बड़ी-बड़ी कम्पनियां बर्मा शैल वगैरह हैं वे तेल देती हैं। शिकायत यह है कि तेल कम मात्रा में मिलता है। हमने कहा कि बात यह है कि इस पर भी धावा डाला जाय। इस पर भी जोर से देख भाल की जाय और जो कारखाने बड़े-बड़े हैं वर्मा शैल के उनको कहा जाय कि आप लोग भी नियंत्रण रखें सही तरीके से। जितना कोटा है उसमें कहीं गड़बड़ी है या लीकेज है तो उसको दुरुस्त करने का इन्तजाम करो ताकि लोगों तक तेल पहुंच जाय। यह गल्ले या गेहूं का सवाल आया था कि यह गल्ला गला हुआ था उसमें नुक्सान हो गया। हमारी सरकार या हमारे डिपार्टमेंट प्रांतीय खाद्य निगम का वह काम नहीं था वह भारतीय खाद्य निगम का गल्ला था। वह उन्होंने भजा था। वह कहते हैं कि बहुत कम नुकसान हुआ। लोग कहते हैं कि बहुत नुकसान हुआ। तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। गल्ला इस तरह से भजना चाहिये जिसमें नुकसान न हो। क्योंकि वह सबक हित में आता है। गल्ला कहीं भी खराब होगा तो उसका असर सब पर पड़ने वाला है। मुझे आशा है कि ऐसी शिकायत आपको भारतीय खाद्य निगम से भी नहीं मिलेगी, हमसे भी नहीं मिलेगी।

हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से इन्तजाम ऐसा हो रहा है कि एक छटांक भी आटा खराब नहीं होता। हमने जितना गल्ला दिया रूखे के एरिया में सब बढ़िया से बढ़िया दिया। जैसा कि कहा गया कि सड़ता रहा है तो ऐसा काम नहीं होगा, जिससे लोगों को शिकायत का मौका मिले। कपड़े से भी ताल्लुक रहीं कुछ बातें। खासकर कपड़े की जो बहुत सी मिलें बन्द हैं, हाथरस में बन्द हैं, उसके लिए सरकार सोच रही है और सोचेगी कि वे कैसे चालू हो जायं। किल्लत कपड़े की नहीं है जितनी मिलों में रुकावट है। उनको दूर करने का सरकार प्रयास कर रही है और हर मिल के बारे में सोच रही है। चाहे चीनी का कारखाना हो, चाहे कपड़े का कारखाना हो सरकार उत्सुक है चलाने में। कोई दिक्कत है तो सरकार प्रबन्ध करेगी। शुगर मिल्स नहीं चल पातीं तो सरकार खुद उसका इन्तजाम कर दे। मुझे आशा है कि तमाम जनता के सहयोग से, माननीय सदस्यों के सहयोग से यह प्रदेश आगे बढ़ रहा है। दिन रात आगे तरक्की करता चला जा रहा है और तरक्की करता रहेगा। सबको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। कोई एक पार्टी या एक दल की तरफ से या जरिये से यह नहीं होने वाला है। सब मिल करके एक दुर्गा की शक्ति पैदा करेंगे तब कहीं जा करके आपकी बड़ी समस्यायें हल होने वाली हैं, हल होंगी और हल होकर रहेंगी। लेकिन यदि आप सब का बल मिल जायेगा जो हमारा श्रमधन है वह पूरी तरह से बढ़ने लगेगा तो हमारी समस्याय हल हो जायगी।

(श्री रामधारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

सवाल आपको करना हो तो कर लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

आप शहर के लिए सारी बातें कर रहे हैं और हम लोग देहात से आये हुए हैं। देहातों में हम देख रहे हैं कि चीनी की बड़ी तकलीफ है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शादी-ब्याह मरने-जीने के अवसरों पर चीनी देहातों को मिलेगी या नहीं मिलेगी और इकट्ठी मिलेगी। आज तक चीनी वहां मिली नहीं है। मैं चीनी की शिकायत आपके जरिये करना चाहता हूं। चीनी जो गई आपकी तरफ से वह सब दलालों के हाथ बिकी। दलाल सब खा गये । इसको मंत्री महोदय जानते हैं। इसका इन्तजाम करना बहुत मुश्किल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को चीनी जीने-मरने के लिए जरूरी चाहिये थी वह चीनी तीन-तीन सौ रुपये बोरा ब्लैक में गई । कोई नियम आप ऐसा बनायेंगे कि जो देहात के गरीब लोग हैं, देहात की जो जरूरत है वह कम से कम आपके जरिये से सुरक्षित रहे।

श्री मंगलाप्रसाद—

यही बात कहने को रह गई थी। सब को मालूम है कि चीनी पांच किलो, ६ किलो और दस किलो मिला करती थी, लेकिन बहुत सिफारिश होती थी। मैंने अपन कायकाल में यह तय कर दिया कि चालीस किलो चीनी मिलेगी। अगर कोई आदमी कम चाहे तो बात दूसरी है। वरना चालीस किलो से कम शादी विवाह में खर्च नहीं हो सकती। इसलिये चालीस किलो मिलेगी।

श्री रामधारी—

सारी चीनी तहसील के लोग ब्लैक कर लिये। खुशामद करने पर भी चीनी नहीं मिली ।

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

शादी के अलावा भी तो और कामों के लिये चीनी की जरूरत होती है ?

श्री मंगलाप्रसाद—

किसी के मरने और तेहरवीं में २० किलो मिलती है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनदान संख्या १६ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनदान संख्या १६– खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९२,३०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५३ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३--राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,७०,१२,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३१ जुलाई, १९६९ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२० पर)

दिनांक ४-३-६९ को बलरामपुर जिला गोंडा में हुए साम्प्रदायिक झगड़े का विवरण

दिनांक ४-३-६९ को होली के अवसर पर सदा की भांति रंग खेलने के लिये दो छोटे-छोटे जुलूस कुनई ठाकुर-द्वारा मुहल्ला, खलवा तथा रामहरख का ठाकुर द्वारा मुहल्ला टेढ़ी बाजार कस्बा बलरामपुर से प्रारम्भ होकर दुर्गा प्रसाद चौराहे पर एक जुलूस के रूप में लगभग १०-३० बजे दिन में परिवर्तित हो गए। निर्धारित रास्ते से जुलूस बोर विनय चौराहे की तरफ बढ़ा। लगभग ११-३० बजे दिन जुलूस के कुछ व्यक्तियों ने रंग भरा एक गुब्बारा सराय फाटक के समीप छोड़ा जिस पर अल्प संख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति को यह कहते हुए सुना गया था कि इस तरह का रंग भरा गब्बारा यदि मस्जिद के सामने छोड़ा जायगा तो कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। इस पर, उस स्थान पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने उसे शान्त तथा सुव्यवस्थित रहने को सलाह दी। जुलूस शान्तिमय ढंग से एवं नियमानुकूल बढ़ता गया। लगभग १२ बजे दिन को जब जुलूस यतामखाना मस्जिद मुहल्ला पुरैनिया तालाब से गुजर रहा था तथा जुलूस का प्रमुख एवं अग्रभाग मस्जिद से आगे निकल चुका था तथा पीछे कुछ ही व्यक्ति रह गये थे कि मुस्लिम बस्ती की तरफ से कुछ ढेले आये। थाना अध्यक्ष बलराम पुर एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों ने सतर्कता से जुलूस को नियन्त्रित रखते हुए आगे बढ़ाया और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और जुलूस आगे चल कर समाप्त हो गया। तत्काल ही परिस्थिति के अनुसार पुलिस व्यवस्था को अधिक तत्पर एवं सक्रिय कर दिया गया। दुर्भाग्यवश जुलूस के कुछ व्यक्ति जो थोड़े-थोड़े दलों में होकर सब्जी मंडी की सड़क से अपने घरों को लौट रहे थे, उनमें से कुछलोगों ने एक चाय की दुकान के शो केश तथा सब्जी के बीज की दुकान के बाहर भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस के वहां पहुंचते पहुंचते भाग खड़े हुए। इस सम्बन्ध में अल्प संख्यक एवं बहुसंख्यक समुदायों द्वारा बलवे, मार-पीट और लट-पाट की रिपोर्ट थाना बलरामपुर में अंकित कराई गई। हस्तक्षेपनीय अपराधों की जांच की गई तथा जांच पूरी होने पर सब मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

अनुसूची

ईक्यटी	चन्दा किया गया (लाख रुपये में)	भुगताया गया (लाख रुपये में)
१—श्री कोहली (श्री विष्ट के साथ संयक्त) ..	४९—००	४२—२५ इसमें से ४० लाख रुपये के हिस्सों के विषय में श्री कोहली तथा श्री मोहन सिंह विष्ट इत्यादि के बीच-विवाद है।
२—श्री मोहन सिंह विष्ट तथा श्री दीन सिंह विष्ट के वारिस का ।	१०—००	१०—००
३—उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन ..	१४—५२	१०—८८
४—एल० आई० सी०	५—००	५—००
५—अन्य	१—८०	१—३५
योग ..	८०—३२	६९—४८
प्रिफरन्स		
१—एल० आई० सी०	१०—००	१०—००
२—ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी	१—५०	१—५०
३—उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन	३—३६	२—५३
४—श्री कोहली	४—८२	१—२५
योग ..	१९—६८	१५—२८
महायोग	१००.००	८४.७६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४० पर।)

श्री राम सिंह खन्ना द्वारा पूंछे गये प्रश्न संख्या ४१ से संबंधित तालिका

क्रम-सं०	चीनी मिलों के नाम	उप कर एवं क्रय कर की बकाया धनराशि लाख रुपयों में (३१-३-६९ तक की स्थिति)
१	रोजा (शाहजहांपुर)	०-४९
२	बरेली	९-९५
३	बाजपुर	०-१२
४	रामपुर	१३-२१
५	अमरोहा	३६-८७
६	बिजनौर (पूर्व ठेकेदार)	१३-४२
	वर्तमान ठेकेदार	१०-०५
	योग ..	८४-११

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४२ पर)

जिले में अक्तूबर १९६८ से जून १९६९ तक हुई डकैती, कत्ल तथा राहजनी की घटनाओं की सूचना

अपराध	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या	मामलों की संख्या		विशेष
	जो रिपोर्ट हुए	जिसकी जांच हुई	जिनमें मुकदमें चले	जिनमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई	
१	२	३	४	५	६
डकैती ..	४७	४७	१९	२८	३ मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगी। १२ मामले खारिज (एक्सपंज) हुए। १३ मामलों में जांच जारी है।
कत्ल ..	५६	५६	२७	२९	७ मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगी। २२ मामलों में जांच जारी है।
राहजनी ..	२४१	२४१	४४	१९७	६६ मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगी। ५९ मामले खारिज हुए। ७२ मामलों में जांच जारी है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५१ एल० ए०—१९६९—८७०।